खण्ड-148, अंक-2
शुक्रवार, 22 माघ, शक संवत् 1876
(11 फरवरी, 1955 ई0)

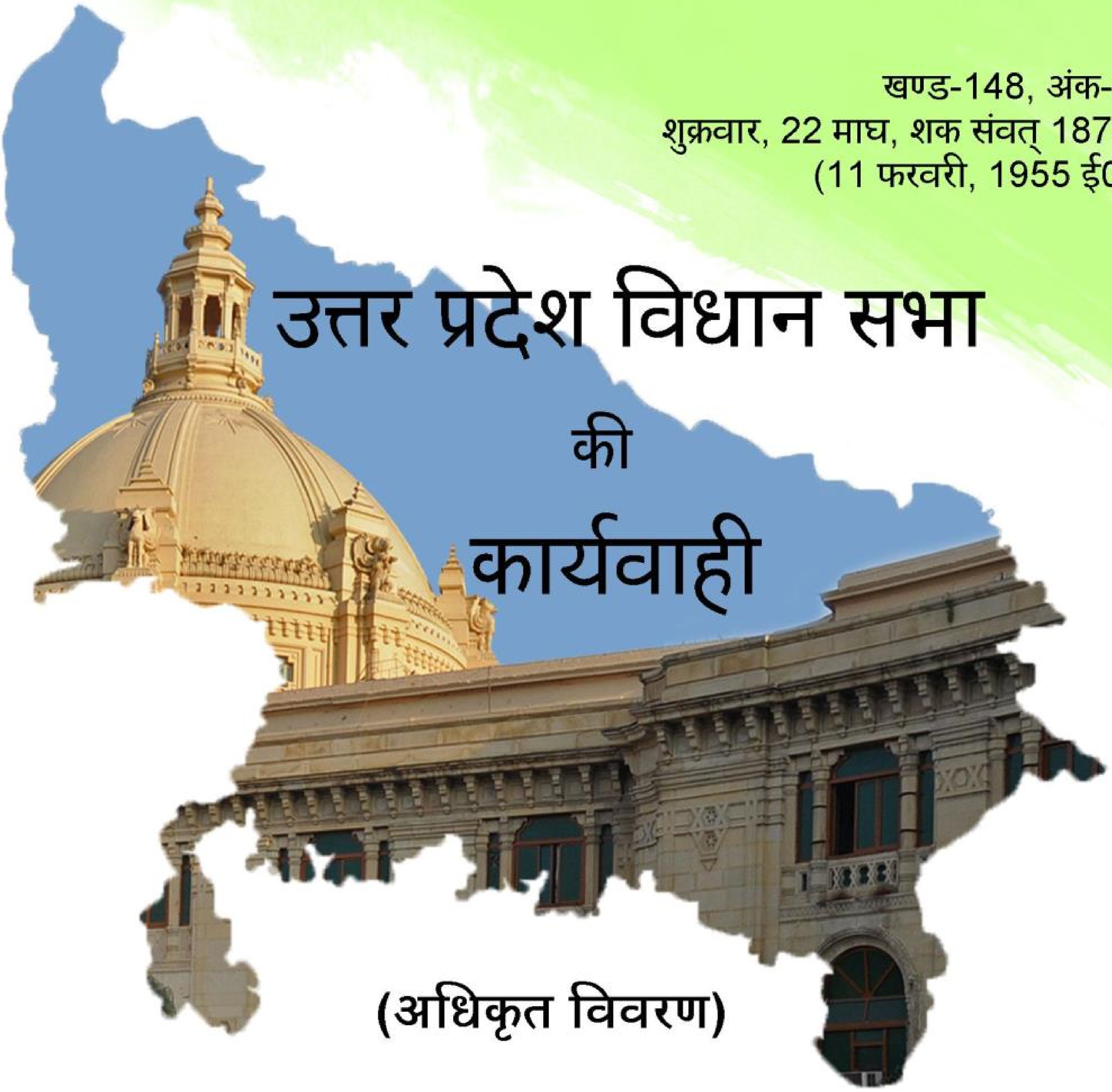

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 148 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

---o---

शुक्रवार, ११ फ़रवरी, १९५५

---o---

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

---o---

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५०)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुलमुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमालअहमद रिजवी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
कल्याण चन्द्र मोहिले उपनाम छन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट , श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवन्तसिंह, श्री

बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फ़र हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंतूरुल नबी, श्री
मुहम्मद सआदतअली खां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रवर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री

सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल दास, श्री

शनिवार, १२ फरवरी तथा ५ मार्च, १९५५ को विधान सभा की बैठक करने के सम्बन्ध में संकल्प

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---यह जो दो नम्बर का प्रस्ताव आज एजेंडे पर है इसके मुताल्लिक मेरे और अपोजीशन के भाइयों के बीच बातचीत होकर यह बात तय हुई कि १२ फरवरी और ५ मार्च को जो शनीचर है उस रोज असेम्बली बैठे, और ३१ मार्च तक जो और शनीचर आयेंगे उनको नहीं बैठेगी। इसके लिहाज से अगर जरूरत हो तो मैं मव कर दूं वरना हाउस इसको मंजूर कर ले।

श्री अध्यक्ष---आप "१९, २६ फरवरी और १९ मार्च" इतना भाग प्रस्ताव से निकाल दें।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ प्रोसीजर आफ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम ११ के उपनियम (२) के अनुसार शनिवार को विधान सभा की बैठक नहीं हुआ करती। तथापि १९५४-५५ के द्वितीय अनुपूरक अनुदान तथा १९५५-५६ के आय व्ययक एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयकों (एप्रोप्रिएशन बिल्स) को ३१ मार्च, १९५५ के पूर्व पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह संकल्प किया जाता है कि सदन की बैठक अपने नियत समय पर १२ फरवरी और ५ मार्च, १९५५ को भी होगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय हाफिज जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसको तथा सरकार की मजबूरियों को ध्यान में रखते हुये हमें मानना पड़ा है। सरकारी मजबूरियां भी अजीब होती हैं! दो चार आर्डिनेन्स आ जाते हैं। इसके अलावा अगर असेम्बली पहले से शुरू की जाय तो सरकार को यह मजबूरियां न हों। लेकिन बहुत देर से असेम्बली की जाती है। हाफिज जी ने जो मजबूरियां बतलाईं वह ठीक हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारी मजबूरियों को भी समझा। लेकिन मैं इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि आयन्दा बजट सेशन इतनी जल्दी शुरू किया जाय कि सरकार को मजबूरियां न हों। लेकिन यह सही है कि हम लोगों में यह समझौता हो गया है कि १२ फरवरी और ५ मार्च को बैठक होगी, और अन्य शनिवारों को नहीं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, हम पिछले बजट सेशनों में भी यह परम्परा देखते आये हैं कि बजट सेशन बहुत लेट शुरू किया जाता है और मजबूरी यह दिखाई जाती है कि दिन कम हैं इसलिये हमको शनिश्चर को बैठना पड़ता है। हम समझते तो यह थे कि मंत्रि मण्डल बदल गया है, हमारे गृह मंत्री नये मुख्य मंत्री हुये हैं तो शायद इस परम्परा को दूर कर दिया जायगा। लेकिन मजबूरन हमें यह कहना पड़ता है कि वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वह अब भी है। इस परम्परा में कुछ सुधार होना चाहिए। नेता विरोधी दल और नेता सदन, यह सही है कि दोनों बनारसी हैं इसलिये मिल गये, यह

[श्री जोरावर वर्मा]

कहें या बड़ों-बड़ों का मेल कहें, लेकिन जो छोटे लोग हैं अगर उनसे भी परामर्श कर लिया जाता तो अच्छा होता। इसलिये मैं मजबूरन इसे मानते हुये भी इसका विरोध करता हूं कि जो छुट्टी के दिन हैं उन्हें इस प्रकार न लिया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--समझौता तो फैजाबाद और बिजनौर में हुआ है, बनारस की इसमें कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष--आप हमीरपुर को भी विचार में शामिल कर लिया करें, यह चाहते हैं वह।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--नेता संयुक्त दल भी इससे सहमत हैं, उनसे भी राय ले ली गयी थी।

श्री जोरावर वर्मा--चूंकि उन्होंने अभी यह कहा कि नेता विरोधी दल और नेता सदन में यह बात तय हो गयी है इसलिये मैंने यह कहा। अगर वह नेता संयुक्त दल भी कहते तो ठीक हो जाता। कुछ भी सही लेकिन जो दिन छुट्टी के हैं उनके लिये एक परम्परा बनायी जा रही है कि उन दिनों को मनमाने ढंग से ले लिया जाता है। इस परम्परा को छोड़ना चाहिये। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं कि इस प्रकार से आगे ऐसी परम्परा को कायम करने के लिये कदम न उठाया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स ऑफ प्रोसीजर आफ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम ११ के उपनियम (२) के अनुसार शनिवार को विधान सभा की बैठक नहीं हुआ करती। तथापि १९५४-५५ के द्वितीय अनुपूरक अनुदान, तथा १९५५-५६ के आय-व्ययक एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयकों (एप्रोप्रिएशन बिल्स) को ३१ मार्च, १९५५ के पूर्व पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह संकल्प किया जाता है कि सदन की बैठक अपने नियत समय पर १२ फरवरी तथा ५ मार्च, १९५५ को भी होगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आगामी गैर-सरकारी दिन में लिये जाने वाले विषयों का क्रम

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज गैर-सरकारी प्रस्तावों के पेश होने का दिन है और एजेन्डा में इसका कोई जिक्र नहीं है, तो इसके बारे में क्या निश्चय हुआ?

श्री अध्यक्ष--यह तो कल संकल्प हो गया था कि आज गैर-सरकारी दिन नहीं होगा।

श्री सीताराम शुक्ल--तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस दिन ये प्रस्ताव पेश होंगे उस दिन क्या फिर से लाटरी होगी या इसी प्रकार से रहेंगे? मेरी गुजारिश है कि फिर से लाटरी होने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष--मैंने पहले भी ऐसा प्रश्न सदन के ऊपर छोड़ दिया था कि अगर सदन गैर-सरकारी दिन को हटाता है तो वह यह निश्चित कर ले कि जो लाटरी पहले पड़ चुकी है, और जो विषय उसमें आ चुके हैं, वे जिस वक्त बाद में प्रथम दिन गैर-सरकारी कार्य के लिये दिया जाय उस दिन वही रखे जायं। इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है? (आवाजें--नहीं।) तो यह तय हुआ कि जो प्रस्ताव, संकल्प या विधेयक आज के लिये स्वीकृत हो चुके थे वे जिस वक्त पहला गैर-सरकारी दिन कार्य का होगा उस रोज इसी क्रम से ले लिये जायंगे।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

*श्री केशवगुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य, जो इस अधिवेशन में एकत्रित हुये हैं, श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के सदस्यों को दिया है, कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करते हैं।

श्रीमान् जी, पाश्चात्य देशों की प्रजातंत्र प्रणाली का अनुसरण करते हुये हमने भी अपने संविधान द्वारा इस प्रथा को जारी रखना उचित समझा कि हम भी अपने विधान मंडल के सत्रों का प्रारम्भ श्रीमान् राज्यपाल महोदय के सम्बोधन से करें। चुनांचे कल श्रीमान् राज्यपाल महोदय ने विधान मण्डल के दोनों सदनों के सदस्यों के समक्ष अपना सम्बोधन कृपापूर्वक दिया।

उन्होंने अपने संबोधन में अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर और उसका जो प्रभाव देश और प्रदेश पर पड़ता है और अवश्य पड़ता है, उसका कुछ संकेत किया।

इसके साथ ही उन्होंने जो पिछले दिनों में इस गवर्नमेंट ने कार्य किये और जो जनता को आश्वासन दिये, और जो जनता की आकांक्षाएं इस सरकार की ओर लगी हुई हैं उनको पूरा करने के लिये जो काम सरकार ने किये, उन पर भी उन्होंने रोशनी डाली। इसके साथ ही उन्होंने आने वाले वार्षिक भावी प्रोग्राम की भी एक झांकी हमें दी।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि जहां तक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति का सम्बन्ध है उन्होंने अपने संबोधन में ठीक ही कहा कि इस बीच में दुनिया में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। युद्ध का भय आज भी विश्व को परेशान कर रहा है। इस कठिन समय में हमारे गणराज्य ने तरुण के रूप में विश्व के राष्ट्रों में एक ऊंचा स्थान प्राप्त किया है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति काफी भयानक रही। कोरिया के युद्ध को शान्त करने में भारत और भारत के प्रधान मंत्री ने जो भाग लिया वह तो सभी को मालूम है। वह शान्त होने नहीं पाया कि इंडोचीन में एक भयंकर अग्नि प्रज्ज्वलित हुई और ऐसी ज्वाला भड़की जो समस्त संसार को लपेटने के लिये तैयार थी। उस समय भी भारत और भारत के प्रधान मंत्री ने.....

श्री अध्यक्ष--इस सम्बन्ध में अभी मेरी तवज्जह इस तरफ दिलायी गयी है कि संविधान के अनुच्छेद १७६ (१) में ये शब्द हैं, अंग्रेजी में पढ़ कर सुना देता हूं। हिन्दी में भी पढ़ दूंगा--

"176 (1) At the commencement of the first Session after each general election to the Legislative Assembly and at the commencement of the first session of each year the Governor shall address the Legislative Assembly or, in the case of a State having a Legislative Council, both houses assembled together ....."

हिन्दी में है--"विधान सभा के प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के आरम्भ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में विधान सभा को अथवा राज्य में विधान-परिषद् होने की अवस्था में एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों को ....."

यानी "दोनों सदनों के सदस्यों" ऐसे शब्द नहीं हैं। इसमें है, "दोनों सदनों को"। तो मेरा ख़याल यह है कि जैसा कि संविधान में है उसी के अनुसार प्रस्ताव के वाक्य "उन्होंने राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के सदस्यों" में से आप को "के सदस्यों" शब्द हटा देना चाहिये। केवल "दोनों सदनों को" यही शब्द रहना चाहिए। अगर आप को इसमें कोई आपत्ति हो तो बता दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री केशवगुप्त--संविधान के अनुसार आप ने जो तरमीम का सुझाव दिया वह ठीक ही है।

तो अब प्रस्ताव इस प्रकार होगा--"उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य, जो इस अधिवेशन में एकत्रित हुये हैं, श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों को दिया है, कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करते हैं।"

मैं यह कह रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में इंडोचीन में एक भयंकर परिस्थिति हमारे सामने आरम्भ हुई। उसको भी हमारे भारतवर्ष ने और भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने शान्त करने की चेष्टा की और उसमें वे सफल हुए। यह भी सब को विदित है। लेकिन यह दोनों परिस्थितियां शान्त नहीं होने पायी थीं कि उधर अमेरिकन साम्राज्यशाही ने एक फार्मोसा का प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय जगत में डाल दिया। वह भी एक भयंकर परिस्थिति धारण करने जा रहा है। उसमें भी, हमारा जो कर्तव्य है, क्योंकि भारत और भारत के प्रधान मंत्री ने ऐसा निश्चय किया है कि हम विश्व में शान्ति स्थापित करना चाहते हैं, और उसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं और करते रहेंगे। उसकी ओर भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। आज संसार की आशा भारतवर्ष की ओर लगी हुयी है कि वह किस प्रकार से इस प्रयत्न में सफल होगा? हमें आशा है कि हम इसमें सफल होंगे।

माननीय राज्यपाल ने दूसरे मित्रराष्ट्रों के नेताओं के यहां पर पधारने का जिकर इसमें किया है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी दूसरे राज्यों के नेता, यूगोस्लेविया के मार्शल टीटो पिछले दिनों यहां पर पधारे थे। हमारे देश में चीन के प्रधान मंत्री चाउ एन लाई, और दूसरे बड़े बड़े विद्वान् हमारे यहां आये और उनका प्रभाव हमारे देश पर पड़ा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति की जहां कहीं भी कोई बात होती है तो जगत में सभी भागों पर उसका प्रभाव पड़ता है। आप सब जानते हैं कि मालन्कोव के त्यागपत्र से क्या प्रभाव हमारे उत्तर प्रदेश के ऊपर पड़ा है? सब जगह पर उसका असर पड़ता है और यहां पर भी उसका प्रभाव पड़ा है। मालन्कोव के त्यागपत्र के होते ही हमारे यहां चीजों का भाव बढ़ गया। कानपुर के बाजार के भाव बढ़े, गुड़ के भाव बढ़े, शुगर का भाव बढ़ा और इसी प्रकार से दूसरी चीजों के भाव भी बढ़े। इसी प्रकार और दूसरी अन्य चीजों के भावों में तेजी आयी। यह मानी हुयी बात है कि अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति से हम सब बंधे हुये हैं और उसका प्रभाव हम सब पर पड़ता है। लेकिन हमारे जो महान् नेता हैं और जो आज विश्व के एक प्रमुख नेता माने जाते हैं, वह जिस प्रकार से इस अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति को सुलझाने के लिये, इस महान गुत्थी को सुलझाने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं वह सराहनीय है। इसके लिये तमाम संसार आज हमारी प्रशंसा करता है और हमारा ऊंचा स्थान है।

जहां तक पिछले शासन कार्य की ओर हमारे उत्तर प्रदेश के शासन का उन्होंने संकेत किया है कि उस शासन में भी तब्दीली आयी तो इस बात को कौन नहीं जानता है कि हमारे पूर्व के नेता श्रीमान् पं० गोविंद वल्लभ पंत, जिनके नेतृत्व में हमने इतने दिनों तक कार्य किया है और जिनके सहारे से उत्तर प्रदेश ने दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति की है; वह हमारे बीच से हट कर केन्द्रीय सरकार में चले गये, तो इससे शासन में तब्दीली आयी। लेकिन जिनके हाथों में वह शासनसूत्र आया और जो उनके उत्तराधिकारी बने उनसे भी हम भलीभांति परिचित हैं। उनकी विद्वता, विवेकशीलता, उनकी न्यायप्रियता, और जिस प्रकार से १०,२० साल से वह अपने विभागों को चलाते रहे हैं वह सभी जानते हैं। और हमें पूर्ण आशा है कि हम उनके नेतृत्व में आगे तरक्की करेंगे, और हमारा प्रदेश जो तरक्की अब तक कर चुका है उसमें किसी प्रकार से रुकावट नहीं आयेगी, बल्कि और तेजी के साथ आगे चल सकेंगे।

हमारे इस प्रदेश में पिछले दिनों पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो कार्य हमको करने के लिये मिला और जो कार्य हमने किया उसको भी उन्होंने अपने सम्बोधन में जिकर किया है। उन्होंने बतलाया कि जो कार्य हमारे हिस्से में करने के लिये रखा गया था उसमें हम ने काफी प्रगति

की है और दूसरे सूबों से कहीं अधिक हम आगे बढ़ सके हैं। हमने देखा कि इस कार्य के अन्दर जो रुपया तीन साल के अन्दर, ५१ से ५४ तक बजट में रखा गया था, उसका ७८ प्रतिशत रुपया हमने पंचवर्षीय योजना पर खर्च किया है। और जो रुपया हमको ५ साल के अन्दर खर्च करना था उसका ५१ फीसदी हमने अब तक खर्च किया है। बम्बई प्राविंस को छोड़कर, जिसने ५५ फीसदी के करीब अपने इन ३ वर्षों में खर्च किया है, हमारे प्रान्त का नम्बर दूसरा आता है। और जितने अन्य प्रदेश हैं वे हमसे ३ साल के अन्दर जो व्यय करना था उसमें पीछे रहे हैं, और हमारा यह प्रदेश उन सब प्रदेशों से अधिक बढ़कर है। आपने देखा कि जहां तक कृषि का सम्बन्ध है हमने काफी उन्नति की है। हमारे यहां खाद्य पदार्थों की बहुत कमी थी, उसको पूरा करने में सरकार ने पूरा प्रयत्न किया। हमारे यहां खाद्यान्न की तरक्की हुयी, हमारे यहां मवेशियों की तरक्की हुयी, पशुओं की नस्ल में तरक्की हुयी। और हमारे यहां जो रुई का टारगेट था, जो केन्द्रीय सरकार ने हमारे लिये मुकर्रर किया था उसको हम ३ साल के अन्दर ही उस मात्रा तक ले गये। जूट, पटसन की भी हमारे यहां तरक्की हुयी। हमारे यहां आज यह दशा हो गयी है और हमारे यहां अन्न की इतनी बहुतायत हो गयी है कि जिससे हमारे यहां चीजों का मूल्य गिरता जा रहा है। उसके लिये हम, हमारी सरकार और हमारे किसान सब चिंतित हैं लेकिन सरकार इसमें भी पीछे नहीं रही! सरकार ने जब देखा कि चीजों के भाव गिर रहे हैं तो उन्होंने एक विज्ञप्ति निकाली जिसके द्वारा उन्होंने यह निश्चय किया कि अगर दस रुपए की दर से कहीं नीचे जायेंगे तो सरकार उसको खरीदेगी। गुड़ के दाम गिरने से भी आज हमारे काश्तकारों को भय हो रहा है क्योंकि दूसरी चीजों के दाम भी गिर रहे हैं। इसलिये सरकार ने उसमें भी अपना हाथ बटाया और कहा कि गुड़ का भाव भी अगर १० रुपया मन से नीचे जायगा तो सरकार उसको खरीद लेगी। यही कारण है कि सूबे की मंडियों में गुड़ का भाव दस रुपया मन से नीचे नहीं गिर पा रहा है, बल्कि इसकी जहां-जहां सरकार को आशंका हुयी सरकार ने स्वयं उसको खरीद लिया है। हापुड़ और मेरठ की मंडियों में कोआपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा सरकार ने गुड़ खरीद कर उसके भाव को ऊंचा किया है। खाद्यान्न की ओर भी हमने बहुत उन्नति की है और हमारी अब जो दशा है उसको हम शांति के साथ कह सकते हैं कि हमारे यहां खाने की चीजों की कमी नहीं है।

जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है उसमें भी हमने बहुत उन्नति की है और हमने अपने टारगेट को पूरा कर लिया है। हमारे सपरार, चन्द्रप्रभा और अर्जुन बांध पूरे हो गये हैं तथा दूसरे बांध भी पूरे होने वाले हैं। पथरी का पावर हाउस भी करीब-करीब पूरा होने जा रहा है, तथा खटीमा के पावर हाउस की ओर राज्यपाल महोदय ने संकेत किया है कि अगले माह में उसका काम आरम्भ होने जा रहा है। उसकी करीब-करीब पूर्ति हो चुकी है। इस प्रकार बिजली के उत्पादन में भी हमने बड़ी भारी तरक्की की है। जब हमने शासन की बागडोर संभाली तो हमारे पास केवल १ लाख ७ हजार के करीब किलोवाट बिजली थी लेकिन अब वह १ लाख २८ हजार से ऊपर हो गयी है। और हमारे सामने जो भविष्य का प्रोग्राम है उसके अनुसार ५५-५६ के अन्त तक हमारे पास ढाई लाख के ऊपर किलोवाट में बिजली हो जायगी।

रिहन्द बांध का भी हम काम आरम्भ कर चुके हैं। इसका हमारे सूबे के लिये बड़ा भारी महत्व है। उससे हमारे पूर्वी जिलों को काफी सहायता मिलेगी। उससे वहां के व्यापार, उद्योग धंधों और सिंचाई तथा विद्युत्शक्ति को प्राप्त करने में बड़ी भारी सहायता मिलेगी। इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि हम अपने सब कामों को समय के अन्दर पूरा कर लेंगे।

जहां तक सड़कों के प्रोग्राम का सम्बन्ध है उसका काम हमने टारगेट से आगे बढ़ कर पूरा किया है और अपने प्रदेश के अन्दर आज ३ सालों में हमने ३,६०० मील सड़कें बनायी हैं, जब कि हमारी पंचवर्षीय योजना में हमारा टारगेट ३,९०० मील का है। यानी अगले दो वर्षों में हमें केवल ३०० मील सड़कें और बनाना बाकी रह गया है। इसके अतिरिक्त हम टेहरी-गढ़वाल आदि स्थानों पर बड़े भारी पैमाने पर इस काम को पूरा करने जा रहे हैं।

[श्री केशवगुप्त]

इस प्रकार से हम बिजली, अन्न, सिंचाई और पशुओं की नस्ल के सुधारने के काम में दिन प्रति दिन उन्नति करते जा रहे हैं और संसार के सामने अपने राज्य और देश का मुख उज्ज्वल कर रहे हैं। अपने राज्य में शांति व्यवस्था को कायम रखते हुए हम एक कल्याणकारी राज्य की नींव डाल रहे हैं।

इसके अतिरिक्त राज्यपाल महोदय के भाषण में आपको इस बात की भी झांकी मिली होगी कि गोसंवर्द्धन समिति की सिफारिश को मंजूर करते हुए सरकार ने गोवध निषेध के सम्बन्ध में कानून प्रस्तुत करने का विचार किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह हमारे देश की एक आर्थिक समस्या है और उसमें हमारी गाय का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे पूज्य महात्मा गांधी भी गोवध निषेध को कानूनन बंद कराने के पक्ष में थे, लेकिन अगर हम उनके शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़ें तो हमें ज्ञात होगा कि वे गो की महत्ता को कहां तक ऊंचा स्थान देते थे! वे कहा करते थे कि गोवध को मैं मनुष्य वध से भी अधिक हीन समझता हूं। सरकार ने जो गोवध निषेध का निर्णय किया है वह बहुत ही सराहनीय है। इसलिये कि गो समस्या में आर्थिक समस्या भी निहित है और इसलिये जब तक हमारे देश के अन्दर गौओं का रक्षण नहीं होगा हमको अच्छे सांड़ बैल नहीं मिल सकते और हमारी आर्थिक समस्या अच्छी नहीं हो सकती।

इसके साथ ही साथ मैं एक बात और आप से और अपनी सरकार से कह देना चाहता हूं कि जहां आप गोवध निषेध का कानून पास करने जारहे हैं, जो बहुत ही अच्छी चीज है, उसके साथ ही गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी बढ़ेगी उसको भी सोच लेने की जरूरत है। हमारे देश में मैन पावर अधिक है और जब गौओं का संरक्षण होगा तो हमारे देश में बैलों की भी शक्ति बढ़ेगी। बैलों की जब शक्ति बढ़ेगी तो क्वालिटी और क्वानटिटी भी बढ़ेगी। और जब यह अधिनियम पास होगा तो सरकार को इसको भी ध्यान में लाना होगा जिससे कि हम उस शक्ति का ठीक तौर से उपयोग कर सकें। हमारा देश ऐसा देश है जिसमें लोग ट्रैक्टर से भी काम करते हैं। अव्वल तो ट्रैक्टर हमारे देश में बनता नहीं। दूसरे देशों की वह चीज है जिसके लिये हमको अपने दूसरे सामान बाहर भेजने पड़ते हैं। लेकिन सरकार की यह नीति, कि काश्तकारों को तकावी के रूप में ट्रैक्टर दिये जायं और ट्रैक्टर से कार्य किया जाय, उससे तो हमारे बैलों का भी सदुपयोग नहीं होगा और हमारा मैन पावर भी ठीक तौर से कार्य नहीं कर सकेगा। इसलिये मैं अपनी सरकार से यह आशा रखूंगा कि जब वह गोवध निषेध अधिनियम अपने सामने रखे तो उन चीजों को भी अपने ध्यान में रखे कि हमको गोवध निषेध के साथ-साथ इस बात का भी प्रयत्न करना चाहिये कि ऐसी गायें, जिनको लोग अपने पास नहीं रखते, जिनका पालन वे नहीं कर सकते, उन गायों के लिये नये-नये गोसदन खुलें, और इस तरह की सहूलियतें जनता को दी जायं जिससे गायों की रक्षा हो सके। वे गायें, जो कि बाजारों में फिरती हैं या जिनको लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे हानि होती है, उसका भी संरक्षण हो सके, यह जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट के ऊपर आकर पड़ती है। अधिनियम बनाते समय इस जिम्मेदारी को भी गवर्नमेंट को अपने ध्यान में रखना ही होगा।

इसी तरह से जो अगला प्रोग्राम है उसके सम्बन्ध में भी मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं। जिस गोवध निषेध की तरफ हमारे महामान्य राज्यपाल ने संकेत किया है वह हमारे सामने बड़े ही महत्व का प्रश्न है। इसके साथ ही साथ जो काशी के घाटों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है वह भी बड़े महत्व का विषय है। काशी हमारा महान् क्षेत्र और तीर्थस्थान है। काशी हमारे यहां बहुत ऊंचा स्थान रखता है। वहां के घाटों की अवस्था दिन पर दिन खराब होती जा रही है। गंगा के कटाव की वजह से घाटों के गिर जाने का भय है, इसलिये उनकी रक्षा होना जरूरी था। उसके लिये करीब एक करोड़ की व्यवस्था की गयी है जो उन घाटों के पुनर्निर्माण में खर्च होगा। उसके लिये हम और हमारे उत्तर प्रदेश की जनता सरकार की कृतज्ञ है। इस प्रकार से और भी बहुत से दूसरे कार्य हमारे यहां हो रहे हैं। हमें अपने दो साल के भविष्य के प्रोग्राम में भी बढ़ना है। हमारा उत्तर प्रदेश हमेशा ही दूसरे प्रदेशों के मुकाबिले में हर कार्य में बाजी

लेता रहा है । कम्युनिटी प्रोजेक्ट को ही देख लिया जाय ! सबसे पहले कम्युनिटी प्रोजेक्ट का प्रादुर्भाव इटावा प्रोजेक्ट से शुरू हुआ । जब केन्द्रीय सरकार ने यहां के कार्य को देखा और इसके महत्व को समझा, तब दूसरे प्रदेशों में भी कम्युनिटी प्रोजेक्ट खोलने का निश्चय किया गया । इसी तरह से हमारे प्रदेश के अन्दर करीब २८ कम्युनिटी प्रोजेक्ट और करीब ७७ एन०ई०एस० ब्लाक खोले गये और उनके द्वारा गांवों की अवस्था में काफी सुधार हो रहा है । आज हमारे गांवों के अन्दर.....

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---श्रीमन्, सदन में अशांति बहुत है ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इस समय सदन में शांति कायम रखना आवश्यक है ।

श्री केशवगुप्त---इन कम्युनिटी प्रोजेक्ट और एन०ई०एस० ब्लाक के जरिये बहुत से काम गांवों के अन्दर हो रहे हैं । मीलों तक खड़ंजे बन चुके, बहुत सी नालियां बन चुकीं, बहुत सी सफाई हो चुकी और बहुत से कूड़ेकर्कट गड्ढों में जा चुके। इस प्रकार हमारे ग्रामों की अवस्था आज बिलकुल पलट गयी है । आज वे ग्राम नहीं रहे जो पहले के ग्राम थे । आज उनके अन्दर पुनर्जीवन की अवस्था है । और इस प्रकार से हमारे प्रदेश की चहुंमुखी उन्नति होती जा रही है । लेकिन इसके साथ साथ कई और प्रश्नों की ओर भी ध्यान देना है । हमारे यहां बेकारी का प्रश्न भी बड़े महत्व का है । यह प्रश्न केवल उत्तर प्रदेश से ही संबंधित नहीं है, बल्कि उसका सम्बन्ध तमाम भारतवर्ष से है । बेकारी की समस्या जिस तरह से दूसरे प्रदेशों में है वैसे ही हमारे यहां भी है । हमारे यहां जो वेतन सरकारी अधिकारियों के हैं उन में भी बहुत अन्तर है और इसी तरह हमारे यहां जो बीमारियां हैं वह भी काफी उग्र रूप धारण किये हुये हैं, यद्यपि पहले के मुकाबिले में कम हैं, जैसे प्लेग है, स्मालपाक्स है, मलेरिया है या कालरा आदि हैं उनमें कमी तो अवश्य है, लेकिन अब भी उतनी दवायें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं जितनी मात्रा में हमें उनकी आवश्यकता है । हमारे यहां डाक्टर्स भी अधिक संख्या में नहीं मिलते हैं। जितना उनका टारगेट है कि १००० आदमियों के पीछे एक डाक्टर होना चाहिये वह भी अभी पूरा नहीं हुआ है ! और न उतने मेडिकल कालेज ही खुले हैं जितनों की आज हमारे प्रदेश में जरूरत है। अगर हमें अपने यहां कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है, और जिस कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिये हम अपने यहां कदम बढ़ा रहे हैं, उस की स्थापना के लिये यह आवश्यक है कि हम अपने प्रदेश से दरिद्रता, बीमारी, अशिक्षा और अज्ञान को दूर करें, और जबतक यह चीजें यहां से दूर नहीं होतीं, तब तक कल्याणकारी राज्य की स्थापना सम्भव नहीं है । इसके अलावा हमारे यहां इस चीज की भी जरूरत है कि सबमें आर्थिक समानता हो । इससे हमारा मतलब यह नहीं है कि हरएक के पास बराबर धन हो, बराबर कुर्सी हों, बराबर ही पलंग हों, मेरा मतलब आर्थिक समानता से यह है कि हरएक को उस की जरूरत के मुताबिक सामान मिल सके, उसकी जरूरतें पूरी हो सकें, रहने को घर हो, खाने का सामान हो और उसके बच्चों के लिये शिक्षा का प्रबन्ध हो सके। और उसकी जो प्राथमिक आवश्यकतायें हैं वे पूरी हो सकें । मेरा मतलब ऐकनामिक इक्वेलिटी से है, उसी को मार्क्स ने माना है और उसी का प्रतिपादन पूज्य बापू ने किया है । उन्होंने अपने शब्दों में प्रवचन दिया था कि एकनामिक इक्वालिटी क्या है? २९ जुलाई को मदरास में जब उनसे मेरी बातचीत हुयी तो उन्होंने यह कहा था कि एकोनामिक इक्वालिटी के माने यह हैं कि "टु ईट एज मच एज वन नीड्स" (जितनी एक व्यक्ति की आवश्यकता हो उतना खाना खाना।) तो उनसे कहा गया कि यह तो मार्क्स का और कम्युनिस्टों का उद्देश्य है इसको आप कैसे मानते हैं? तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि मैं कब कम्युनिस्टों से कम हूं? अगर उनका उद्देश्य एकनामिक इक्वेलिटी का है तो हमारा भी है, लेकिन अन्तर केवल इतना है कि वह उसको नफरत से हासिल करना चाहते हैं और हम उसी उद्देश्य को प्रेम से हासिल करना चाहते हैं । यह चीज उन्होंने मदरास में कही थी । इसलिये हम सब चाहते हैं कि हमारी नेशनल वेल्थ बढ़े। और मैं इस बात को भी मानता हूं कि पिछले ५ सालों में हमारी नेशनल वेल्थ बढ़ी है और एवरेज इनकम भी बढ़ी है। लेकिन अगर मैं उदाहरण के लिये कहूं कि अगर ८ आदमियों

[श्री केशव गुप्त]

की आमदनी १०० रुपये की है और २ आदमियों की २ हजार रुपये की, और आठ साल के बाद अगर उन सब की आमदनी १०० रुपये ही रहती है और केवल उन २ की ही बढ़ जाती है तो इससे नेशनल वेल्थ बढ़ सकती है, लेकिन परकेपिटा इन्कम उससे नहीं बढ़ी । इसलिये इस बात की भी साथ-साथ जरूरत है कि जहाँ हमारे नेशनल वेल्थ में वृद्धि हो रही है वहां हमारे यहां एकनामिक इक्वालिटी भी बढ़े । जब तक हम इस दिशा में प्रयत्न नहीं करते तब तक हम कल्याणकारी राज्य का स्वप्न नहीं देख सकते । हमारे देश में जो बेकारी का प्रश्न है उसको दूर करने का एक बड़ा गम्भीर प्रश्न है, और उसको दूर करने के लिये बहुत से सुझाव हो सकते हैं । एक सुझाव यह भी हो सकता है, जो मैं सरकार को देना चाहता हूं और वह यह कि 'वन मेन वन प्रोफेशन' यानी एक आदमी एकही व्यवसाय करे और उसके अलावा वह दूसरा व्यवसाय न करे । यदि हम इसी उद्देश्य को लेकर इस दिशा में कदम बढ़ायें तो इतने ही से बहुत कुछ सुधार सम्भव हो सकता है । इस तरह से बहुत कुछ बेकारी दूर हो सकती है । आज एक आदमी अपनी रोजी के लिये एक व्यापार करता है, खेती भी करता है, डाक्टरी भी करता है, लाइयर भी है और दूसरे दूसरे व्यवसाय करता है ! अगर हमारी सरकार इस ओर कदम उठाये कि 'वन मेन वन प्रोफेशन' तो मैं कहूंगा कि उससे देश का बहुत भला होगा और बेकारी भी दूर हो सकेगी । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये बहुत से साधन हो सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री केशव गुप्त---बहुत अच्छा । इसलिये मैं इस सुझाव को सामने रखते हुये इन शब्दों के साथ राज्यपाल को धन्यवाद देता हूं और गवर्नमेंट से प्रार्थना करता हूं कि वह जल्द से जल्द कोई ऐसा कदम उठाये जिससे बेकारी दूर हो । मैंने एक यह सुझाव आपके सामने रखा है और भी दूसरे बहुत से सुझाव हो सकते हैं और दूसरे माननीय सदस्य उसको आपके सामने रखेंगे । मैं आशा करता हूं कि आप उन सुझावों पर ध्यान देंगे ।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र माननीय केशव गुप्त जी ने जो प्रस्ताव आज इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों को दिया है, उसके प्रति कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करने के सम्बन्ध में, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

श्रीमन्, इस सदन के सम्मानित सदस्य ही नहीं, वरन् उत्तर प्रदेश की समस्त जनता, देहात की और शहर की भी हमारे महामान्य राज्यपाल और मंत्रिमंडलके प्रति आभारी है, और इसका एकमात्र कारण यही है कि इस थोड़े से सात आठ साल के समय में जो प्रगति हमारे मंत्रि मंडल ने महामान्य राज्यपाल के नेतृत्व में की है उसकी मिसाल किसी भी प्रजातांत्रिक मुल्क में नहीं मिल सकती । इतने थोड़े से समय में इतना काम हो जाना एक गौरव की बात है ! अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान सन् १९४७ की तरफ ले जाना चाहता हूं । जब हमको आजादी मिली उस समय हमारी क्या हालत थी ! तब हमारे पास कपड़ा नहीं था, हमारे पास अनाज नहीं था, हमारे यहां बेकारी बेहद थी और हमारी हालत बुरी तरह से गिर रही थी । उस समय भारत का विभाजन हो गया । एक ओर तो साम्प्रदायिक झगड़े बढ़ रहे थे, और उसके साथ-साथ जब यहां इतनी जटिल समस्यायें थीं, हमारे विदेशों में कुछ लोगों को यह शक था कि हिन्दुस्तान आजादी प्राप्त करने के बाद अच्छा शासन नहीं चला सकेगा । यह हमारे नेताओं के लिये गौरव की बात है और हमारे लिये गर्व की, कि उन्होंने जिस विद्वता, जिस धैर्य और जिस वीरता के साथ इन कठिन समस्याओं को हल किया है वह इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों में लिखी जायगी । अध्यक्ष महोदय, हालत यह थी, माननीय सदस्य जानते हैं कि जिस वक्त हमें यह आजादी प्राप्त हुयी उस वक्त जो हालत थी, और जो हालत आज हमने पैदा कर दी है उसके विषय में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दो रायें नहीं हो सकतीं। कुछ लोग कह सकते हैं कि जितना काम हमको करना है उतना हम नहीं कर पाये हैं। एक विशाल, इतने बड़े देश का निर्माण करना है उसके लिये कुछ काम हुआ है उसके मुकाबिले में कि जो कुछ होना चाहिये नाकाफी है। यह हम मानते हैं लेकिन अभी मंजिल दूर है और उसको पार करना है। उसको पार करने के लिये हममें सहयोग की आवश्यकता है, काम करने की आवश्यकता है, हम रचनात्मक तरीके से निर्माण का कार्य करें और उसमें हम सभी साथियों का, उत्तर प्रदेश की सारी जनता का यह कर्त्तव्य है कि हम कंधे से कंधा भिड़ाकर अपने देश का निर्माण करें।

अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल ने अपने भाषण में संकेत किया है कि हमारी सरकार ने सात आठ वर्षों में खाद्य समस्या को हल कर दिया है। जितने भी शरणार्थी आये थे उनको बसा दिया। यही नहीं एशिया में सबसे बड़ा १६, साढ़े १६ हजार एकड़ का फार्म बनाकर खाद्य समस्या को हल ही नहीं किया, बल्कि आज हालत यह है कि अनाज इतना पैदा हो गया है कि कीमतें गिरनी आरम्भ हो गयीं लेकिन उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान है, सरकार उस तरफ भी सतर्क है। बिजली पैदा की गयी और ३२ करोड़ रुपये उस पर खर्च हो चुका है। इसी तरह से इर्रीगेशन की स्कीमों पर देखिये! जितने डैम्स बन रहे हैं उनमें ३३ करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और नहरों के लिये जितनी सीमा निर्धारित की गयी थी उससे कहीं ज्यादा हम खर्च कर चुके हैं। इसके साथ-साथ हमने बहुत से वन लगाये हैं, बहुत से पेड़ लगाये हैं। १९४६ में जो १ हजार या दो हजार एकड़ में होते थे आज वह पेड़ १८ हजार एकड़ में लगे हुये हैं। यही नहीं, लेबर फ्रंट पर भी गरीब व्यक्तियों के लिये ३४ हजार मकान बन चुके हैं और १ लाख के करीब मकान अभी बनने बाकी हैं। मिडिल क्लासेज के लिये भी हमारी एक योजना है और वे भी सरकार से कर्ज लेकर अपने मकान बनवा सकते हैं। एजूकेशन में भी करीब हमारे १२ हजार छात्र विदेशों में पढ़ रहे हैं, और हमारी जो नयी शिक्षा की स्कीम है उससे शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा होगा। प्लैनिंग और डेवलपमेंट में करीब करीब २६ कम्युनिटी प्राजेक्ट्स काम कर रहे हैं, और ९६ एन० ई० एस० ब्लाक्स हैं जिनसे कई हजार गांवों की तरक्की होगी और हजारों की संख्या में जनता उनसे फायदा उठा सकेगी। इसके साथ ही साथ हेल्थ, खेती और जितने भी विभाग हैं उनमें सब तरफ से तरक्की हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, हमारी शाख होम फ्रंट के साथ ही साथ विदेशों में भी काफी बढ़ी हुयी है। यहां अभी हमने एक लोन ५ करोड़ रुपये का रेज किया था और वह निर्धारित समय के पूर्व ही पूरा हो गया। यही इस बात का सबूत है कि जनता को इस सरकार पर काफी विश्वास है। और इतना ही नहीं, एक हमारा स्माल सेविंग कंपेन था, उसमें भी हम ७ करोड़ रुपया इकट्ठा कर चुके हैं और जो हमारी निश्चित तिथि है उसके पूर्व ८ करोड़ रुपया इकट्ठा हो जायगा। इसका नतीजा यह है कि जो हमारा कार्य है उसमें हमें काफी मदद मिलेगी। जो हमारी आर्थिक दशा है उसमें भी हम तेजी से तरक्की कर रहे हैं। जब १५६ करोड़ रुपये की योजना बनायी गयी थी उस समय हमें यह दिखायी देता था कि हम इसे पूरा भी कर सकेंगे या नहीं? इस विषय में मैं अपने अर्थ मंत्री, श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दिल्ली जाकर काफी रुपया लिया और आज १३० करोड़ में से करीब-करीब ६० प्रतिशत रुपया हम खर्च कर चुके हैं। जो रुपया हमने खर्च किया है उसमें करीब ३२ करोड़ रुपया हम इर्रीगेशन पर खर्च कर चुके हैं, जबकि १९४६ में कुल ४९ लाख खर्च हुआ था। इलेक्ट्रिसिटी पर २४ करोड़ ८५ लाख रुपया खर्च हुआ, जबकि १९४६ में कुल ५२ लाख था। रोड्स एण्ड बिल्डिंग्स पर ३२ करोड़ रुपया खर्च हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजों पर, जैसे मिर्जापुर फैक्टरी पर भी हमने रुपया खर्च किया है। हमारा यह उद्देश्य है कि हम धन पैदा करें और वह तभी पैदा हो सकता है कि जब हम काम करें। कच्चा लोहा बेकार सी चीज होता है, लेकिन उस पर परिश्रम करके हम मोटर या हवाई जहाज आदि बना लेते हैं, तो जरूरत श्रम की है। धन पैदा करने का मतलब नोट छापने से नहीं है। वह तो मीडियम

[श्री नेकराम शर्मा]

आफ इक्सचेंज है। धन से हमारा मतलब ज़मीन है, रोमर्रा की वह वस्तुएं हैं जो हमारे काम में आती हैं और जिनको हमें अपने यहां पैदा करके अपने देश के धन की वृद्धि करनी चाहिये। लैन्ड रिफार्म्स में भी इतनी तरक्की हुयी है कि आज एक गांव का किसान यह महसूस करता है कि वह उस जमीन का मालिक है जिसे वह जोतता है। यह कितनी बड़ी क्रांति है, और इतनी महान् क्रांति जो हुयी है वह महात्मा गांधी के उसूलों से हुयी है। इतनी बढ़ी क्रांति और इतने शांतिपूर्ण ढंग से और किसी देश में नहीं हुयी! हमारे भाई कहते हैं कि जब तक खून न बहे तब तक कोई क्रांति सफल नहीं होती, लेकिन आज हमारी जमीन, कृषि, शोसल वेलफेयर आदि की जितनी भी स्कीमें हैं, जितने भी रेवोल्यूशन हुये हैं उन सब में एक बड़ी भारी क्रांति हुयी है और हो रही है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय राज्यपाल जी ने संकेत किया, अभी तक हमने जो कुछ किया है, वह बहुत नाकाफी है और उससे बहुत ज्यादा करना है। गरीबी और बेकारी के खिलाफ अभी हमें लड़ना है और जब तक यह हमारे देश में रहें तब तक हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी चाहिये। हमको इस बात का गर्व है कि जिस ढंग से, जिस तरह से और जिस लगन से और जिस उत्साह से हमारे सरकारी कर्मचारी, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य और माननीय सदस्य, जितने भी साथी हैं सब इस देश के निर्माण में जुटे हुये हैं, वह एक गर्व की बात है। माननीय राज्यपाल के सम्बोधन के बाद जो उत्तर प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक नया अध्याय आरम्भ हुआ है उसका मतलब यह है कि हमने एक समाजवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया है और इस प्रदेश के लिये यह सबसे अधिक गौरव की बात है। हमारे जो मुख्य मंत्री हैं वह स्वयं एक समाजवादी हैं और उनके नेतृत्व में हमारा यह प्रदेश, हमें आशा है, लोकमंगल प्राप्त करेगा जैसा कि केशवदास गुप्त जी ने कहा....

एक सदस्य--दास नहीं हैं।

श्री नेकराम शर्मा--जैसा केशव गुप्त जी ने कहा कि हमारी शाख होम फ्रंट में ही नहीं विदेशों में भी बढ़ी है। नेहरू की तरफ आज सारा संसार आंख लगाये हुये है। लड़ाई के बादल छा रहे हैं, और नेहरू जी की तरफ लोग इसी आशा से देख रहे हैं कि यही एक व्यक्ति ऐसा है जो वास्तव में शांति ला सकता है। इसका गर्व हमारे प्रदेश को होना चाहिये कि हमारे प्रदेश का एक ऐसा आदमी है जिसका इतना महत्व है, वह भारत का नाम विश्व में ऊंचा कर रहा है। उसकी एक विदेशी नीति है जिसको कि उसके सारे साथी ही नहीं विरोधी भी मानते हैं और विदेशों में उस पर सबको पूर्ण विश्वास है।

श्री अध्यक्ष--इस विषय पर अधिक चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि यह इस प्रस्ताव का विषय नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा--अध्यक्ष महोदय, यह अवश्य है लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का प्रभाव हमारे देश और प्रदेश में पड़ता ही है। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं इस सिलसिले में कि हमारे देश को जितना गौरव मिला है उसमें हमारे प्रदेश का भी बहुत दूर तक भाग है। मैं यह कह रहा था कि जितना हमारा क्रेडिट बाहर था उतना ही हमारे घर में भी है। पंचवर्षीय योजना पर १३० करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इससे ज्यादा भी खर्च होने का अनुमान है। जितना रुपया आवश्यक होता है वह पहले ही सबस्क्राइब हो जाता है, और यही इस बात का सबूत है कि जनता को सरकार में पूर्ण विश्वास है। हमें यह देख कर निराशा होती है कि जब लोग हमारे कार्यों को क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन जैसे जलते हुए तवे पर पानी की एक बून्द छन्न सी हो जाती है वैसे ही हमारा आज का काम भी है, हम चाहते हैं कि हमारा देश भी रूस, इंगलैन्ड और अमेरिका जैसा हो जाय, लेकिन हम १०० वर्ष पीछे हैं! दो पैरलल रेखायें चल रही हैं और हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हमारे देश में प्रजातांत्रिक राज्य है, चीन जैसा या फासिस्ट राज्य नहीं है कि एक हुक्म से ही सब कुछ हो जाय। हमने समाजवादी सिद्धांत अपनाये हैं और हमें उम्मीद है कि हमारा देश इन्हीं के आधार पर दिन

रात तरक्की करेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय राज्यपाल जी को उनके सम्बोधन के लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष (श्री राजनारायण को सम्बोधित करते हुये)--आपने कुछ संशोधन और बढ़ाये हैं तो मैं उनके बारे में आपको बता दूं। एक तो आपके संशोधन में शब्द "किन्तु सदन को खेद है कि उक्त सम्बोधन में," के पश्चात् "अनेक असंगतियां विदित होती हैं और साथ ही साथ" ये शब्द आपको हटा देना होगा क्योंकि मैं इसको अवैध करार देता हूं। केवल शब्द "उक्त सम्बोधन में" के पश्चात् शब्द "निम्नलिखित अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयों का प्रदेशीय नीति पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया" यह रखें।

दूसरे आपने नम्बर ९,१३,१५, और १६ में कुछ शब्द जोड़े हैं। इसमें ९,१५ और १६ के शब्द ठीक हैं। १३ में केवल "की निरस्ति" के बजाय "की निरस्ति की आवश्यकता" ये शब्द रखें, क्योंकि निरस्ति तो हुई नहीं है। श्री नारायणदत्त जी कुछ बोलना चाहते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मुझे यह कहना है कि दो साल पहले जब इसी किस्म का संशोधन आपने पहले भी अस्वीकृत किया था तो उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने विरोधी दलकी टीका-टिप्पणी करते हुए कहा था कि उन्होंने प्रस्ताव की असंगतियों पर प्रकाश नहीं डाला है इसलिये राज्यपाल के मूल सम्बोधन को स्वीकार करते हैं। तो चूंकि आलोचना उस समय नहीं हो सकी इसलिये यह किया गया कि उसमें असंगतियां हैं।

श्री अध्यक्ष---वह तो ठीक है लेकिन भाषण देते वक्त आप कोई चीज कह जाते हैं, या एक दल कुछ कहे और दूसरा दल कुछ उत्तर में कहे, ये बातें तो तर्क काटने के लिये बहस में होती हैं। लेकिन संशोधन जो होता है वह तो प्रीसाइज होता है उसमें कोई चीज इस तरह की नहीं आनी देनी चाहिये, वह तो प्रीसाइज होना ही चाहिये। जो नियम के अनुसार है वही आना चाहिये। और बोलते वक्त यदि किसी मंत्री ने कहा कि विरोधी दल ने असंगतियां नहीं बतायीं तो इस कहने से नियमों को तो बदला नहीं जायगा। तो चाहे सदन का नेता कहे या माननीय मुख्य मंत्री कुछ कहें, मैं तो नियम के अनुसार ही चलूंगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, हमारे भाव तो आपको व्यक्त ही हो गये हैं। अब आपकी आज्ञानुसार मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय--

"किन्तु सदन को खेद है कि उक्त सम्बोधन में निम्नलिखित अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयों का प्रदेशीय नीति पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया ---

१---बढ़ती हुई बेकारी और बेरोजगारी को दूर करने के लिये किसी ठोस योजना को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित कराने की आवश्यकता।

२---प्रदेश में अन्न की कीमतों की कमी से प्रभावित किसान वर्ग को राहत पहुंचाने के लिये बढ़ाई गयी सिंचाई दरों में कमी किये जाने की आवश्यकता।

३---प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों से आने वाली पुलिस के अत्याचार के सम्बन्धी घटनाओं पर उचित जांच तथा दंड दिये जाने की आवश्यकता एवं प्रांत में डाकुओं के आतंक को समाप्त करने का संकल्प।

४---गन्ने के काश्तकारों को न्यायपूर्ण कीमतें देने के लिये १ रुपया १२ आना मन गन्ने का दाम कराने, तथा मुनाफे में किसानों का समुचित हिस्सा दिलाने का संकल्प।

५---प्रदेश के अल्प वेतन पाने वाले सरकारी व अर्द्धसरकारी कर्मचारियों के न्यायपूर्ण आधार पर वेतन वृद्धि आदि का संकल्प तथा आमदनियों में असमानता एवं विषमता को दूर करने का निश्चय।

६---उत्तर प्रदेश के शहरी भागों में जमींदारी खत्म करने का संकल्प।

[श्री राजनारायण]

७--उत्तर प्रदेश के कुमाऊं डिवीजन के जिलों में भूमि-सुधार कानून बनाये जाने का संकल्प ।

८--उत्तर प्रदेश में सरकारी आस्थानों (इस्टेट्स) के सम्बन्ध में भूमि-सुधार सम्बन्धी संकल्प ।

९--विधान सभा के द्वारा इस प्रदेश से समस्त पूंजीवादी तत्वों का समाजीकरण करने के हेतु संकल्प को अविलम्ब कार्यान्वित करने तथा इस क्रम के प्रथम चरण में बड़े-बड़े उद्योग धंधों के समाजीकरण का संकल्प, तथा वर्तमान परिस्थिति में रैशनलाइजेशन की अनुपयुक्तता ।

१०--प्रदेश में उच्च शिक्षा की उन्नति के लिये राधाकृष्णन कमीशन तथा आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों को लागू करने का संकल्प ।

११--उत्तर प्रदेश में 'कबाल' शहरों के सी०बी०एल० कबाल शहरों में कार्पोरेशनों की स्थापना और इसी वर्ष चुनाव कराने का संकल्प ।

१२--उत्तर प्रदेश में इसी वर्ष जिला बोर्ड के चुनाव कराने का संकल्प ।

१३--ग्राम पंचायतों के चुनावों में पंचायत टैक्स न अदा करने वाले वोटरों का चुनाव में भाग न लेने का गैर जनतांत्रिक आदेश की निरस्ति की आवश्यकता ।

१४--कुम्भ दुर्घटना कान्ड रिपोर्ट की अपूर्णता पर प्रकाश एवं निश्चय ।

१५--खेती से पैदा होने वाले अन्न यदि तथा कल-कारखानों से पैदा होने वाला कपड़ा, सीमेंट आदि के दामों में न्यायमुक्त संतुलन पैदा करने की आवश्यकता ।

१६--प्रांत में गिरते हुये जन-स्वास्थ्य की समस्या को हल करने की आवश्यकता ।

१७--हरिजन एवं पिछड़ी जातियों के पुनरुत्थान द्वारा सामाजिक एकता लाने के हेतु दृढ़ निश्चय।"

श्रीमन्, माननीय राज्यपाल के सम्बोधन पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, उसमें मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है । यद्यपि माननीय राज्यपाल ने इस साल अपने सम्बोधन में यह स्पष्ट किया है कि भारत का गणराज्य शैशवावस्था को पार कर तरुण हो गया है मगर श्रीमन्, तरुण गणराज्य क्या काम करता है ? निश्चय रूप से राज्यपाल ने उस विषय पर कोई प्रकाश नहीं डाला है । जब शैशवावस्था की समाप्ति हो और तरुणावस्था प्राप्त हो तो कार्यक्रम और नीति का भी परिवर्तन लक्षित होता है । मगर यहां पर जब हम देखते हैं तो वही पुरानी परिपाटी, वही पुराने रंग, वही पुराने ढंग वही चाल, तो फिर पुराने रंग ढंग और पुरानी चाल को रखते हुये श्रीमन्, यदि यह कहा जाय कि विकास हो रहा है और जनतंत्र की परम्परा बढ़ रही है, जनतंत्र अबाध गति से अग्रसर होता जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि वस्तुस्थिति पर अच्छी तरह से प्रकाश नहीं पड़ता है । हमने अपने संशोधन में जिन जिन तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, मैं उन्हीं के बारे में यह चाहूंगा कि सदन देखे कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में कितनी मुख्य और प्रमुख बातों पर प्रकाश नहीं डाला है । बेकारी बढ़ती जा रही है, श्रीमन् । सब लोग मुक्त कंठ से कहते हैं कि बेकारी बढ़ रही है। हमारे देश के प्रधान मंत्री ने भी और अभी-अभी एक हफ्ता पहले सेंट्रल के वित्त मंत्री ने भी कहा है कि बेकारी बढ़ी है ।पंच वर्षीय योजना सही माने में सफल हुयी या नहीं, यदि उसको देखा जाय तो हमें देखना पड़ेगा कि बेकारी और गरीबी में कितनी दूर तक कमी हुयी है ? तो जब बेकारी बढ़ती चली जा रही है, गरीबी बढ़ती चली जा रही है आम जनता की, तो यह कहना कि पंच वर्षीय योजना सफल हो रही है, मैं समझता हूं कि वस्तुस्थिति पर परदा डालने के समान है । दूसरी ओर श्रीमन्, जब मैं आज देखता हूं तो प्रांत में चारों ओर अराजकता और अव्यवस्था बढ़ती हुयी नजर आती है । चाहे जिस क्षेत्र को ले लिया जाय, चाहे जिस क्षेत्र को देखा जाय, हर क्षेत्र में अनियमितता हमको सरकारी पक्ष की ओर से अधिक दिखायी पड़ती है । माननीय राज्यपाल महोदय को इस पर जरूर संकेत करना चाहिये था । श्रीमन्, अभी-अभी हाल की घटना है, मऊ गोलीकांड हुआ । मेरा निश्चित

मत है कि मऊ गोलीकांड बिलकुल गलत ढंग पर, अनुचित ढंग पर, अनावश्यक ढंग पर हुआ है। कोई कारण नहीं था कि वहां पर गोलीकांड होता। आज गोलीकांड जिस ढंग पर हुआ है, मैं किसी भी जनतांत्रिक सरकार के लिये उसको कलंक ही मानता हूं। चूंकि समय की कमी है इसलिये ज्यादा विस्तृत रूप से उस पर इस समय में नहीं जा सकता। फिर विचार करूंगा। उसी के साथ-साथ श्रीमन्, आज आप देखें तो प्रदेश में बिलकुल अनियंत्रित ढंग पर किसी वस्तु का दाम घट जाता है। किसी का दाम बढ़ जाता है। गल्ले की कीमत घटी, गल्ले की कीमत के घटाव के साथ-साथ अन्य वस्तुओं की कीमत में कमी नहीं आयी। फिर गल्ले की कीमत में भी बढ़ोत्तरी हुयी। मालूम होता है कि कोई नियंत्रण नहीं है। मनमाने ढंग पर कीमतों में चढ़ाव उतार हो जाता है। इस पर सरकार का कोई नियंत्रण है या नहीं, इसके ऊपर भी राज्यपाल महोदय को प्रकाश डालना चाहिये था। किस तरह से प्रदेश की उन्नति हो, किस तरह से जनता उत्थान के रास्ते पर अग्रसर हो, इन पर जब मौलिक बातें सामने नहीं रखी जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि एक परिपाटी सी चलती आ रही है और उसी परिपाटी को चलाया जा रहा है।

मैं श्रीमन्, अपने संशोधन के पक्ष में दो एक बातों की ओर और प्रकाश डालना चाहता हूं। अभी कल इसी सदन में कार्य स्थगन का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था। अर्जुन सिंह भदोरिया प्रांतीय प्रजासोशलिस्ट पार्टी के संयुक्त मंत्री हैं। १९४२ की जन क्रांति श्रीमन्, जब हुयी थी तो कई दिनों तक वह अपनी सेना को ले कर, आजाद फौज को लेकर बराबर जंगलों में घूमते रहे। बराबर फरार रहे। उनको उस समय की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। इस वीर सैनानी के साथ कैसा व्यवहार होता है और वह जेल में रखे जाते हैं! एक आदमी मारा जाता है जसवन्तनगर की पुलिस द्वारा और वह अस्पताल में भर्ती किया जाता है। २६ दाग लोहे के लाल करके उसके लगाये जाते हैं और अस्पताल से पुलिस उसको धोखा देकर ले जाती है। भदौरिया साहब खुद लिखते हैं पुलिस के आदमियों को कि जब एक आदमी अच्छा होने के लिये दाखिल हुआ था तो उसको क्यों ले जाया गया? उसे फौरन् दाखिल कराइये। उस पर सुपरिन्टेंडेंट पुलिस की ओर से जवाब दिया जाता है कि यदि वह अच्छा नहीं होता तो अस्पताल से वापस कैसे जाता? फिर जब उन्होंने अनशन किया तो तीन तारीख को उनकी गिरफ्तारी हुई और उनको इटावा जेल ले जाया गया और वहां से मैनपुरी जेल ले जाया गया और आज नवां दिन है उनके अनशन का। ऐसी ऐसी हालतें आज हमारे प्रान्त में हो रही हैं और दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं। मैंने आप के सम्मुख और इस सदन के सम्मुख कई मर्तबा इस चीज को रखा है कि सरकार जनतांत्रिक प्रणाली पर चल नहीं रही है।

क्या राज्य पाल महोदय के लिये उचित नहीं था कि गत २५ अप्रैल को कानपुर के उपनिर्वाचन के अवसर पर, जब ४० व्यक्तियों की अनियमित ढंग पर गिरफ्तारी हुई, उस घटना पर वह प्रकाश डालते और जो सरकारी हस्तक्षेप चुनावों और उप-चुनावों में होते रहे हैं उन पर भी प्रकाश डालते? क्या यह जनतांत्रिक प्रणाली के लिये शोभनीय है? हरगिज नहीं है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि काशी के घाट सुन्दर हों। मैं भी काशी का रहने वाला हूं, और बराबर प्रयत्न करता रहा हूं कि बनारस के घाट इतने सुन्दर हों जिनको कि दुनिया के आगन्तुक देख कर जायं। तो चूंकि बनारस बड़ा रिलीजस तथा प्राचीन सिटी है, उसकी प्रसिद्ध और गौरव की चर्चा सब जगह की जाय। मगर घाट की मरम्मत के नाम पर २८ तारीख को बनारस में जिस तरह से धन का दुरुपयोग हुआ है, मैं उसको कतई पसन्द नहीं करता। मैं भी चाहता हूं कि घाट की मरम्मत हो, ज्यादा से ज्यादा रुपया घाट पर खर्च हो, जल्दी से जल्दी मरम्मत हो। घाट बहुत दयनीय तथा खतरनाक हालत में चले गये हैं। मगर रुपया कैसे खर्च हो रहा है? जिस प्रकार उस रोज वहां समारोह हुआ था, मैं समझता हूं जिन लोगों ने उसको देखा था उन्होंने जरूर कहा था कि यह जो पैसा बहाया जा रहा है, यह इतना बड़ा मंच और यह सज-धज, उस घाट की मरम्मत का इस सजावट से क्या ताल्लुक है? मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी मनोवृत्ति बदली हुई है। हमारे दिमाग में यह बात घुसी हुई है

[श्री राजनारायण]

कि काशी में जिस समय घाटों का निर्माण हुआ, उस समय जो राजा महाराजा नींव डालने आते थे तो बड़ा उत्सव होता था। तो हम चूंकि मरम्मत करने जा रहे हैं इसलिये बड़ा उत्सव होना चाहिये। यदि यह भाव है तो यह जनतंत्र के विरुद्ध है। जनतंत्र में हर जनता राजा होती है। जनता अपनी शक्ति को कुछ कम करके उसको अपने प्रतिनिधि में डाल देती है। जनता के प्रतिनिधि स्वरूप में आज यहां सब लोग आये हुये हैं। इसलिये जनतांत्रिक प्रणाली और एकतंत्र प्रणाली में यदि कोई फर्क न हो तो इसका केवल अर्थ यही है कि हमने जनतंत्र मूल्यों का अच्छे तरीके से अंकन नहीं किया है।

श्रीमन्, बाराबर इस सदन में चर्चा होती है। अभी-अभी पड़रौना में हमारे जगन्नाथ मल्ल जी गिरफ्तार किये गये और आज से स्ट्राइक की नोटिस है। मुझे जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है उसके आधार पर ६,८८,०११ रुपया वहां की मिल पर तनख्वाह और बोनस वगैरह का बकाया है। सरकार कहती है कि हमारी श्रम नीति, औद्योगिक नीति उन्नति कर रही है। क्या यही तरक्की का द्योतक है? किसानों में अशांति हो, मजदूरों में अशांति हों, अध्यापकों में अशांति हो, विद्यार्थियों में अशांति हो, दूकानदारों में अशान्ति हो, जहां देखिये वहां अशान्ति है! निर्मल चन्द्रिका में, प्रफुल्ल मल्लिका में, सब जगह अशान्ति दिखायी देती है; मगर यह सरकार शान्ति ही शान्ति देखती है! चारों तरफ जब उनको शान्ति दिखायी पड़ती है तो मैं क्या कहूं। मैं नहीं समझ पाता हूं कि सरकार ग़लती पर हैं या मैं ग़ल्ती पर हूं? मैं आप के द्वारा निहायत अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि सरकार विकास का अर्थ क्या समझती है। एक बच्चा है जब बड़ा होगा तो वह तरुण होगा और कुछ काम करेगा। मगर वह काम कैसा हुआ कितने द्रव्य से हुआ। माननीय राज्यपाल महोदय को मैं एक बात के लिये धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जो अनुदानों में अनुमानित बजट रखा जाता है वह गलत रखा जाता है और जो वास्तविक खर्चा होता है उससे वह भिन्न होता है। इसको राज्यपाल महोदय ने स्वीकार किया है और बतलाया कि वास्तविक खर्चा बहुत कम हुआ। इस पर मैं चाहता था कि वह कुछ और प्रकाश डालते ताकि जो आने वाले बजट हैं उसमें ज्यादा बजट बना कर सरकार ग़रीब जनता पर कर लगाने की कोशिश में न होती। सरकार इस तरह से जनता पर कर लादने की कोशिश करती रहती है और जनता को तबाही और ग़रीबी की हालत में डालती चली जा रही है।

मैं श्रीमन्, आपसे कहना चाहूंगा कि सिंचाई की बढ़ी हुई दरों के आन्दोलन के संबंध में प्रदेश के तीन हजार से ज्यादा आदमी जेलों में चले गये और सरकार ने १९३२ का स्पेशल पावर ऐक्ट को लागू किया जिसको हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि यह गैर जनतांत्रिक है। इसके बारे में भी राज्यपाल महोदय को चर्चा करनी चाहिये थी। जबकि इस प्रान्त में तीन हजार से ज्यादा आदमी जेल चले जायं और १९३२ का स्पेशल पावर ऐक्ट लागू हो, जिसको काला कानून कहते हैं, और महात्मा गांधी जी ने भी इसको ला लस ला कहा है और माननीय चिन्तामणि जी ने इसको "मार्शल ला विदाउट दैट नेम" कहा है। लेकिन इसके सम्बन्ध में माननीय राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में कोई चर्चा नहीं है! इस पर मुझे बड़ा आश्चर्य और खेद है।

मैं श्रीमन, आपसे फिर कहना चाहूंगा कि आज सरकार यदि विकास देखना चाहती है तो मैं चाहूंगा कि सरकार बेकारी को दूर करने में विकास को देखे, गरीबी को दूर करने में वह विकास को देखे। माननीय केशव गुप्त ने एक बात ठीक कही थी कि यदि धन का उत्पादन हो और उसका समान वितरण न हो, और वह चन्द व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित हो तो उस धन से समाज का उत्थान नहीं हो सकता है, देश का उत्थान नहीं हो सकता है। चन्द व्यक्तियों का हो सकता है जो मंत्रिमंडल में आ गये हैं। फिर सरकार रूस को क्रिटिसाइज क्यों करती है? आपने श्रीमन्, अभी से लाल बत्ती जला दी। अभी तो हमें और समय मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--आपने जब अपना संशोधन पढ़ा था उसमें जो समय लगा वह समय तो मैंने आप के समय में से काट दिया है। आपका संशोधन ही ५,७ मिनट का था।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं केवल दो चार मिनट ही लूंगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि आज शहरों में जमींदारी का उन्मूलन क्यों नहीं हो रहा है? यह शहर की जनता के उत्थान का द्योतक है या अनुत्थान का द्योतक है? इसकी तीन चार मर्तबा चर्चा भी हुई लेकिन राज्यपाल महोदय ने सारा मामला गोल कर दिया है। एक बात उन्होंने कही, मैं उसकी चर्चा कर देना चाहता हूं। वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में आप ने कह दिया है कि कोई चर्चा नहीं होनी चाहिये। लेकिन इतना तो मैं मानता हूं कि जैसी हमारी वैदेशिक नीति होनी चाहिये थी वैसी यदि होती तो हमारा प्रतिष्ठा-सम्मान और बढ़ा होता। केवल कह देने से कोई काम नहीं चला करता है। जब तक सिद्धांत, कार्य-क्रम और दर्शन ठीक तरह से नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। श्रीमन्, आपने देखा होगा कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी चाइना गये और वहां से जब लौट कर आते हैं तो हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी को एंटी नेशनल, एंटी कंट्री और एंटी सोशल कहते हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री राजनारायण--अध्यक्ष महोदय, मैं आगे जाना नहीं चाहता हूं। केवल इतना ही कहना है कि हमारी नीति स्वस्थ होनी चाहिये। मैं शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिस तरह के विधेयक आजकल आ रहे हैं उनसे जनतंत्र वाद की कोई बात मिलती नहीं है। जिस तरह से माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था चल रही है वह ऐसी है कि यदि आप उसके डिटेल्स में जायंगे तो आप भी हमसे सहमत होंगे कि आज शिक्षा के क्षेत्र में अराजकता का बोल बाला हो रहा है। एक शिक्षा विभाग के डायरेक्टर का सर्क्यूलर गया कि अध्यापकों और विद्यार्थियों की राजनीतिक गतिविधि पर रिपोर्ट की जाय। इसके क्या माने हैं? इसका मतलब यही होता है श्रीमन्, कि ऐसे विद्यार्थी और अध्यापक जो सरकार की रीति-नीति से अपने को मेल नहीं खिलाते हैं उनके बारे में सरकारी कृपा दृष्टि कुकृपा दृष्टि में परिणत हो जाती है। इसके सिवाय कोई दूसरा मतलब है नहीं। हाई कोर्ट में इस सरकार के ऊपर कई बार आपत्ति की गयी है। उनकी गतिविधि पर फतेहपुर के वंशगोपाल का मामला और वहां की शिक्षा के मामले में हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। सरकारी आदेश को स्थगित कराया और आज तक, मुझे मालूम हुआ है कि वहां के बारे में सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो एक वाक्य में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि विकास हो, उत्थान हो, तरक्की हो, लेकिन आज की सरकार का जो कार्यक्रम है वह विकास, तरक्की और उत्थान से विपरीत जा रहा है। जनतांत्रिक प्रणाली सरकार अख्तियार करे, देश की ग़रीबी और बेकारी को खत्म करने के लिये ठोस कार्यक्रम चलाये, तब काम बन पायेगा, केवल लम्बे चौड़े शब्द जाल को बिछा कर समाजवाद या सोशलिस्टिक पैटर्न का नाम लेने से समाज का कल्याण होने वाला नहीं है।

श्री हरगोविन्द पन्त--माननीय अध्यक्ष महोदय, आप की अनुमति से मैं अपना संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं जो इस प्रकार है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल के भाषण में किस्मत कुमायूं में भूमि सम्बन्धी कानून बनने की कोई आशा नहीं दर्शाई गई है और न वहां की गरीबी को दूर करने के लिये कोई विशेष आयोजन का निर्देश किया गया है, यद्यपि कुमायूं में शीघ्रातिशीघ्र भूमि सम्बन्धी प्रदेश के अन्य भागों के समान ही कानून बन जाने तथा बढ़ती हुई ग़रीबी और बेरोजगारी को खत्म कर देने की नितान्त आवश्यकता है।"

[श्री हरगोविन्द पन्त]

यद्यपि मैं माननीय राज्यपाल महोदय की सद्भावनाओं की प्रशंसा करता हूं, और जो प्रस्ताव उनको धन्यवाद देने के लिये प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करता हूं, तथापि अपने कर्तव्य के कारण मैं इस संशोधन को उपस्थित कर देना नितान्त आवश्यक समझता हूं। मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि माननीय राज्यपाल साल भर के अपने समय का एक हिस्सा पर्वतीय प्रान्तों की भलाई के लिये उनको देते हैं, वहां रहते हैं, और बड़े लम्बे-चौड़े दौरे भी लगाया करते हैं और मैं समझता हूं वहां की परिस्थिति से वह परिचित भी हैं। परन्तु न मालूम किस कारण उनका ध्यान कुमायूं के ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर क्यों नहीं गया? सम्भव है उनके परामर्श देने वालों ने इस विषय को इतना महत्वशाली नहीं समझा! यदि ऐसा हो तब तो मैं समझता हूं कि इसकी नितान्त आवश्यकता तो आप सब लोगों को समझ ही लेनी चाहिए। कुमायूं में भूमि सम्बन्धी जो व्यवस्था है वह हर प्रकार से बिल्कुल असन्तोषजनक है। कई जिलों में तो वहां सन् १८७२ से अभी तक बन्दोबस्त नहीं हो पाया है पूरे तौर पर। सबसे पहला बन्दोबस्त सन् १८७२ ई० में हुआ था। उसके बाद कुछ जमीनें जो बाद को आबाद हुईं केवल उनमें नयाबाद जमीन पर ही केवल १९०० से १९०३ तक एक बन्दोबस्त किया गया। परन्तु पुरानी जमीन का कुछ भी विचार नहीं किया गया और उस बन्दोबस्त में वह शामिल नहीं की गयी। नतीजा यह हुआ है कि तब से माल के कागजात कुमायूं में बिल्कुल एक प्रकार से नष्ट भ्रष्ट रूप में हैं। कभी-कभी यह देखने में आता है कि अदालतों में मुकदमे होते हैं तो लोग नक्शों की इन्तखाबों की ग्रान्ट और खसरों की नकल मांगते हैं। तो उनको लिख दिया जाता है कि इस स्थान पर कागज फटा हुआ है। बड़ा कठिन हो जाता है किसी के भूमि के अधिकार की बाबत क्या फैसला किया जाय? एक तरफ से सही फैसला करना असम्भव हो जाता है। इतना ही नहीं, वहां १८७२ से आज तक कहीं कोई कोशिश नहीं की गयी कि किस जमीन में किसका कब्जा है? जो लोग काबिज, है उनका नाम कहीं किसी कागज, में लिखायी नहीं देता। इसके लिए कोई प्रबन्ध भी नहीं है। इसका नतीजा यह होता है कि कई लोगों की तरफ से दरख्वास्तें आती हैं कि हमें बेदखल किया गया है और हमारी जमीन में हमें कायम कर दिया जाय। परन्तु ऐसी व्यवस्था है कि वहां किसी का नाम कागज से पता ही नहीं चलता है कि किन खेतों में, कितनी एरिया में किसका कब्जा है। दीन किसान और खासतौर पर जो हरिजन हैं वे बेदखल किये जाते हैं क्योंकि नया कानून आने की सम्भावना जमींदार भी मानते हैं। जहां सरकार की तरफ से शायद इस प्रश्न पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना देने की नितान्त आवश्यकता है।

प्रत्येक जिले में जब कि जमींदारी विनाश कानून जारी हो चुका है, वह कानून एक प्रकार से पुराना भी हो चुका है यहां तक कि कई संशोधन भी उपस्थित किये जा चुके हैं और वह पास हो चुके हैं। इन चार कुमायूं के जिलों को क्यों छोड़ दिया गया है? यह ऐसी बात है जिस पर मैं आशा करता था कि अपने भाषण में माननीय राज्यपाल कुछ इशारा करेंगे और कुछ आशा दिलायेंगे। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। इस सदन में कुमायूं के लिये यहां एक विधेयक पास किया गया था जिससे कि यह आशा की जाती थी कि काश्तकारों को बेदखली से बचाया जायेगा, और जो नयाबाद जमीन वहां आबाद हुई है उस पर कोई मालगुजारी आंकी जाय जिससे सरकार की कुछ आमदनी बढ़े। लेकिन उस पर भी आज तक कोई कार्यवाही होती हुई नहीं देख रहा हूं। कुमायूं में न तो जो लोग बेदखल किये जा रहे हैं उनकी रक्षा के लिए कोई प्रबन्ध किया गया है और जो नयी जमीनें हैं जिन पर लगान लगा कर सरकार को आमदनी हो सकती है, उस पर मालगुजारी लगाने का ही कोई प्रबन्ध किया गया है। ऐसी हालत में यह प्रश्न बहुत आवश्यकीय है। इतना ही नहीं, मैंने तो देखा है कि कुमायूं का उत्तरी हिस्सा, जो तिब्बत और नैपाल से मिला हुआ है, जहां पर विदेशियों का आना जाना है, उन जगहों में वहां की जनता इस भूमि के कानून की अपूर्णता का

अनुभव कर रही है और कई कमियों के होने के कारण अधिक असन्तुष्ट है। मैं जानता हूं कि वहां के परगनों में, जोहार और दारगा में जमींदार छोटे-छोटे जरूर हैं। लेकिन उनका अन्याय और अत्याचार जनता पर अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। छोटे जमींदार क्या अन्याय कर सकते हैं, ऐसा लोग कह सकते हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि उनके ऊपर यह कहावत चरितार्थ होती है कि जितना छोटा उतना खोटा। उनके जो काश्तकार हैं उन लोगों से वे हर तरह का बेगार का काम लेते हैं। जब व्यापार वगैरह करने के लिए तिब्बत जाते हैं तो वहां उन लोगों से केवल सेवा का काम लिया जाता है। उनके पास धन तो है नहीं जो माल खरीद सकें। केवल वह लोग भार वाहक होते हैं। जब कभी उनको थोड़ा सा रुपया कर्जा दिया जाता है तो उन पर बहुत ज्यादा सूद भी लिया करते हैं। ऐसी हालत में मैं तो यह समझता हूं कि सारे प्रदेश में से कुमायूं के चार जिलों में, और खासकर सीमावर्ती इलाकों में, इस भूमि व्यवस्था कानून के बनाने की सबसे अधिक आवश्यकता है। इसकी बाबत एक कमेटी भी बैठी थी। उसमें विचार भी हुआ था और वहां के प्रतिनिधियों की तरफ से कुछ सुझाव भी आये थे। मैं समझता था कि इस सेशन में कुछ न कुछ कानून वहां के लिये बन जायगा, पर इस प्रकार की किसी आशा की झलक महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन में दृष्टिगोचर नहीं हुई। वरन् उक्त भाषण को पढ़ने के बाद मुझे निराशा हुई। इसलिये मैंने यह प्रस्ताव पेश किया है। अकेला मैं ही इस कानून की परमावश्यकता को अनुभव नहीं कर रहा हूं। मुझे हर्ष है कि सदन के अन्य सदस्यों ने भी कुमायूं के लिये इस कानून के सम्बन्ध में अपनी राय प्रकट की है। हां, यह जरूर है कि विरोधी दल के नेता जी ने इसको इतना महत्व नहीं दिया और उन्होंने अपने भाषण में इसका तनिक भी जिकर नहीं किया।

इसके बाद मैं दूसरी बात जो कहना चाहता हूं वह यह है कि कुमायूं में बेरोजगारी हद दर्जे तक पहुंच गयी है। शिक्षित नवयुवकों को काम नहीं मिलता है जिससे उनके अन्दर निराशा और असन्तोष दिखाई देता है। जैसा कि मैंने कहा उत्तरी हिस्से में तिब्बत और चीन की सीमा होने के कारण जो लोग सीमा के रहने वाले हैं वह कुछ काम नहीं पा रहे हैं, इसलिये उनमें असन्तोष की भावना हो गयी है, तो वहां पर घोर संकट की आशंका भी हो सकती है। मैं यह समझता हूं कि कुमायूं की भूमि की व्यवस्था के लिये जो कानून बनाना है उसको शीघ्र ही बनना चाहिये। जहां एक तरफ छोटे-छोटे जमींदारों की भूमि की व्यवस्था कर काश्तकारों को मौका दिया जाना आवश्यक है कि वह अपना काम चला सके, दूसरी तरफ बाहर के लोग हैं जिनकी माली हालत अच्छी है। उनको तराई भाबर में बड़ी-बड़ी जमीनें दी जाती हैं। कुमायूं में जमींन की इतनी कमी है कि लोगों को कमाने के लिये जमींन का मिलना कठिन हो गया है। इसलिये यह जरूरी है कि वहां पर उनके लिये जमींन की व्यवस्था की जाय। तराई भाबर ऐसी जमीन है जहां पर लोगों को जमींन कमाने के लिये मिल सकती है और उस भूमि पर उनका जन्मजात अधिकार है। जिनको पहाड़ में जमीन नहीं मिलती वह लोग इस जमींन पर काम करके अपना गुजारा कर सकते हैं। आज वह जमीन बाहर के लोगों को दी जाती है। वह सैकड़ों बीघा और सैकड़ों एकड़ जमीन बाहर के लोगों को, बड़े-बड़े जमींदारों को दी जाती है। इसलिये मैं समझता हूं कि कुमायूं के पहाड़ों तथा तराई भाबर में शीघ्रातिशीघ्र भूमि की व्यवस्था की जानी नितान्त आवश्यक है, जिससे सबको जमीन मिल सके। यह प्रस्ताव बड़ा महत्वपूर्ण है और मुझे आशा है कि इस प्रश्न पर सरकार शीघ्र से शीघ्र विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष—मेरे पास दो संशोधन आये हैं। एक तो श्री रामदास आर्य का है और दूसरा श्री महीलाल का है।

श्री रामदास आर्य जिन शब्दों को इसमें जोड़ने का प्रयत्न करते हैं उसका कुछ हिस्सा तो नियमित है, और बाकी वह ऐसे प्रस्ताव को पेश करना चाहते हैं जिसमें

[श्री अध्यक्ष]

वे बातें दी हुई हैं जिन्हें कराना वे आवश्यक समझते हैं। इस प्रकार से वे सुझाव इस प्रस्ताव में जुड़ नहीं सकते हैं। इस प्रकार से इन हिस्सों को जोड़कर वे जो एक नीति निर्धारित करना चाहते हैं तो उसके लिये उन्हें अलग से प्रस्ताव लाना उचित होगा, वह इस प्रस्ताव के साथ नहीं जुड़ सकता है। इसलिये मैं इसको अवैध करार देता हूं।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)---अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय---

"किन्तु सदन को खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में सुदृढ़ प्रशासन व्यवस्था तथा चरित्र निर्माण के सम्बन्ध में विशेष रूप से कुछ नहीं कहा गया है।"

अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल के भाषण को सुन कर मुझे जो हार्दिक हर्ष हो रहा था उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। यद्यपि विशेष रूप से मैं उनको धन्यवाद इस बात के लिये देना चाहता हूं कि गो-वध निषेध के सम्बन्ध में उन्होंने घोषणा की, लेकिन उसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने शासन व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश नहीं डाला, ऐसा प्रतीत होता है। यद्यपि आजकल के शासन में मैं देखता हूं कि पूर्व पेक्षा बहुत सुधार हुआ है, और सुधार करने की भावना भी है, परन्तु साथ ही साथ अभी मैं समझता हूं कि उसकी प्रगति में बहुत वृद्धि होने की आवश्यकता है। और जितनी शीघ्रता से प्रगति होनी चाहिये उतनी शीघ्रता से नहीं हो रही है। मैं देखता हूं कि ग्रामीण जनता पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। कारण यह है कि एक तो वह बहुत सी बातों को समझते ही नहीं है। दूसरे उनको बहकाने वाले बहुत से पहुंच जाते हैं, वे लोग इधर-उधर की बातें करते हैं जिससे ग्रामीण लोग भड़क जाते हैं और उसके कारण बड़ी गड़बड़ पैदा हो जाती है। शासन व्यवस्था ऐसी नहीं है कि गरीबों की आसानी से सुनवाई हो सके। शासन व्यवस्था को ठीक करने के लिये बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन कभी-कभी ढीले काम भी हो जाते हैं जिनके कारण मुसीबत पैदा हो जाती है। करों की भयंकर वृद्धि हो जाती है, जिससे जनता को बड़ी परेशानी हो जाती है। इसके साथ ही साथ पंचायत करों का भार भी बहुत बढ़ गया है और देहाती क्षेत्र की जनता असंतुष्ट हो रही है. तिस पर बहुत से लोग बहकाने वाले उनके बीच में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर वे स्वयं प्रबन्ध करने लगें तो शायद इनसे अधिक भयंकर साबित हों। कभी-कभी गरीब लोग अफसरों के पास जाते हैं तो वे लोग कह देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं? और कहीं-कहीं तो उन लोगों को गालियां तक मिल जाती हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं, लेकिन उन सब को यहां इस समय में कहना उचित नहीं समझता। यदि आवश्यकता होगी तो मैं स्वयं जाकर मंत्रियों से इस बात को कहूंगा।

इस समय जो मुख्य बात है वह यह है कि आज जो कोई भी अधिकार पाता है वही गड़बड़ी करने लगता है, उसका कारण एकमात्र यही है कि लोगों का ध्यान चरित्र निर्माण की ओर बिल्कुल नहीं है जिसके बिना वे यह नहीं समझ पाते कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा कर्त्तव्य क्या है, क्योंकि वे इस बात पर पूरी तरह से विचार ही नहीं करते उनको तो एक दम यही समझ में आता है कि अब सत्ता उनके हाथ में आ गयी है और अब उनको पैसा कमाना चाहिये। इस प्रकार से लोग पैसे के लोभ में फंस कर अनेक प्रकार की बुराइयों में पड़ जाते हैं। इस प्रकार से समाज में गड़बड़ी पैदा हो रही है। इसलिये इस चरित्र निर्माण की आज इतनी आवश्यकता है कि अगर इसकी ओर पूर्णरूप से ध्यान दिया जाय तो सारी समस्यायें अपने आप ही हल हो सकती हैं। आज जिधर देखिये उधर ही गड़बड़ी मची हुयी है, कहीं भ्रष्टाचार फैला हुआ है तो कहीं रिश्वत का बोलबाला है। आजकल समाचार पत्रों में जो बातें निकलतीं हैं उनमें बहुत सी ठीक भी होती हैं, उनसे मालूम होता है कि कहीं किसी अबला पर अत्याचार हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार फैला हुआ है तो कहीं डकैती और कत्ल हो रहे हैं! आज जो हमें चारों

ओर अनुशासन की गड़बड़ी दिखायी देती है वह इसी चरित्र निर्माण की ओर लोगों का ध्यान न होने के कारण ही दिखायी देता है। समाचारपत्रों में हम यह भी देखते हैं कि उसमें से विज्ञापनों में ऐसी-ऐसी बातें निकलती हैं जो वास्तव में घृणित होती हैं। आजकल सिनेमा में बहुत से खराब चित्र दिखाये जाते हैं। एक ओर तो कहा जाता है कि धूम्रपान न करो, लेकिन दूसरी ओर अनेक प्रकार से हम देखते हैं बीड़ी, सिगरेट का प्रचार हो रहा है। और कहीं ऐसे चित्र दिखालाये जाते हैं जो शृंगार रस के होते हैं। शृंगार रस के लिये मैं मानता हूं कि नौ रसों में शृंगार रस सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन उसका जो वर्णन ग्रंथों में है वह कुछ दूसरा ही है। आज के कलियुग में ही शृंगार रस का ऐसा वर्णन मिलता है जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि छोटे-छोटे बालक शृंगार रस के चित्रों को देख शृंगार रस की कविता करते हैं! आजकल बहुत से कवि सम्मेलन होते हैं, मुझे भी कभी-कभी उनका अध्यक्ष बनाया जाता है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि छोटे-छोटे बालक शृंगार रस की कविता करते हैं और बिरह आदि की बातें करते रहते हैं! फिर उनमें क्या सुधार हो सकता है? अगर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया जाता कि वे ब्रह्मचर्य का पालन करें और वे अपने कर्त्तव्य को इस प्रकार से निर्वाह करें जिससे कि उनका चरित्र सुधरे और विद्यार्थी विद्या का अध्ययन करें? इन सब बातों को देखते हुये यह बात ऐसी है कि शृंगार रस के पीछे हमारे छोटे-छोटे बालक कुछ ध्यान नहीं देते और चारों तरफ रंग-बिरंगे, टाट-बाट और तड़क-भड़क की बातें हैं। मैं देखता हूं कि जहां-जहां शृंगार रस है उसी की वजह से चरित्रहीनता है। श्रीमती लीलावती मुंशी ने एक बड़ा ही सुन्दर प्रस्ताव पार्लियामेंट में पेश किया था कि ऐसे चित्र न दिखलाये जायं जिनका प्रभाव बच्चों के ऊपर बुरा पड़े। किन्तु महामान्य राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में मैंने सिनेमा चित्र सम्बन्धी कोई बात नहीं देखी तो मुझे वह बात खटकी कि इसके ऊपर कुछ न कुछ प्रकाश तो डालना ही चाहिये था जिससे लोग अपने चरित्र का निर्माण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सदाचारी बनें और अपने कर्त्तव्यों को निबाहें। और तभी हम देश को और संसार को सुधार सकेंगे। किन्तु जो स्वयं अपना सुधार नहीं कर सकता वह दूसरे का क्या सुधार कर सकता है? वह क्या विश्व का सुधार कर सकता है, वह क्या अपने देश का और प्रदेश का सुधार कर सकता है? इसलिये आज जो गड़बड़ी मची हुई है उसको देखते हुए ऐसा व्यवहार सब के साथ करना चाहिये जिससे आगे सुधार हो सके। किसी के साथ असभ्यता का व्यवहार करना, किसी के साथ छेड़-छाड़ करना और-और भी बहुत सी गड़बड़ी करना, जिनको इस सदन में कहते हुए संकोच होता है कि ऐसी बातें यहां नहीं कहनी चाहिये, लेकिन उनको देख कर हार्दिक दुःख होता है। इसलिये मैं श्रीमान् के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से आशा करता हूं और विश्वास करता हूं कि वे स्वयं इसमें सुधार करने का विचार करेंगे। फिर भी मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि चरित्र-निर्माण की तरफ शासन द्वारा विशेष ध्यान दिया जाय तो उनमें बहुत कुछ सुधार हो सकता है। ऐसा भी देखने में आता है कि बहुत से गलत लोग जनता को गलत ढंग से भड़काते फिरते हैं। अभी पिछले चुनाव की बात है कि ऐसे लोग जिनको इतने कम वोट मिले कि उनकी जमानतें तक जब्त होगयीं, लेकिन वे आज जनता को भड़काते फिरते हैं और बहुत से एसी बातें करते हैं जिससे सरकार की बदनामी होती है। सरकार को ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कि उन्हें ऐसा अवसर ही न मिले कि वे जनता को भुलावे में डाल सकें। सरकार को ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे वह शिकायत ही दूर हो जाय। अभी गो-वध निषेध के सम्बन्ध में जो संकेत महामान्य राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में किया कि उसे बन्द करने का अधिनियम बनाने का प्रस्ताव सरकार ने स्वीकार कर लिया है, उससे गो-वध बन्दी का सत्याग्रह बन्द हो गया। अगर चरित्र निर्माण के लिये सरकार द्वारा प्रबन्ध किया जाय और उसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाय तो हमारे देश का और हमारे प्रदेश का बड़ा सुधार हो सकता है। इन थोड़े शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को पेश करता हूं।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह (जिला टेहरी गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, मैं महामान्य राज्यपाल को उनके सम्बोधन के लिये धन्यवाद देता हूं और विशेष कर उनको इन शब्दों के लिये हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने अपने सम्बोधन के अन्त में कहा है। उन्होंने कहा और हमें सचेत किया कि "हमें नहीं भूलना चाहिये कि उत्तर प्रदेश इस देश का सब से बड़ा अंग है। बहुत दृष्टियों में सब से अधिक प्रगतिशील राज्य भी है। जो महत्व इस प्रदेश का है उससे हमारा उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। उसे हमें प्रत्येक क्षण पूरा करते रहना होगा।"

अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल को धन्यवाद देते हुए और इन शब्दों की ओर संकेत करते हुये मुझे दुख होता है और मैं अपना खेद प्रगट करना चाहता हूं कि मैं महामान्य राज्यपाल के इन शब्दों के साथ सहमत नहीं हूं, जो उन्होंने आरम्भ में कहे हैं कि "पिछले बारह महीने से यह राज्य सभी दिशाओं में सतत् और शीघ्र प्रगित करता रहा है।" इतना तो मैं मानता हूं कि यह प्रदेश प्रगति की ओर बढ़ा है और इसको मानने में किसी को आपत्ति न होगी। वास्तव में प्रगति हुई है, चाहे वह कितनी ही क्यों न हो। लेकिन अगर यह कहा जाय कि हर एक दिशा में इस सरकार ने और इस प्रदेश ने प्रगति की है तो यह गलत बात है और ऐसा कहना उचित न होगा। मैं यह मानता हूं कि हर एक दिशा में एक साथ प्रगति हो भी नहीं सकती और ऐसा होना असम्भव है, लेकिन जब एक साथ असम्भव है तो साथ ही यह भी उचित न होगा कि किसी भी एक दिशा में प्रगति बिलकुल छोड़ ही दी जाय। यदि यह समझा जाय और यह उपाय निकाला जाय कि फिलहाल एक कार्य में प्रगति कर ली जाय और उसके बाद दूसरे काम की ओर कदम उठाया जाय, तो यह तरीका उचित न होगा और न इस प्रकार से किसी देश का या प्रदेश का शासन चलाया ही जा सकता है। इस कठिनाई को पेश करने के बाद मैं समझता हूं कि हमारे लिये प्रत्येक दिशा में प्रगति करना आवश्यक है, और जिस एक दिशा में प्रगति नहीं हुई है, और जिसमें प्रगति होना बहुत ही आवश्यक है वह है इस प्रदेश के स्पोर्टस् में। आपको शायद मालूम होगा कि किस कुगति में स्पोर्टस् इस प्रदेश में हैं। मैं श्रीमन्, आपकी और सदन की जानकारी के लिये पिछले दो सालों में जो हमारे सूबे ने स्पोर्ट में एचीवमेंट किये हैं उनका संक्षेप में विवरण आपकी आज्ञा से रखना चाहूंगा। हालांकि स्पोर्टस् का विषय जिसे खेल-कूद कहते हैं देखने में बहुत मामूली सा दिखाई देता है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें किसी की दो राय न होंगी कि इस दिशा में प्रगति करना हमारे लिये बहुत ही आवश्यक है। और वह केवल इसीलिये नहीं कि प्रदेश का नाम बढ़े बल्कि जिससे हमारे युवक स्वस्थ और स्पोर्टस्मेन बने। पालिटिक्स ही एक चीज नहीं है कि जिसमें हम लगे रहें, उसमें लगे रहने के बावजूद भी हमारे लिये स्पोर्ट की ओर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। इसके अतिरिक्त जैसा कि विरोधी दल के नेता और दूसरे लोगों ने कहा और संकेत किया, बेरोजगारी बढ़ रही है, इनडिसिप्लिन है, तो स्पोर्टस्मैन-स्पिरिट का इन पर अच्छा असर पड़ेगा। स्कूल क्रिकेट के सम्बन्ध में आपको बता दूं कि हमारे स्कूलों ने उस प्रदेश के सन् ५३–५४ में भाग ही नहीं लिया और सन् ५४–५५ में पहले ही राउन्ड में यहां की टीम हार गई। उसके बाद रांजी ट्राफी में यहां की टीम गई वह ५३–५४ में पहले ही राउंड में हार गई और उसी तरह से ५४–५५ में भी वह पहले राउण्ड में हार गई। इसी तरह से फुटबाल में पहले ही राउन्ड में वह बिहार के खिलाफ हारी और उसके बाद अगली बार भी बम्बई के खिलाफ वह हारी। कहने को तो हमारा सबसे बड़ा प्रदेश है और माननीय राज्यपाल ने भी हमें बताया कि यह सब से बड़ा सूबा है, यहां ५ यूनिवर्सिटीज हैं और आमदनी आबादी के लिहाज से यह सूबा सबसे बड़ा सूबा है। इस चीज को ध्यान में रख कर, स्पोर्टस् में यह दशा देख कर मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी स्वयं लज्जित होंगे।

हां की के सम्बन्ध में मैं बता दूं जिसमें पहले यहां की टीम का नाम बहुत ऊंचा था, उसके सम्बन्ध में सन् ५३-५४ में यह हुआ कि यहां की टीम सेमी फाइनल ही में, फाइनल तक पहुंच भी न सकी, और सेमीफाइनल में ही बंगाल के खिलाफ हार गई। इसी तरह से बैडमिन्टन में ५३-५४ में

यहां की टीम खेली ही नहीं और अगले साल खेली तो उसमें भी हार गई। टेबिल टेनिस में यहां की टीम तैयार ही नहीं हुई। इस प्रदेश में टेनिस का बहुत ऊंचा नाम था। टेनिस के सम्बन्ध में हम अपनी टीम पिछले दो वर्षों में तैयार नहीं कर पाये हैं! स्विमिंग के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले वर्ष भाग लिया था और जो इंटर स्टेटस् टूर्नामेंट हुआ था उसमें आश्चर्य होगा कि उसमें एक मात्र जीरो प्वाइंट भी नहीं मिला। इस साल वह हुआ नहीं। साइकिलिंग की हम कोई टीम नहीं बना पाये। जो प्योर ऐंड सिम्पिल ऐथलेटिक होती है, उसमें ५३–५४ में भाग नहीं लिया! इस साल ११ फरवरी से वह आरम्भ होगा। बालीबाल में पिछले साल हमने भाग नहीं लिया और इस साल पंजाब के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में हारे।

तो अध्यक्ष महोदय, इस रिकर्ड को सुनने के बाद मुझे आशा है कि हमारे मंत्री महोदय इस ओर भी ध्यान देगें और महामान्य राज्यपाल ने जो इस विषय पर चर्चा नहीं कि है, और इसके महत्व को घटाया है, वह मैं समझता हूं कि अनुचित था और इसके लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि अब सरकार उस पर विचार करेगी।

मैंने शुरू में यह मान लिया है कि जब हमारे सामने बहुत सी महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जिनका हल करना अत्यावश्यक है—जैसे खाद्यान्न की समस्या, सड़कों की समस्या, शिक्षा की समस्या, तो मैं मानता हूं कि ऐसी वस्तुओं के सामने sports को हम इतना महत्व नहीं दें सकते, लेकिन यह कि हम इसको बिलकुल सेकन्डरी पोजीशन में रेलीगेट कर दें उचित नहीं होगा। इसलिये मैं सरकार से कहूंगा कि सरकार इस पर अवश्य ध्यान दे। पैसे का सवाल विशेष नहीं है। मैं इतना अवश्य कहूंगा कि स्पोर्टस् के सिलसिले में काफी रुपया खर्च किया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज अलग खर्च करती हैं, प्रान्तीय रक्षा दल अलग खर्च करता है, पुलिस का विभाग अलग खर्च करता है, विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग ऐसोशियंशन्स हैं जो अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार खर्च करते हैं, लेकिन ताज्जुब और दुख यह है कि इतना खर्च होने के बाबजूद भी हमारी हालत यह है कि हम सब खेलों में सबसे पहले ही हार जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसका मूल कारण यह है कि और विभागों की तरह यहां भी बिलकुल कोआर्डिनेशन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जितना पैसा हमारा खर्च हो रहा है यदि वही पैसा समुचित रूप से खर्च किया जाय, यदि उसी पैसे को किसी प्लान के मुताबिक खर्च किया जाय, तो मैं समझता हूं, और समझता ही नहीं हूं बल्कि मेरा विश्वास है कि हमारा यह रिकर्ड शीघ्र ही परिवर्तित हो जायगा। इस सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि पेप्सू में स्पोर्टस् को इतना महत्व दिया गया है कि वहां एक डिप्टी मिनिस्टर इसी काम के लिये कायम कर दिये गये हैं जिनका यही एक पोर्टफोलियो है! और मध्य प्रदेश में भी मेरी जानकारी के अनुसार यही कर दिया गया है। मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि हमारे अपर हाउस में स्पोर्टस् के एक बहुत ही बड़ी जानकारी रखने वाले व्यक्ति हैं, या कोई और इस काम के लिये रखा जाय। मेरा सुझाव यह भी है कि एक समिति बनाई जाय जो कि इस समस्या को देखे, और जिस प्रकार और समस्याओं की जांच की गई है उसी प्रकार इस विषय की भी जांच की जाय और इस कमेटी की सिफारिशें और रिकन्मेंडेशन्स मानी जायं। मन्त्री महोदय को यह मालूम ही है कि अभी हाल ही में रूस से यहां फुटबाल की टीम आई। मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय यह तो नहीं कहेगें कि हमारे देश में खेल के लिये कोई स्थान नहीं है। रूस में इसको स्थान दिया जाता है जो कि बिल्कुल एक तरफ है और अमेरिका में भी उसके लिये स्थान है जो राजनीतिक दृष्टिकोण में बिल्कुल अलग है। मैं समझता हूं कि इसमें राजनीति का कोई सवाल नहीं उठता और मैं यह भी समझता हूं कि यदि कोई प्रदेश या कोई प्रादेशिक सरकार इस दिशा में अग्रसर हो और इसके महत्व को सही रूप से समझ तो कोई लज्जा की बात उसके लिये नहीं है, और न वह कोई ऐसी बात है जिसके लिये उसका मजाक उड़ाया जाय कि यह सरकार खेलकूद में ही लगी हुई है और देश और जनहित के सम्बन्ध में कुछ नहीं कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, जो इससे युवकों में डिसिप्लिन फैलेगा, कम्पीटीटिव स्प्रिट बढ़ती है उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता, वह सभी को मालूम है। लेकिन आज यह आवश्यकता हो गई है कि हमारे मंत्री महोदय और सरकार एक कमेटी बनायें। मैं समझता हूं कि दस व्यक्तियों की कमेटी हो और वह पूरे प्रदेश भर की समस्या की जांच करे और शीघ्रतिशीघ्र सरकार के सामने

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

सिफारिशें दे कि किस तरह से स्पोर्टस् में उन्नति लाई जा सकती है और क्या दिक्कतें आज उसके सामने हैं ? किस प्रकार उसकी आर्थिक दशा सुधारी जा सकती है ? लेकिन जैसा मैंने शुरू में कह दिया है, आर्थिक समस्या उतनी बढ़ी नहीं है जितनी कि बाहरी रूप से दिखाई देती है। पैसा खर्च हो रहा है। जो पैसा अभी खर्च हो रहा है वह अभी अलग-अलग विभागों द्वारा खर्च हो रहा है। एक किस्म के तमाशे किये जाते हैं। कभी सुनते हैं कि पुलिस का तमाशा होने वाला है और कभी प्रांतीय रक्षक दल का तमाशा होने वाला है। अभी पाकिस्तान की टीम क्रिकेट खेलने आयी थी। लेकिन इसका प्रबन्ध क्रिकेट एसोसियशन के हाथ में नहीं रहा, Central Ministry of Education द्वारा पाकिस्तान की टीम बुलाई गई थी। और अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप भी क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं आपने उस मैच को संभवतः देखा होगा ? मुझे अध्यक्ष महोदय, दुख हुआ जब मैंने देखा कि करांची के स्कूल की जो टीम यहां आई उसने किस प्रकार यहां खेला और कैसी स्पोर्टमैन स्प्रिट दिखाई और हारा हुआ मैच उन्होंने किस प्रकार जीता! यह भावना यदि हम में और हमारे युवकों में हो जाय और हमारे स्कूल के विद्यार्थियों में यह भावना पैदा हो जाय कि हारने के बाद जीतें, और जीतें भी तो सही रूप से जीतें, यह नहीं कि अनुचित और unsporting रूप से, जब तक यह स्प्रिट नहीं आती तब तक sportmenship पैदा नहीं होगी। हम आपस में लड़ेंगे, दूसरे की उन्नति बिना डाह के नहीं देख पायेंगे। दूसरे को गिरा कर और गिराने के बाद उसमें अपनी उन्नति समझेंगे।

श्री विष्णुदयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से महामान्य राज्यपाल के संबोधन पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसमें संशोधन प्रस्तुत करता हूं। प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने संबोधन में पिछड़े वर्ग को उन्नत बनाने तथा राज्य में प्रचलित पक्षपात के उन्मूलन के संबंध में कोई चर्चा नहीं की।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करते वक्त हमारे साथियों ने काफी यशोगान किया कि हमारी सरकार ने यह किया और वह किया—जैसे कि शेखचिल्ली गाया करते हैं। राज्यपाल ने यह बताया कि हमारी सरकार ने काफी प्रगति की है। मैं भी मानता हूं कि जहां अच्छाइयों में प्रगति की है वहां बुराइयां में भी प्रगति की है। चोरी, डकैतियां और कत्ल बढ़े हैं। हमारी सरकार एक ऐसे विद्याप्रेमी और विद्वान मुख्य मंत्री के हाथ में है जो कि प्राचीनता के भी पुजारी हैं और इसीलिये उन्होंने अपनी सरकार के द्वारा उन प्राचीन बातों के उद्धार के लिये प्रयत्न भी किया है। इसलिये मैं भी सरकार का ध्यान एक प्राचीन वेद मंत्री की ओर दिलाना चाहता हूं जो इस प्रकार है :

"संगच्छध्वं, संवदध्वं, संवो मनांसि, जानताम,
देवा भागं पयापूर्वे संजानाना उपासते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें बतलाया गया है कि तुम्हारी जो प्रगति हो वह समान हो, तुम्हारी भाषा भी समान हो, तुम्हारे मन समान हों, और जैसे तुम्हारे पुरखा लोग जो अपना कर्त्तव्य करते थे और जो पैदा करते थे उसको समान रूप से बांट लिया करते थे, उसी प्रकार तुम भी बांट लिया करो। लेकिन हमें देखना है कि हमारी सरकार उन्हीं पद चिन्हों पर चल रही है ? हमारे यहां इतनी असमानता है कि एक तरफ तो पहाड़ है जिसकी चोटी पर पहुंचना बहुत मुश्किल है और दूसरी तरफ इतनी गहरी खाई है कि उसकी भी थाह लेना मुश्किल है। हमारे यहां सरकारी कर्मचारियों के जो वेतन हैं उन में इतनी असमता है कि कुछ तो हजारों रुपया पाते हैं और ऐशो इशरत में लगे रहते हैं, और दूसरे बेचारे ऐसे हैं कि जिनको

इतना भी नहीं मिल पाता है कि वह अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकें ! तो हम यह कह सकते हैं कि हमारी सरकार उन लकीरों पर नहीं चल रही है कि जिन से समानता हो, और इसका नतीजा यह है कि असमानता बढ़ती जा रही है और उसमें प्रगति हो रही है। हमारा जो राज्य है वह, हम कह सकते हैं दो हिस्सों में बटा हुआ है। काका कालेलकर के शब्दों में वह दो हिस्से महाजन और बहुजन हैं। सत्ता महाजन लोगों के हाथ में है और बहुजन, जो ८० फीसदी हैं वह सभी अधिकार वंचित है और उनके हाथ में कोई अधिकार नहीं है। हालांकि गांधी जी और हमारे नेताओं की कृपा से आज सरकार बनाने का अधिकार उन्हीं लोगों के हाथ में है और उन्हीं के द्वारा सरकार बनाई जाती है, लेकिन सरकार बनने के बाद उन्हीं के साथ न्याय नहीं करती है। मैंने देखा है कि जो महाजन लोग हैं वह बहुजन जनता के हित के लिये दत्तचित्त नहीं हैं, उनके अधिकारों की रक्षा नहीं करते हैं और वह अपने स्वार्थों में इतने अंधे हो रहे हैं कि उनको बहुजन की तरक्की का कोई ध्यान नहीं है। हर बात में पक्षपात बढ़ता जा रहा है। नेपोटिज्म और कुनबापरस्ती का बोलबाला है। सरकारी नौकरियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति दो तरह से होती है। एक तो पब्लिक सरविस कमीशन द्वारा और दूसरे सेलेक्शन द्वारा। लेकिन वहां भी जो अधिकारी हैं, चुनने वाले हैं वह ऐसे लोग हैं कि जिनको महाजन कह जाता है और इसलिये वहां भी बहुजन लोगों का ध्यान नहीं रखा जाता। वहां भी कुनबापरस्ती और नोपोटिज्म पूरी तरह से फैला हुआ है। दूसरी बात यह है कि हमारे संविधान में जो आर्टकिल १६ है, उसके चौथे हिस्से में बतलाया गया है कि कोई भी राज्य सरकार, यदि वह यह समझती है कि कोई अंग उसका पिछड़ा हुआ है तो उसके लिये विशेष सुविधा देने में उसको आपत्ति नहीं होनी चाहिये और उसे विशेष सुविधा देनी चाहिये। लेकिन हमारे यहां विधान सभा में भी और बाहर भी रोजाना चिल्लाया जाता है कि हमारे यहां ६० फीसदी ऐसे पिछड़े हुये लोग हैं कि वह न तो एजूकेशन में एडवांस हैं और न आर्थिक दृष्टि से ही आगे बढ़े हुये हैं, और उनके लिये कुछ विशेष सुविधा दी जानी चाहिये। लेकिन हमारी सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है और दिन रात की चीख-पुकार के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि इस के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पिछड़ा वर्ग कमीशन नियुक्त किया है और वह अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है, लेकिन प्रांतीय सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है ! हमारे प्रधान मंत्री श्री नेहरू जी ने अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पालिसी है उसके बारे में बोलते हुये एक बार कहा था कि:—

"Half a dozen or may be ten so called superior castes dominate the Indian scene among the Hindus."

तो इसमें यह है कि काका कालेलकर के शब्दों में जितने महाजन लोग हैं वे ही डामिनेट करते हैं। और जो अधिकांश में पिछड़ी हुई जातियां हैं वे गिनती में ज्यादा होने पर भी उनका कोई भी भाग सरकार में नहीं है। इसलिये जितनी भी बातें यहां तैयार की जाती हैं वह ऊंचे लोगों के हितों को ध्यान में रख कर की जाती है। छोटे पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। पिछले पुलिस के चुनाव में मैंने देखा था कि अधिकांश वही लोग लिये गये जिनकी सिफारिशें थी और जिन बेचारों की कोई सिफारिश नहीं थी वे रह गये। इस तरह से नेपोटिज्म और पक्षपात बढता चला जा रहा है। तो ऐसी दशा में हम नहीं कह सकते हैं कि हमारा राज्य उन्नति करता जा रहा है। यदि दोनों पक्षों में, चाहे डार्क साइड हो चाहे लाइट साइड हो, उन्नति कर रहा है तो उन्नति नहीं कही जा सकती है। अभी हमारे यहां मिनिस्ट्री बदली। हमने देखा कि कुछ विधान सभा के सदस्यों के बहुत से डेपुटेशन मुख्य मंत्री जी के समक्ष गये, तो भी उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया हालांकि इतनी रद्दोबदल हुई। उप मंत्रियों तथा सभा-सचिवों की गिनती बढ़ी लेकिन इस वर्ग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह बातें सिर्फ कहने की हैं कि हम पिछड़ी जातियों के लिये बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहने से काम नहीं चलता। काम करने से होता है। तो फिर एसी दशा में मैं यह कह सकता हूं कि हमारा देश बुराई में भी उन्नति कर रहा है और अच्छाई में भी।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं अपना यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"खेद है कि माननीय राज्यपाल ने नीचे लिखे विषयों पर प्रकाश नहीं डाला।

(१) पुलिस प्रशासन।
(२) अछूत एवं पिछड़ी जातियां।
(३) भूमि बटवारा।
(४) प्रारम्भिक शिक्षा प्रसार।
(५) राज्य में बाढ़ से हुई क्षति।"

श्री चुन्नूलाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्वाइन्ट आफ़ आर्डर रेज़ करना चाहता हूं। दूसरे नम्बर में माननीय सदस्य ने "अछूत" शब्द का प्रयोग किया है जो कि अब निकाला जा चुक है। भारतीय संविधान में कहीं प्रयोग नहीं किया गया इस शब्द का। अछूत के लिये परिगणित जाति इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ राज्य सरकार से अभी कुछ दिन हुये आदेश पहुंच गये हैं कि अछूत शब्द का कोई प्रयोग न करे। तो मेरी समझ में यह अछूत शब्द के स्थान पर या तो परिगणित जाति रख दें, या फिर दूसरा नम्बर का जो संशोधन है वह निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आपने जो यह कहा कि "अछूत" शब्द अवैधानिक है यह मेरी समझ में नहीं आया। यह कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि "अछूत" शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल न किया जाय! यह ठीक है कि उन्हें परिगणित कहें, लेकिन अगर "अछूत" शब्द का कोई उपयोग करता है तो वैधानिक आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है। मैं रामेश्वर लाल जी से कहूंगा कि "परिगणित जाति" जो सर्वमान्य शब्द है उसका इस्तेमाल करें तो ठीक है। क्या आपको मान्य है?

श्री रामेश्वरलाल—जी, मुझे मान्य है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े गौर से माननीय गवर्नर महोदय के संबोधन को पढ़ा और उसके साथ ही साथ धन्यवाद के भाषणों को भी सुना। अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने इन विषयों पर, जिनको मैंने अपने संशोधन में प्रस्तुत किया है, कोई प्रकाश नहीं डाला है। मैं उम्मीद रख रहा था, और पूर्णतः पक्के विचार का था, जैसा कि मैं समझता था कि इस बार सदन में माननीय राज्यपाल के भाषण में बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें मिलेंगी जो आने आने वाले जमाने में हमें बहुत कुछ संतोष देंगी, लेकिन मैंने भाषण को जो पढ़ा और देखा तो वही पूंजीवादी तरीके से यह भाषण सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है और वही युद्ध के नारे के पीछे यह सारी चीजें कही गई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता कि माननीय गवर्नर महोदय अपने प्रांत के ही नहीं, सारे भारत के श्रेष्ठतम लिखे पढ़े लोगों में माने जाने वाले व्यक्ति हैं और बहुत.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होना चाहिये।

श्री रामेश्वरलाल—जी नहीं, मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं।

मैं यह उम्मीद रखे बैठा था और सोचता था कि प्रारम्भिक शिक्षा पर माननीय गवर्नर महोदय के कुछ विचार अवश्य हमें सदन में सुनने को मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस भाषण में माननीय गवर्नर महोदय ने सर्वतोमुखी विकास की बात कही है, लेकिन मैं समझता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रांत हिन्दोस्तान के अन्य प्रांतों में मध्य भारत के कुछ इलाकों को छोड़कर सबसे पिछड़ा हुआ है। अगर हम रजिस्ट्रार की सेंसस रिपोर्ट १९५१ को देखें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पश्चिमी भारत में २३.८ प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। पूर्वी भारत में १६.८ प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित हैं। उत्तरी भारत में १०.९ प्रतिशत लोग शिक्षित हैं और दक्षिण भारत में १६.८ प्रतिशत लोग शिक्षित हैं; जब कि मध्य भारत में जिसमें कि हम लोग

भी आते हैं, १०.९ प्रतिशत लोग ही शिक्षित हैं। यदि यही अनुपात हम स्त्रियों में लगावें तो पश्चिमी भारत में १३.६प्रतिशत, पूर्वी भारत में १३.५ प्रतिशत और मध्य भारत में ३.८ प्रतिशत स्त्रियां शिक्षित हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दोस्तान के अन्य प्रांतों से हमारा प्रांत बहुत पिछड़ा हुआ है और ऐसे पिछड़े हुये प्रांत में युनिवर्सिटीज की बात तो हमने की, चाहे वह गोरखपुर युनिवर्सिटी की बात की हो चाहे वह संस्कृत युनिवर्सिटी बनारस की बात की, और चाहे लखनऊ, आगरा और इलाहाबाद युनिवर्सिटियों की बात की। ऊंची शिक्षा की बात तो की है, लेकिन जिस शिक्षा से देश के पढ़े लिखे लोगों का प्रतिशत बढ़ सकता है, उस शिक्षा की माननीय गवर्नर महोदय ने अपने संबोधन में चर्चा नहीं की। चाहिये यह था कि इस ओर भी वह संकेत करते, खास कर जब हम पर टैक्सेज की भरमार है। चाहे हम भूखे, अधभूखे किसान हों, या खाते पीते जो लोग हैं, वह हों, सब पर जब हर तरह के टैक्सेज की भरमार है तो चाहिये यह था कि सरकार हमारी इस आवश्यकता को पूरा करती और हम जो भारत के अन्य प्रांतों के मुकाबिले में शिक्षा के मामले में पिछड़े हुये हैं, उसमें हमें आगे बढ़ाने की ओर गवर्नर महोदय कुछ संकेत करते।

गवर्नर महोदय ने कल घोषणा की कि गोबध बन्द करेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि उनको यह भी घोषणा करनी चाहिये थी कि गोहत्या भी बन्द करेंगे। गोबध के साथ-साथ गोहत्या भी बन्द होनी चाहिये। बड़े बड़े चरागाह और जंगल जो थे उनको बड़े बड़े लोग जोतते चले जा रहे हैं और उनको खेत बनाते चले जा रहे हैं। ग्राम पंचायतें मुकदमा लड़ती हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं होती और सारे जंगल और परती जमीनों को वह लोग अपने बेटे और बच्चों के नाम खेती के रूप में कराते चले जा रहे हैं। उससे फूस और घास वगैरह जो गरीबों को अपना घर छाने के लिये मिलती थी उस पर भी अब प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है। हम इसका स्वागत करते यदि गवर्नर महोदय इस पर भी प्रकाश डालते और गोहत्या जो इस प्रकार से हो रही है, चरागाह वगैरह जो खत्म होते चले जा रहे हैं, उस पर भी महामान्य राज्यपाल कुछ कहे होते तो हम शायद उसका स्वागत करते।

जहां तक पुलिस प्रशासन की बात है, पुलिस के खिलाफ चारों तरफ से शिकायतें आ रही हैं। मैं आपका और सदन का ध्यान पिछले बजट अधिवेशन से आज तक सदन की बैठकों ओर दिलाना चाहता हूं जिनमें इधर की बेंच के लोगों ने और उधर की बेंचों के लोगों ने भी प्रशासन की घोर भर्त्सना की। तो महामान्य राज्यपाल को सबक लेना चाहिये था कि पुलिस प्रशासन में जो यह भ्रष्टाचार आया हुआ है उसको मिटाने की तरफ भी उनका ध्यान जाता और आवश्यक था कि गवर्नर महोदय यह घोषणा करते कि पुलिस के उन निम्नतम कार्य करने वाले लोगों की तनख्वाहें बढ़ायी जायं और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, ज्यादा तनख्वाह पाते हैं उनकी घटायी जायं, और पुलिस प्रशासन में जो कुछ भी खामियां हैं, उनकी जो वजूहात हैं उन पर गवर्नर महोदय को प्रकाश डालना चाहिये था। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रांत में पुलिस प्रशासन का आतंक चरम सीमा पर है। कांग्रेस से जो अलग पार्टियों में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वह किसी पार्टी के हों, वह झूठे मुकदमों में, १०७, बलवे और डकैती के मुकदमों में फंसा दिये जाते हैं। अभी एक कत्ल की चर्चा हुई। अध्यक्ष महोदय, उसमें सेशन से आदमी छूट गया और आज फिर पुलिस प्रशासन कुछ नेताओं से मिल कर इस नतीजे पर पहुंचा हुआ है कि उस पर फिर हाईकोर्ट में मुकदमा चलाया जाय। वह आदमी इतनी संगठन की ताकत रखता है कि वह सारे जिले में .....

श्री अध्यक्ष--जब अदालत में मामला हो तो उसकी चर्चा यहां नहीं होनी चाहिये।

श्री रामेश्वरलाल--अदालत में अभी गया नहीं है, भेजा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय कहा गया है कि हम इस शासन काल में काफी तरक्की किये हैं। तरक्की के लक्षण तो हमारे मंत्री महोदय, हमारे नेतागण जो देहातों में जाते होंगे उन्हें हमारे किसानों की हालत को देख कर, उनके फिजिकल कंस्ट्रक्शन को देख कर ही पता लग जाता होगा कि दवा-दारू की तरफ कितना हमारा ध्यान गया है। क्या उस पर व्यय किया गया है और कितनी तरक्की हुई है? रोजी-रोजगार की जो हालत है उसकी तरफ तो हमारे माननीय

[श्री रामेश्वरलाल]

उपाध्यक्ष महोदय ने भी अपनी व्यवस्था प्रगट की। अध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकार और वह सरकर .....

श्री अध्यक्ष—आप "उपाध्यक्ष महोदय" नहीं बल्कि "हरगोविन्द पंत जी" कहें तो ज्यादा अच्छा है। आप उनकी व्यवस्था की बात न करें।

श्री रामेश्वरलाल—कोई भी सरकार जो यू० पी० की सरकार की तरह से काम करने वाली सरकार हो, जिसके अन्दर ६/१/४ करोड़ की संख्या में रहने वाले आबादी के लोग बसते हों, और ग्रामीण जहां अधिक संख्या में बसते हों, वहां के लोगों के रोजी-रोजगार के सवाल को हल करने के लिये यदि जमीन का बटवारा नहीं करती तो सबको कल कारखाने खोलकर वह रोजी दे सकेगी यह असंभव बात है। और इसलिये हमारे बार-बार के सुझाव के बावजूद भी जमीन का बटवारा इस प्रांत में नहीं किया गया और सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, और गवर्नर महोदय ने यह उचित नहीं समझा कि वह अपने भाषण में इसका जिक्र करते। अध्यक्ष महोदय, अपने प्रांत में गरीबी दूर करने के वास्ते लोगों को रोजगार देने के लिये जमीन का बटवारा अनिवार्य है और आवश्यक है। गवर्नर महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि बड़े-बड़े उद्योगों को सहायता मिलेगी और उनको पुरःस्थापित किया जायगा और गृहोद्योग भी खोले जायेंगे। यह असंभव बात है। कुटीरोद्योग को सफल बनाने के लिये आवश्यक है कि बड़े-बड़े उद्योगों पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ साबुन का एक कारखाना जो "सनलाइट" और "लाइफब्वाय" बनाता है, हिन्दुस्तान कि खपत का आधा साबुन पैदा करता है। लेकिन यदि साबुन उद्योग को बढ़ाना है, कुटीरोद्योग को बढ़ाना है तो यह आवश्यक है कि नहाने का साबुन यदि कारखाना बनावे तो कपड़े धोने का साबुन कुटीरोद्योग द्वारा बनाया जाय; और यदि उसे प्रोत्साहन दिया जाय तो सब साबुन कुटीरोद्योग द्वारा बनाया जाय। तो इस तरह के प्रतिबन्ध लगाने आवश्यक है। हमारे प्रांत में १६ लाख कोल्हू और घानियां चलती है। तो साफ करना होगा कि जो बड़े-बड़े उद्योग हैं वह किस-किस चीज का तेल पेरें? कड़ुवा तेल पेलें, रेंड़ी का तेल पेलें या गिरी का तेल पेलें, यह प्रतिबन्ध लगाना पड़ेगा। अगर कपड़े के उद्योग को बढ़ाना है तो हमें साफ करना पड़ेगा कि मिलें अमुक कपड़ा तैयार करें और करघा कमीज का कपड़ा तैयार करें। मिल वालों को सारी छूट देने के बाद, यानी सब तरह का कपड़ा मिल तैयार करें, इसके बाद भी अगर आप यह कहें कि करघा के उद्योग की तरक्की देंगे, तो आपका यह कहना नितान्त गलत है और इसी तरह से है जैसे कि आज सरकार कहती है कि हमने खादी पर तीन आने रुपये की छूट दे दी है और तरक्की हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान अपने जिले की एक करनी और कथनी की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे जिले में एक रवीन्द्रनगर स्थान है। वहां पर बाबा राघवदास के प्रयत्न से एक बहुत बड़ा मेला लगा। उसमें बड़े-बड़े ऑफिसर वगैरह गये और उसमें काफी रुपया खर्च हुआ। कहा यह गया था कि कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। यहां पर जो पत्रकार हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह वहां जाकर देखें कि वहां ऊसर पड़ा हुआ है और वह स्कीम फेल हो गई है। मैं कहता हूं कि जितना रुपया इस पर खर्च किया गया अगर उस रुपये से नहर खोदी गयी होती, कुएं की व्यवस्था की गई होती, जुलाहों को प्रोत्साहन दिया गया होता, या बाढ़-पीड़ितों को सहायता दी गई होती तो बहुत कुछ काम हो गया होता। लेकिन वहां तो ऊसर का ऊसर ही पड़ा हुआ है! यह काम है हमारी सरकार का कि बड़ा भारी ढिंढोरा पीटा गया और काम कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से हमारी सरकार अपने कामों में सब जगह फेल होती है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि गारंटी देनी चाहिये थी कि यह माल मिलें बनायेंगी और यह माल करघा द्वारा तैयार होगा। तब कहीं उन्नति हो सकती थी। जैसे पेपर मिलों से

कहा जाय कि तुम सारे कागज को बनाओ और यह भी कहें कि कुटीर उद्योग में भी कागज बनेगा, तो यह बात ठीक नहीं है।

हरिजनों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी महीने में देवरिया में मुझे एक अछूत मिला और उसने रिपोर्ट की कि वह जूता पहन कर एक आदमी के यहां गया तो उसने उसे मारा और कहा जूता निकाल दो। मेरा दावा है कि कोई हरिजन हमारे यहां चारपाई पर नहीं बैठ सकता है, और जूता तथा खड़ाऊं पहन कर नहीं जा सकता है किसी के दरवाजे पर। लोग उनका छुआ पानी तक नहीं पीते हैं। मैं मानता हूं कि राजनीतिक क्षेत्रों में हमारे साथी इतने आगे हैं कि वह एक दूसरे का छुआ पानी पीते हैं। लेकिन आज भी कांग्रेस में ऐसे लोग मिलेंगे, जिनको मैं जानता हूं, और हमारे जिले में भी हैं, जो अछूतों का छुआ पानी नहीं पीते हैं। एक देवरिया म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन हैं जो अछूतों का छुआ पानी नहीं पीते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड देवरिया के चेयरमैन भी नहीं पीते हैं....

कुछ सदस्य--गलत है, गलत है।

श्री रामेश्वरलाल--मैं ठीक कहता हूं। मेरे साथी नाराज हों तो हो जायं। जहां तक मेरा ख्याल है श्री सीताराम शुक्ल भी शायद नहीं पीते।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा कर शान्त रहिये।

श्री रामेश्वरलाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब सही था और मेरी भावना बुरी नहीं थी। मैं देखता हूं कि हमारी लोकप्रिय कहलाने वाली सरकार के राज्य में भी आज अछूत उसी प्रकार से ताड़ित और प्रपीड़ित हैं जैसे कि अंग्रेजों के राज्य में थे। इसलिये मैं चाहता था कि गवर्नमेंट कोई ऐसी चीज रखती जिससे मालूम होता कि हमारे यहां से छुआछूत मिट गया है। मैं चाहता हूं कि उनका आर्थिक उत्थान किया जाय और उनको भूमि दी जाय। बड़े-बड़े लोगों से भूमि छीन कर इनको दी जाय। मैं जानता हूं कि आज हमारे सीताराम जी अगर वहां जायं तो वह तो उनका ध्यान रखेंगे, और मैं चाहता हूं कि सीताराम जी की तरह से ही सब लोग हो जायं। इसलिये हम चाहते हैं कि जमीन का बंटवारा हो जाय। मैं यह भी चाहता हूं कि मिडिल तक शिक्षा निःशुल्क हो जाय जिससे सब लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने का साधन प्राप्त हो सके और वह शिक्षित हो सकें।

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मन्त्रियों, उपमंत्रियों और सभासचिवों (के वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्धों) का विधेयक, १९५५

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उपमन्त्रियों और सभासचिवों (के वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्धों) का विधेयक, १९५५ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १५४--१५६ पर)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री उम्मेदसिंह (जिला गोंडा)—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं अपना यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"परन्तु खेद है कि सम्बोधन में इसका जिक्र नहीं है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार नित्य-प्रति बढ़ता चला जा रहा है और शिक्षा का स्तर भी हर पहलू से गिर गया है जिसकी ओर कोई मजबूत कदम नहीं उठाया गया। जनता का, विशेषतया कृषकों का आर्थिक पतन उत्तरोत्तर बढ़ता चला जा रहा है जिसके सुधारने की ओर भी सम्बोधन में कोई संकेत नहीं है।"

उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय राज्यपाल महोदय तथा अपने मौजूदा मुख्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि इस प्रदेश की जनता ऋणी है कि यह घोषणा कर दी गयी कि गोबध बन्द कर दिया जायगा। गोबध बन्दी का आन्दोलन बहुत अर्से से चल रहा था और यह बहुत पुराना है। यह आशा थी कि आजादी के बाद तुरन्त ही गो-बध बन्द होगा। विलम्ब से सही मगर हुआ, और हमारे मौजूदा मुख्य मंत्री के समय में हुआ, तो इसके लिये हमको हर्ष है और हम धन्यवाद देते हैं अपने महामान्य राज्यपाल को और अपने मुख्य मंत्री जी को। इसके भी हम लोग ऋणी हैं जो बड़े पैमाने के और बहुत खर्च के काम इस प्रदेश में हुये, जैसे बिजली के कारखाने, सिंचाई के साधन, ट्यूबवेल्स, इर्रीगेशन डैम्स और भी बहुत से बड़े-बड़े काम हुये। इनमें अधिक पैसा प्रदेश का खर्च हुआ, जनता पर टैक्स लगाये गये मगर काम हुआ, इसके लिये यह जनता ऋणी है। मगर साथ ही साथ यह देखना चाहिये कि जो कल्याणकारी राज्य की कामना है और जो ध्येय है सरकार का, उसके माने क्या हैं? जनता और खासकर किसानों के दुःख दूर हुये या नहीं हुये? किसानों की हालत इस वक्त क्या है और ७—८ वर्ष पहले क्या थी? तो देखने से यह मालूम होता है कि दिन प्रति दिन आर्थिक कठिनाइयां सामने आती जा रही हैं। वे किसान जो पहले एक बैलगाड़ी रख सकते थे, या जिसके घर में सौ रुपये थे और जो सुख से जीवन व्यतीत करता था, उसके बदन पर अब फटे कपड़े देखने में आते हैं बावजूद इसके कि सिंचाई के साधन बढ़ गये, बड़ी-बड़ी योजनायें बन गयीं, फाइव इयर प्लान हाथ में ली गयी और बजट अरबों का हो गया। मगर जनता, और खासकर गरीब जनता जिसके लिये महात्मा गांधी ने कहा था कि राम राज्य होगा और तुम लोगों की मुसीबतें और दुःख दूर होगा, खाने-पीने के साधन होंगे, पहनने के साधन होंगे, उनकी हालत क्या है, इस पर हमारी सरकार ने, या हमारे महामान्य राज्यपाल ने कोई संकेत नहीं किया कि उनका दुःख कैसे दूर हो सकेगा, आर्थिक कठिनाइयां कैसे दूर होंगी? करों का भार बढ़ता जा रहा है। अधिक से अधिक पैसा जनता से लिया जा रहा है और बड़ी-बड़ी योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है। मगर इसका ध्यान कतई नहीं रखा जाता है कि उनकी आर्थिक कठिनाइयां कैसे दूर होंगी, उनको सुख कैसे पहुंचेगा? उनको कैसे आभास होगा कि हमको आजादी मिली, हमारा देश स्वतन्त्र हुआ?

दूसरी बात भ्रष्टाचार की निस्बत है। पहले अंग्रेजों के जमाने में जब कि विदेशी राज्य था हम लोग कहा करते थे कि बहुत भ्रष्टाचार है, पुलिस में बड़ा भ्रष्टाचार है। और भी महकमों में भ्रष्टाचार फैला है। हमारे नेता यह कहा करते थे कि स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर हम इसको दूर कर देंगे। पहले पहल १९४७ या ४८ में हमारा ख्याल है, हमारे प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की थी कि भ्रष्टाचार शीघ्र से शीघ्र दूर करेंगे। मगर इस वक्त देखिये तो सर्वत्र लेखपालों से लेकर ऊंचे तक भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। कहीं कमी नहीं है। ब्रिटिश शासन काल से तीन गुना चार गुना पैमाने पर भ्रष्टाचार है और बराबर इसके लिये आवाजें उठ रही हैं। हमारे जिले में भ्रष्टाचार कमेटी भी

कायम है। मगर वह नाममात्र की है, उसमें कोई काम नहीं होता। इसके लिए हमें दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस सम्बोधन में कोई संकेत नहीं है कि कौन-कौन से कदम इसको दूर करने के लिए उठाये गये?

तीसरी बात जो हमको कहनी है वह शिक्षा के सम्बन्ध में है। शिक्षा की निस्बत भी अनेक विधेयक यहां आये--आगरा यूनिवर्सिटी विधेयक, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विधेयक, लखनऊ यूनिवर्सिटी विधेयक। और सेकेंडरी एजूकेशन पर भी। मगर हालत क्या है? स्तर तो गिर ही गया। पहले के ग्रेजुएट्स के मुकाबले में आज के ग्रेजुएट्स को देखिये तो मालूम हो जायगा कि कैसा स्तर है और कैसे आजकल के ग्रेजुएट्स हैं? इसके अलावा जो अनुशासन है वह भी गिरता चला जा रहा है। टीचर्स का कोई रोब एजूकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं है और हर तरफ एजीटेशंस हो रहे हैं। न टीचर्स का स्तर ऊंचा हो रहा है और न स्टूडेंट्स का! इसके बारे में भी महामान्य राज्यपाल का कोई संकेत नहीं है कि किस तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ एजूकेशन ऊंचा किया जाय?

श्री ब्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय केशव गुप्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अपना सम्बोधन दोनों सदनों को दिया है उसे तीन खंडों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहले खंड में मंत्रिमंडल में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, उसके सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है। उसमें माननीय पन्त जी की उन्होंने भूरि-भूरि प्रशंसा की है जिससे सारा सदन सहमत है। उसके लिये भी माननीय राज्यपाल महोदय बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। उसी भाग में जो उल्लेखनीय बात कही गयी है वह है माननीय मुख्य मंत्री डा० सम्पूर्णानन्द जी के विषय में, जिनके बारे में माननीय राज्यपाल महोदय ने बतलाया है, जिससे सारा सदन सहमत है, कि वह भी हमारे कुशल राजनीतिज्ञ हैं और महान् विद्वान् हैं।

दूसरा भाग जो इस संशोधन का है उसमें यहां हमारी सरकार की तरफ से गत १२ महीनों में जो महत्व के कार्य किये गये हैं उनका उल्लेख है। उनमें विशेषरूप से माननीय राज्यपाल ने जिन प्रश्नों का उल्लेख किया है वह यही है और इन समस्याओं से हमारी जनता का घनिष्ट सम्बन्ध है।

एक वर्ष पहले सबसे बड़ा प्रश्न जो हमारे सामने था वह खाद्यान्न की समस्या का था। लगभग १२ महीने पहले हमारे यहां की खाद्य स्थिति बहुत डांवाडोल थी। हमारे लिये बाहर से गल्ला मंगाकर वितरण करना आवश्यक हो गया था। हम विदेश से और दूसरे प्रान्तों से गल्ला मंगाते थे और उसको अपने यहां वितरित करते थे। आज हमारी यह दशा हो गयी है कि गल्ले के लिये हम आत्मनिर्भर हो गये हैं। इस बात का उल्लेख माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में किया है।

उसके बाद दूसरा प्रश्न जिसकी ओर उन्होंने हम सबका ध्यान दिलाया है वह है सिंचाई के साधनों को प्रस्तुत करने का प्रश्न। श्रीमन्, यह सर्व विदित है कि ट्यूबवेल और नहरों का जाल आज सारे प्रान्त में बिछा हुआ है। जहां पर पहले नहरें नहीं थीं या ट्यूबवेल नहीं थे वहां पर बड़े जोरों के साथ काम किया जा रहा है। यह ऐसा ठोस कदम हमारी सरकार ने उठाया है कि जिससे जनता का बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है। और यदि इसी प्रकार से यह प्रगति चलती रही तो हमको आशा है कि थोड़े दिनों के बाद हमारी खेती के उत्पादन की समस्या हल हो जायगी और हमारी पैदावार तिगुना और चौगुना अवश्य हो जायेगी।

[श्री ब्रजविहारी मिश्र]

इसके साथ-साथ माननीय राज्यपाल महोदय ने जो हमारे प्रदेश में मार्ग निर्माण की प्रगति या पुल आदि के निर्माण की प्रगति हुई है उसका भी उल्लेख किया है। खासतौर से जो उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया है, और जिसके लिये हम उनके आभारी हैं, वह है रिहन्ड डाम का उल्लेख। उन्होंने कहा है कि रिहन्ड डाम पर बहुत जोर के साथ काम हो रहा है और हमको आशा है कि इसके ऊपर और भी ज्यादा ध्यान दिया जायगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि रेहन्ड डाम का काम शीघ्र पूरा किया जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो जिकर उन्होंने किया है वह तो १२ महीनों में जो काम हुआ है उसका है। इसमें और जो काम किये गये हैं उनका भी उल्लेख उन्होंने किया है जिसके लिये हम उनके अत्यन्त आभारी हैं। काशी के घाटों का जिकर किया कि वहां पर घाटों की मरम्मत होने जा रही है। काशी के घाट हमारी संस्कृति के उदाहरण रहे हैं। वह घाट हमारे प्रान्त के लिये ही नहीं बल्कि हमारे सारे देश के लिये गौरवमय संस्कृति के द्योतक रहे हैं। जो उन घाटों की गिरी हुई दशा को देखते हैं उन सब को देख कर दुःख होता है। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में खास तौर से इस बात का जिक्र किया है कि उन घाटों की मरम्मत का कार्य आरम्भ हो गया है। इसके लिये भी वे धन्यवाद के पात्र हैं।

इसके साथ ही उन्होंने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की बात भी कही है। इसके अतिरिक्त भविष्य में यह सरकार उनके लिये क्या करने जा रही है और क्या करना चाहती है, यह विशेष रूप से उल्लेखनीय बात है। इस तरफ मा० राज्यपाल महोदय ने हमारा ध्यान दिलाया है और उसके लिये हम उनके आभारी हैं। उन्होंने कहा है कि नये उद्योग धन्धों की स्थापना की जायगी, और बेरोजगारी को मिटाने का प्रयत्न किया जायगा और इसके लिये प्रयत्न भी आरम्भ किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग की स्थापना करके सरकार ने एक ठोस कदम उठाया है जिसका उल्लेख माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में किया है। जनता के जीवन को सुखद बनाने के लिये सरकार की ओर से बराबर प्रयत्न किया जा रहा है। धार्मिक संस्थाओं की कुरीतियों का सुधार करने के लिये उन्होंने इशारा किया है और उसके लिये सरकार विधेयक लाकर एक ठोस कदम उठाने जा रही है। इसके लिये भी महामहिम राज्यपाल महोदय धन्यवाद के पात्र हैं।

सब से अन्त में जिसका जिक्र मैं करना चाहता हूं, और जिसके लिये माननीय राज्यपाल का मैं कृतज्ञ हूं और माननीय मुख्य मंत्री का भी मैं कृतज्ञ हूं, वह है गोबध निषेध प्रश्न को उपस्थित करने पर। गोबध निषेध के सम्बन्ध में विधेयक लाने का आश्वासन देकर उन्होंने हमारे प्रान्त की विशेष सेवा की है और हम सब इसके लिये उनके आभारी हैं। इसमें किसी का भी विरोध नहीं है। यह भी हम सब को मालूम है कि एक मुसलमान भाई ने स्वयं यहां पर सत्याग्रह किया था क्योंकि वह भी मानते थे कि गोबध निषेध होना आवश्यक है। सब इसको मानते हैं। हमारी सरकार भी इस पर बहुत दिनों से विचार कर रही थी, गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही थी, इसके लिये सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की थी। उस कमेटी का निर्णय भी हो चुका है। इसके सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने जो यह कहा कि उनकी सरकार शीघ्र ही एक विधेयक प्रस्तुत करने जा रही है, उसके लिये भी हम उनके आभारी हैं। चूंकि बहुत से लोग बोलने वाले हैं, इसपर हर पार्टी के लोग कुछ न कुछ अपनी राय प्रकट करना चाहते हैं, इसलिये मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए और आशा करते हुए कि सम्बोधन में हमें जिन बातों का आश्वासन दिया गया है उनको शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जायगा, अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"साथ ही साथ यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा भारतीय संविधान की मंशा के अनुसार निःशुल्क व अनिवार्य आगामी जुलाई, १९५५ से कर दी जाय।"

अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद संबंधी प्रस्ताव का समर्थन करते हुये भी हाउस के समक्ष इस संशोधन को रख देना उचित समझता हूं। हमारे देश में शिक्षा की कितनी प्रगति हुई है यह तभी जाना जा सकता है कि जब कि हम विदेशों की बातचीत पर दृष्टि डालते हैं। हमारे देश के प्रोफेसर एस० के० मुखर्जी जब अमेरिका गये तो वहां के नागरिकों ने उनसे पूछा कि बताइये कि आपके देश ने आजादी मिलने के बाद शिक्षा में कितनी प्रगति की है? प्रोफेसर मुकर्जी को जो बातें अपने देश-हित में कहनी चाहिये थीं, देश के गौरव को ऊंचा रखने के लिये जो जवाब देना चाहिये था, वह दिया। लेकिन उन्होंने जो उत्तर दिया वह दुर्भाग्य से उन आंकड़ों के खिलाफ था जो आंकड़े हमारे देश से दूसरे देशों को भेजे जाते हैं। उन्होंने यही कहा कि प्रोफेसर साहब आपके आंकड़ों और आपके देश के आंकड़ों में कुछ अन्तर मालूम पड़ता है। आपके देश में शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है और जहां तक साक्षरता का संबंध है वह १६–१७ प्रतिशत से अधिक नहीं है। जिस देश में प्रति दिन ५ हजार दैनिक समाचारपत्र निकलते हों और जिस देश की तिहाई जनता उन समाचार-पत्रों को अपनाती हो उस देश की दृष्टि में हमारे देश के आंकड़े बहुत कम हैं, बल्कि एक दृष्टि से लज्जित करने वाले हैं। इसमें संदेह नहीं कि हमारी सरकार आर्थिक कठिनाइयों को बावजूद भी जो कुछ प्रयत्न कर सकती है वह कर रही है, लेकिन आज हमें कहते हुये यह खेद होता है कि शिक्षा की समस्या को हम बहुत कम हल कर पाये हैं। और यह कहना भी ठीक होगा कि यह समस्या आज की नहीं बल्कि एक सदी पुरानी है। यदि हम अपने देश के शैक्षिक इतिहास को देखें तो हमें मालूम होगा कि १८५४ में भी जब कि हमारा प्रदेश नार्थ वेस्ट फ्रंटियर कहलाता था, उस जमाने में सरकार ने एक ऐसी योजना बनायी थी जिसमें यह कहा गया था कि कोई गांव ऐसा नहीं होना चाहिये कि जिसमें एक पाठशाला न हो। १९१० में गोखले जैसे व्यक्ति ने भी केंद्रीय असेम्बली में एक प्रस्ताव इस अम्र का रक्खा था कि हमारे देश में प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य कर दी जाय। उसके बाद हमने देखा कि सन् १९२०–२१ में इस योजना के ऊपर गम्भीरता पूर्वक विचार किया गया। उसके बाद हमने देखा कि वार्धा एजुकेशनल कांफ्रेंस हुई, उसमें भी महात्मा गांधी जी ने जो कुछ यहां की प्रारम्भिक शिक्षा के बारे में कहा, उनके कुछ शब्द हमें याद हैं। उन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा के बारे में ये शब्द कहे—

"Expenditure on Primary Education is waste of public money in as much as whatever little is taught is soon forgotten."

जो आंकड़े हमको देखने को मिले हैं उनसे मालूम होता कि जितने छोटे बालक पहली कक्षा में जाते हैं वे धीरे-धीरे कम होते जाते हैं। अन्त में चौथी कक्षा में जाकर उनका नम्बर २७ परसेंट हो जाता है। लेकिन जो हमारी सरकार के आंकड़े हैं वे उनसे अधिक अवश्य हैं, और सरकार का भी कहना है एजुकेशन के प्रोग्रेस के संबंध में जो एनुअल रिपोर्ट है, उससे मालूम होता है कि वास्तव में सरकार प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर करीब ४ करोड़ रुपया जो खर्च कर रही है उसमें का आधा रुपया बेकार चला जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार हम देखते हैं कि सन् १९४६–४७ में ६,३१,०११ लड़के थे, सन् ४७–४८ में दूसरे क्लास में ३,३७,१०५ हुये, सन् ४८–४९ में ३,८५,००० हुये, सन् ४९–५० में ३,४०,००० हुये, सन् ५०–५१ में ३ लाख १७ हजार कुछ हुये? इस तरह से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि सरकार जो इतना रुपया खर्च कर रही है उसमें से करीब-करीब आधा रुपया बेकार चला जाता है क्योंकि बालक लोग पहली कक्षा से दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा में जाकर अपना अध्ययन समाप्त कर देते हैं। तो दो-तीन साल में जो साक्षरता हुई, जो कुछ भी उन्होंने सीखा वह भी उनके

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

मस्तिष्क से समाप्त हो जाता है। इस तरह से सरकार ने अपनी रिपोर्ट में जो वेस्टेज दिखलाया है वह इस तरह से है :

"The percentage of wastage according to the figure worked out is 49. 7."

इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि देश साक्षरता की तरफ़ जा रहा है, प्रगति की तरफ़ जा रहा है। लेकिन जिस रेट से प्रगति हो रही है अगर उसके आंकड़ का हिसाब लगाया जाय तो यह कहना उचित ही होगा कि इस तरह से प्रदेश में साक्षरता लाने के लिये ७५ साल का समय लग जायगा ? मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि सरकार हमारे देश और हमारे प्रदेश में कल्याण-कारी राज्य स्थापित करने जा रही है, लेकिन यह भी हमको देखना है कि जहां सरकार उन्नति की तरफ, प्रगति की तरफ़ जा रही है, वहां शिक्षा में कहां तक उन्नति हो सकी है ? अगर हम दूसरे प्रदेशों से अपने प्रदेश का मुकाबला करें तो मैं कहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी प्रगति कोई संतोषजनक नहीं है। हमें याद है कि कोई दो साल हुये बम्बई के एजुकेशन मिनिस्टर ने यह घोषणा की थी कि तीन साल के बाद, यानी सन् ५७ तक हम अपने यहां प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क कर देंगे। लेकिन चार-पांच महीने हुये उस घोषणा के बाद उन्होंने फिर घोषणा की कि जो हमने प्रारम्भिक शिक्षा के संबंध में तीन साल में पूरा होने की घोषणा की थी, उसे हम दो साल पहले ही पूरा करने जा रहे हैं। समाचार-पत्रों में पढ़ने से मालूम हुआ कि वास्तव में बम्बई के मिनिस्टर ने जो घोषणा की है वह कार्यरूप में परिणित हो रही है। अभी हाल ही में दो महीने हुये वहां सन् ४७ के प्राइमरी एजुकेशन ऐक्ट में संशोधन प्रस्तुत किया गया, और उसके अनुसार वहां प्रदेश भर के समस्त ग्रामों में प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य कर दी जायगी। इस संबंध में उन्होंने ऐसे नियम भी बनाये हैं जिसके ज़रिये से बालकों की एटेंडेंस को कम्पलसरी करें। इसके बाद आप देखें कि मध्य प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश है, हमारे मुकाबिले में। लेकिन शिक्षा के संबंध में जो कुछ वहां नियम हैं वह हमारे यहां से अच्छे हैं। वहां पर हम देखते हैं कि वहां का नियम है कि अगर कोई ग्राम जमीन और एक हजार रुपया देता है तो वहां सरकारी खर्च पर स्कूल चालू कर दिया जाता है। इसी तरह से हमारे पास ही का एक छोटा सा प्रदेश विन्ध्य प्रदेश है। वहां भी ६०० ग्रामों के बारे में घोषणा हुई है कि वहां प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य की गई है। काश्मीर में भी विश्वविद्यालय की शिक्षा भी फ़्री कर दी गई है। आप के पड़ोस के देश बर्मा में भी विश्वविद्यालय की शिक्षा फ़्री कर दी जाती है। हमारे पास ही दिल्ली की छोटी सी स्टेट है, वहां भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और बैकवर्ड क्लासेज की शिक्षा फ़्री है, हाईस्कूल स्टैंडर्ड तक। जब यह छोटे-छोटे प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में प्रगतिशील हैं तो मुझे बड़े खेद के साथ और दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि हमारी यह सरकार इस शिक्षा में अधिक नहीं कर सकी है। जहां हमारे राज्यपाल ने संविधान की धारा ४८ की ओर संकेत किया है गोबध बन्दी के संबंध में, अच्छा होता वहीं पर धारा ४५ का भी जिक्र किया जाता, और इस बात का प्रयत्न किया जाता कि हमारे यहां शिक्षा और विशेषकर प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाता। यह मैं समझता हूं कि वह फौरन नहीं किया जा सकता और न शीघ्र हो सकता है, लेकिन मेरा तात्पर्य यह है कि मैं इस प्रकार इस मौके पर सरकार का ध्यान आकर्षित करूं कि वह एक वाजिब समय में, दो साल या ३ साल में प्रदेश में शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क कर दे क्योंकि हमारे संविधान की धारा ४५ में दस साल का समय दिया गया है और उसमें कहा गया है कि "The state shall endeavour to provide free and compulsary education to children between ages of 6 to 11 within a period of 10 years." मैं समझता हूं कि संविधान में इस प्रकार का जो आदेश या डायरेक्टिव है हमारी सरकार का कर्त्तव्य है कि वह उसका पालन करे। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत करता हूं।

*श्री भूपालसिंह खाती (जिला अल्मोड़ा)---उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय केशव गुप्त ने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस संबंध में जो बातें माननीय गुप्त जी ने कहीं मैं उनकी ताईद करना चाहता हूं। मैं वास्तविक रूप से यह मानता हूं कि राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में जो पुराने वर्ष की हमारी कामयाबियों का जिक्र किया है वह बहुत सुन्दर हैं, और उससे हम सबको यह पता लगता है कि बावजूद तमाम कठिनाइयों के हमने बड़ी-बड़ी सफलतायें प्राप्त की हैं। लेकिन जो हमारी पुरानी सफलतायें हैं वह केवल पिछले साल की ही नहीं हैं वरन् लगातार एक सुशासन की वजह से, इस प्रांत की विशेष परिस्थिति और कठिनाइयों के होते हुये भी, बहुत बड़ी आबादी का भार सूबे पर होते हुये भी हमारी सरकार को यह सफलता मिली है। भविष्य का जो कार्यक्रम बताया गया है वह भी संतोषप्रद है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें जैसा कि अभी पंडित हरगोबिन्द पंत ने एक संशोधन पर कुमायूं के सिलसिले में कुछ विचार व्यक्त किये, मैं समझता हूं कि वह बहुत आवश्यक थे और मैं आशा करता हूं कि शायद प्राथमिकता के हिसाब से उनका संकेत माननीय राज्यपाल अपने संबोधन में न कर पाये हों। लेकिन वहां के प्रतिनिधियों द्वारा जो विचार यहां पर प्रकट किये गये हैं उन पर यह सरकार पूरा विचार करेगी और उनको केवल एक थोड़ी सी आबादी का प्रश्न समझकर न टाल देगी। हमारे प्रदेश की सवा ६ करोड़ की आबादी है, और उसमें शायद कुमायूं के जिलों की आबादी १५-२० लाख से अधिक नहीं है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि यद्यपि हमारी आबादी कम है लेकिन हमें परेशानी अधिक है और हमारी प्राकृतिक जो कठिनाइयां हैं वह सबसे ज्यादा हैं। इसलिये हमें तो पूर्ण आशा है कि हमारी सरकार का जो उदारतापूर्ण रवैया कुमायूं के प्रति रहा है वह हमेशा रहेगा ही नहीं बल्कि उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि होगी, और वहां की जो कठिनाइयां हैं उनको हल करने में सरकार साधारण दिलचस्पी न लेकर विशेष दिलचस्पी लेगी। क्योंकि जैसा उपाध्यक्ष महोदय, माननीय हरगोबिन्द पंत ने कहा कि सबसे बड़ी परेशानी इस समय यह है कि आज हर तरफ यह कहा जा रहा है कि हमारे देश में शिक्षा बहुत कम है लेकिन दूसरी तरफ, हम यह मानते हैं कि वास्तव में कम है कि जब हम दूसरे देशों में देखते हैं तो वहां शिक्षित लोगों के लिये सरकार अच्छा प्रबन्ध कर रही है। लेकिन यहां हम सब जो शिक्षित पाते हैं और जो भी १३,१६ या १७ प्रतिशत शिक्षित हैं, जिनको हम केवल साक्षर कह सकते हैं वे शिक्षित हैं, लेकिन उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कह सकते। मैं सरकार का ध्यान आपके द्वारा इस विशेष प्रश्न पर अपने कुमायूं की ओर आकर्षित करूंगा। हमें दुख है कि जब हमारे नवयुवक अशिक्षित थे तब भी वे देश में आकर, होटलों में आकर बर्तन मलने का काम करते थे। और आज भी जो मिडिल पास है, हाई स्कूल है, यद्यपि यह सब हैं लेकिन तब भी उनको वही काम करना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्युनिस्ट नेता श्री पी० सी० जोशी द्वारा बागेश्वर में कहे गये शब्दों को दुहराना चाहता हूं चाहे मैं उनके विचारों और उनके कहने की शैली से सहमत न हूं क्योंकि उसमें कटुता थी, लेकिन वास्तविकता से इंकार तो नहीं किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा था कि "कुमायूं में ऐसे समाज के उत्थान के लिये विशेष प्रयत्न करना चाहिये जिसके नवयुवक होटलों में नौकरियां करें और जिनकी नवयुवतियां देश में वेश्यावृत्ति करें।" यह मैं कह देना चाहता हूं कि पहले नायक जाति में यह कुरीति थी। उसको एक कानून के द्वारा सुलझा दिया गया था लेकिन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां की गरीबी के कारण वहां परिगणित जाति के लोग जिन्हें शिल्पकार भी कहते हैं, उसमें यह रोग है और बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज हमें इस बात का संतोष है कि हमारी सरकार ने एक सामाजिक उत्थान का विशेष डिपार्टमेंट कायम किया है और वह इस ओर ध्यान देगा और देखेगा कि हजारों नवयुवतियां जो आज कुमायूं जिले और पहाड़ी जिलों में बरबाद हो रही हैं, और जिनको वेश्यावृत्ति के लिये मजबूर किया जाता है, उसका मूलाधार क्या है, उसका मूल कारण है? आखिर यह क्या बात है कि हाईस्कूल पास लड़के, इंटरमीडियेट पास लड़के मारे-मारे फिरते हैं? और यह कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं अपनी कल्पना से कह रहा हूं, कई ऐसे नमूने हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भूपालसिंह खाती]

मैं कितने ही ऐसे लड़कों को जानता हूं जो हाई स्कूल पास होकर यहां यूनिवर्सिटी की मेसों में काम करते हैं, और कुछ तो हमारे कौंसिलर्स रेजीडेंस की मेसों में काम करते थे। तो इस चीज की तरफ खास तौर से सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा और चाहूंगा कि कुमायूं की विशेष बात है और सरकार इस पर ध्यान विशेष रूप से देगी। मुझे इस बात का हर्ष है कि महामान्य राज्यपाल ने स्वायल कंजरवेशन ऐक्ट की तरफ अपने संबोधन में इशारा किया है। लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे सरकार के सामने यह विनम्र निवेदन करना है कि इसके मुताबिक पहाड़ी जिलों में खास तौर से काम करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। परन्तु हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है। कई बार ऐसे मसले सरकार के सामने पेश किये। मैं फिर दोहरा देना अपना कर्तव्य समझता हूं कि बाढ़ों के कारण पहाड़ों में काफी जमीन बह गई, और उसमें गांव भी बह गये। उनके लिये बड़ी लिखा-पढ़ी हुई, खास कर भाखरा और करौरा और श्यामेश्वर घाटियों के लिये, उनके लिये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ने इस बात की सिफारिश की कि सरकार उन पर कुछ धन व्यय करें ताकि जो सुन्दर घाटियां दिन प्रति दिन कटती जा रही हैं, गांव बरबाद होते जा रहे हैं, उनको बचाने का प्रयत्न किया जाय। लेकिन आज ६, ७ वर्ष का अर्सा हो गया है मुझे दुख है कि सरकार की ओर से उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं ऐसा मानता हूं कि यह संभव हो सकता है कि प्रांत के विशेष और महान प्रश्नों के सम्मुख ये छोटे-छोटे प्रश्न मालूम होते हों, लेकिन छोटे लोगों के लिये छोटे प्रश्न ही बहुत बड़े प्रश्न मालूम होते हैं। जिसके पास १ एकड़ जमीन है वह जमीन अगर बह जाती है तो उसका तो सर्वनाश हो गया, सारी सम्पत्ति चली गई! इन्हीं बातों से उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि पहाड़ के प्रश्नों को अगर उसी महत्ता की दृष्टि से देखा जाय जिससे देश के प्रश्न देखे जाते हैं, तब तो हमारे प्रश्न बड़े छोटे उतरेंगे, लेकिन उन्हें स्थानीय दृष्टि से देखा जाय और उसी दृष्टि से उनका महत्व आंका जाय तो उनकी महत्ता स्वयं ही सरकार के सम्मुख साबित हो जायगी। इसी प्रकार फिर मैं प्रार्थना करूंगा कि जो वहां के काश्तकारी कानून का प्रश्न है वह इतना अहम और महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको जितनी ही जल्दी सुलझाया जाय उतनी ही जल्दी वहां की सामाजिक और राजनैतिक शांति ठीक होगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने जो रवैया अख्तियार किया है उससे साफ जाहिर है कि हम किसी प्रकार भी जमींदारी की कुप्रथा कायम नहीं रखना चाहते हैं और वह करीब करीब ९८ प्रतिशत आबादी में समाप्त हो चुकी है लेकिन अभी दो प्रतिशत आबादी में जो कायम है उससे सरकार पर लांछन लगाने के लिये कुछ ऐसी राजनैतिक संस्थाओं के लिये, जिनका सरकार से ज्यादा संबंध नहीं है, उस पर आलोचना करने का एक कारण मात्र रह जाता है। मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर अपना कदम उठायेगी और जो थोड़े से हिस्से में अशांति फैली हुई है वह समाप्त हो जायगी।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से धन्यवाद के प्रस्ताव में यह संशोधन पेश करना चाहता है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय——

"किन्तु सदन को खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने——

(क) अपने संबोधन में दिनों दिन गम्भीर एवं खतरनाक तरीके से बढ़ती शिक्षित एवं अशिक्षित बेकारी का कोई समाधान नहीं पेश किया।

(ख) सरकारी विकास योजनाओं——नहरे, नलकूप, ट्रैक्टर आदि से उत्पन्न खेत-मजदूरों की बेकारी और उनकी दयनीय स्थिति का जिक्र तक नहीं किया।

(ग) पंचायत टैक्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टैक्स, बढ़ी आबपाशी दर आदि को कम करने का जिक्र नहीं किया।

(घ) कानपुर तथा अन्य उद्योग केंद्रों के मजदूरों के सामने बेकारी, छंटनी, बैठकी आदि के जो खतरे बने हुये हैं उनको दूर करने का कोई उपाय नहीं बताया।

(ङ) विश्वविद्यालय संशोधन विधेयकों के कारण उत्पन्न छात्र-वर्ग और अध्यापक वर्ग में असंतोष का जिक्र नहीं किया।

(च) गन्ना के मूल्यों को १।।।) मन के हिसाब से करने का सुझाव नहीं रखा।

(छ) छोटे कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के संबंध में कोई चर्चा नहीं की।

(ज) भूमि सुधार को अस्थायी बनाने के लिये जमीन के पुनर्वितरण की बात नहीं कही।"

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल ने अपने संबोधन में जो चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है वह असलियत और यथार्थ से बहुत दूर है। राज्यपाल महोदय के राज्यभवन में, मंत्रियों और उपमंत्रियों के बंगलों में, विधान मंडल के माननीय सदस्यों के दारुलशफा में ही वह चित्र दिखाई देता है जो इस संबोधन के जरिये हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। लेकिन जब हम देहात की हरजन बस्तियों में या गरीब किसानों के गांवों में इस चित्र को देखने की कोशिश करते हैं, या प्रदेश के शहरों के पिछड़े हुये इलाकों या पिछड़ी हुई गन्दी बस्तियों को देखते हैं तो हमको स्पष्ट मालूम होता है कि राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तुत यह चित्र हमारे उत्तर प्रदेश का नहीं है बल्कि कोई काल्पनिक चित्र है। पहली पांच साला योजना का ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा है, हमारे देश और प्रदेश में बेकारी भी बढ़ती जा रही है। गत साल के जो आंकड़े हमें रोजगार दफ्तर से मिले हैं उनसे हमें मालूम हुआ है कि ९२ हजार बेकार हमारे प्रदेश में हैं। ये ९२ हजार व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्होंने अपना नाम उन दफ्तरों में लिखाया है लेकिन यह, उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि जितने आदमी सचमुच बेकार हैं, और जितने आदमी काम चाहते हैं, उतने उन दफ्तरों तक नहीं पहुंच पाते और उनके नाम वहां के रजिस्टर में लिखे भी नहीं जाते। इसलिये प्रदेश के वास्तविक बेकारों की संख्या से यह संख्या बहुत ही कम है, और इन ९२ हजार व्यक्तियों में ६ हजार ऐसे हैं जो शिक्षित हैं और ऊंचे दर्जे की शिक्षा भी प्राप्त कर चुके हैं। प्रदेश में वस्तुतः यह चित्र हमें बेकारी के सिलसिले में मिलता है। राज्यपाल जी ने इसका नाम तक नहीं लिया है।

जब हम शहरों के अन्दर पिछड़ी हुई गन्दी बस्तियों को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि वहां के रहने वालों का जीवन नरक के समान है और उस समय हम यह निश्चय ही महसूस करते हैं कि जो चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है वह असली नहीं है! एक बार मुझे फिरोजाबाद जाने का अवसर मिला। एक मोहल्ले में मैंने देखा कि ठीक मोहल्ले के बीच में पूरे शहर के गंदे पानी का नाला बह रहा था। इतनी बदबू वहां थी कि एक मिनट के लिये भी हम बाहर वालों का वहां रहना मुश्किल हो गया। लेकिन हमने देखा कि उसी नाले के किनारे उस मोहल्ले के रहने वालों के लड़के खेल रहे थे और सुअर उसी गन्दे पानी और गलीज में लोट कर उस मोहल्ले में घूम रहे थे। हम देखते हैं कि इस तरह की बस्तियों के सुधार की तरफ कोई भी वास्तविक प्रयत्न सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा है और इस तरह के दृश्य करीब-करीब हर शहर के एक दो मुहल्लों में देखने को मिलते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, वेतन वृद्धि के ही मसले को ले लीजिये। जितने भी कम तनख्वाह पाने वाले सरकारी या अर्द्ध सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वह पुलिस के सिपाही हों, जेल के वार्डर हों या दफ्तर या सेक्रेटेरियट के चपरासी हों, दफ्तरों के बाबू हों, स्कूल के मास्टर हों, उनके वेतन में वृद्धि महंगाई के हिसाब से नहीं के बराबर भी नहीं हुई है।

[श्री झारखंडेराय]

उनकी अपनी संस्थाओं की तरफ से इसकी मांग भी हुई है और दूसरी जन-संस्थाओं ने इसका समर्थन भी किया है, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम इसके लिये नहीं उठाया गया है। हमको आशा थी कि हमारे नये मुख्य मंत्री के पदासीन होने के बाद इस दिशा में कोई प्रयास अवश्य किया जायगा लेकिन मुझे खेद है कि उनके पदारूढ़ होने के बाद भी इस तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया गया। किसी देश अथवा प्रदेश में धन पैदा होने से ही विकास और प्रगति नहीं मानी जा सकती। धन पैदा होते हुए भी अगर किसी देश या प्रदेश में, या कहीं भी वह धन अगर कुछ लोगों के हाथ में ही सिमटकर रह जाता है, उसका न्यायसंगत वितरण जनता में, बहुजन में नहीं होता, तो उससे हम यह नहीं समझेंगे कि प्रगति हो रही है। आप विकास योजनाओं को ही ले लीजिये। उनसे कुछ काम हुआ हमें दिखाई देता है। हमारे जिले के माननीय ब्रजबिहारी मिश्र जी ने नलकूपों और नहरों का जिक्र किया। मेरे जिले में और खुद मेरी तहसील में और विशेषकर मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में कुछ सिंचाई के साधन प्रस्तुत करने का काम हुआ। लेकिन इन विकास योजनाओं का दूसरा पहलू भी है जिसकी ओर सरकार का तुरन्त ध्यान जाना चाहिये, और वह है उन विकास योजनाओं से उत्पन्न नई बेकारी, जो खेत मजदूरों में भयानक रूप से फैल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले एक महीने में आजमगढ़ जिले की करीब करीब ४० छोटी बड़ी हरिजन बस्तियों में मुझे जाने का मौका मिला है। और उनमें जाकर मैंने यह महसूस किया कि कांग्रेस सरकार में गरीबी बढ़ी है। कांग्रेस सरकार में विकास योजनाओं के चलते हुए गरीब लोग और बेकार हुए। पहले जिनको दो रोटी मिलती थी, वह भी आज उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। वह रोटी उनको आज मयस्सर नहीं होती। इसलिये कि जो खेत मजदूरी का काम करके वे अपना पेट भरते थे, आज वह रोजी भी उनकी छिनती जा रही है और उनके लिये कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और भूखे अथवा आधा पेट रह कर भूख से धीरे धीरे मरें।

उपाध्यक्ष महोदय, बन्दियों का जिक्र भी राज्यपाल महोदय ने किया है। परन्तु राजबन्दियों का नाम तक नहीं लिया है। इस विषय में मैं मुख्य मंत्री जी से, जो गृह मंत्री भी हैं, एक बात कहना चाहूंगा कि क्या इतना भी सम्भव नहीं है कि जो राजबन्दी हैं, जो निश्चित और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के मेम्बर हैं, जो ऐसे कामों में जेल जाते हैं जिन्हें जघन्य अपराध नहीं कहा जा सकता है बल्कि सार्वजनिक लाभ के भाव से प्रेरित होकर जेल जाते हैं, उनके साथ क्या इतना भी विशेष व्यवहार सम्भव नहीं है कि ऐसे सब लोग एक जेल में एक साथ रखे जायं ? मैं समझता हूं कि यह इंसानियत का सवाल है, इधर जरूर ध्यान जाना चाहिये। इस तरह के राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम लेना हेय है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का भी जिक्र किया। वह हमारा विषय नहीं है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इधर कुछ दिनों से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो नीति अपनायी है वह प्रशंसनीय है, उससे विश्वशान्ति की स्थापना में सहायता मिली है और उसका हर एक प्रगतिशील व्यक्ति समर्थन करेगा। लेकिन तस्वीर का यह एक पहलू है। उसका दूसरा पहलू भी है जो मैं कहना चाहता हूं। हमारे ही प्रदेश में गोरखपुर जिले में से हो करके मलाया के स्वतन्त्रता संग्राम को दमन करने के लिये अंग्रेजों द्वारा गोरखे भेजे जाते हैं। गोरखों की गरीबी और उनकी दयनीय स्थिति से अंग्रेज फायदा उठाते हैं और उसमें प्रत्यक्ष रूप से हमारी मौजूदा केन्द्रीय सरकार सहायक होती है। यह सरकार के लिये कलंक है। यह सही है कि आज वह भर्ती का काम गोरखपुर में नहीं हो रहा है, लेकिन एक मील के भीतर नैपाल की सीमा में भर्ती होती है। केवल भर्ती भर ही वहां होती है, उनकी ट्रेनिंग आदि भारतीय सीमा के गोरखपुर जिले के लेंहड़ा फौजी कैम्प में ही पहले की भांति होती है। और फिर गोरखपुर के एक रेलवे स्टेशन लेंहड़ा से ट्रेन में

चढ़ाकर वे हमारे प्रदेश के बीच होकर मलाया भेजे जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में, जिन देशों में अंग्रेज-विरोधी आजादी की लड़ाई चल रही है, उनमें हिन्दुस्तान मौन है ! पुर्तगाली बस्ती गोया की तरफ जो नीति अपनाई गई है वह नरम और कमजोर है। यह भी एक पहलू है जिसकी तरफ माननीय सदन का ध्यान जाना चाहिये।

वन-महोत्सव की चर्चा भी आयी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि उस उत्सव की जितनी कागज पर रिपोर्ट सरकार के पास आयी क्या वह सब पेड़ लगे हुए हैं, उनमें कोई सूखा नहीं है ? आजमगढ़ जिले के लखीपुर ग्राम में एक गवर्नर बाग लगा हुआ है। उसको माननीय सदस्य देख सकते हैं। उसमें एक भी पेड़ नहीं है सब सूख चुके हैं, और पहले ही की तरह आज वह मैदान हो गया है। सरकारी अपव्यय की चर्चा करना बेकार है। पुलिस प्रशासन के बारे में इतना ही कहूंगा कि पुलिस प्रशासन इस सरकार को बदनाम करने का सब से बड़ा कारण हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री, जिनके चार्ज में पहले भी होम डिपार्टमेंट था, उनके रहते हुए पुलिस में भ्रष्टाचार, नैपोटिज्म, और घूसखोरी, जुल्म करने का माद्दा नौकर शाहियत, पक्षपात, झूठे केस चलाकर लोगों को फंसाना और फिर रुपये ऐंठना, निकम्मापन और दूसरी सभी बुराई इतनी बढ़ी हैं जो अंग्रेज के राज्य में भी नहीं थीं। खाद्य पदार्थ में आत्मनिर्भरता की डींग हांकी गयी है, परन्तु लोग भूखे और अधभूखे रहते हैं। यह क्यों ?

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय केशव गुप्त जी ने महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन के सम्बन्ध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है, उसके अन्त में मैं प्रस्ताव करता हूं कि निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु सदन को खेद है कि माननीय राज्यपाल ने—

(१) उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५२ को प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों द्वारा ईमानदारी से कार्यान्वित न किये जाने पर क्षोभ प्रकट नहीं किया है।

(२) काशी के विश्वनाथ मन्दिर और बद्रीनाथ के मन्दिर में माननीय बेचनराम जी एम० एल० ए०, और माननीय परागीलाल जी एम० पी० के नेतृत्व में जाने वाले हरिजनों (scheduled castes) को मन्दिर निषेध होने पर कोई दुःख नहीं प्रकट किया।

(३) हरिजन (scheduled castes)समस्या की ओर कोई संकेत नहीं किया।

(४) इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों की स्वतन्त्रता के अपहरण के बारे में कोई प्रकाश नहीं डाला।

(५) सिंचाई विभाग द्वारा बन्धियों की अनुपयुक्तता और अपव्यय की ओर कोई संकेत नहीं किया।

(६) खाद्यान्न के गिरते हुये भावों के कारण फैली हुई कृषकों की बेचैनी के बारे में कोई प्रकाश नहीं डाला।

(७) सिंचाई रेट कम करने के ऊपर कोई प्रकाश नहीं डाला।

(८) गांवों की गिरती हुई दशा की ओर कोई संकेत नहीं किया।

(९) भूमिहीन किसानों व श्रमिकों को भूमि दिलाने की व्यवस्था पर कोई प्रकाश नहीं डाला।

(१०) पुलिस, प्रशासन और कचहरियों में फैले हुये भ्रष्टाचार के निराकरण की ओर कोई संकेत नहीं किया।"

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल जी ने सचमुच प्रदेश में जो कार्य हुए उनमें कहां तक वास्तविकता है, उसको बहुत बढ़ा-चढ़ा करके कहा है। वास्तव में जो सच्ची मान्यता हमारे प्रान्त की गतिविधि में होनी चाहिये थी उसमें बहुत कमियां हैं। कहने को तो यह कहा जाता है कि किसानों की भलाई के लिये जमींदारी का विनाश कर दिया गया है, लेकिन जो जमीदारी विनाश अधिनियम का वास्तव में अर्थ था उसको कर्मचारियों की उदासीनता या पक्षपात के कारण वास्तव में किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ है। अगर देहातों में देखा जाय तो जो जमींदार पहले जिस जमीन के ऊपर काबिज थे आज भी वह उस जमीन पर काबिज हैं। चाहे वह जमीन उनके नाम से हो या न हो, उसे वे अपने कब्जे में किये हुए हैं। जिस कदर से जो गरीब लोग थे, और विशेषतः जो हरिजन काश्तकार थे, उनकी जमीन को जो लाठी वाले हैं, उन्होंने उनके नाम को कटा कर अपने नाम करा लिया है। यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है। और पुलिस का यह हाल है कि वह बजाय गरीबों की रक्षा करने के उन्हीं भूतपूर्व जमींदारों का साथ दे रही है। वास्तव में जो जमीन परती थी अब उन्हीं भूतपूर्व जमींदारों का उस पर कब्जा है और उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम, और अपने सम्बन्धियों के नाम और अपने घर के लोगों के नाम उस जमीन को करके उस पर कब्जा कर लिया है। यद्यपि अभी पिछले सितम्बर या अक्टूबर में इन रेकर्ड्स को ठीक करने के लिये गवर्नमेंट की तरफ से आर्डर्स निकले थे, लेकिन वह आर्डर्स मैं समझता हूं कि बिल्कुल कार्यान्वित नहीं किये गये। वास्तव में अगर देखा जाय तो जिन लोगों की जमीन थी उनके नाम अब भी काटे जा रहे हैं। और जो भूतपूर्व जमींदार हैं या जिन्होंने कि स्माल सेविंग में या नेशनल फंड में रुपया जमा कर दिया, किसी न किसी तरह से पक्षपात करके उनके नाम जमीन हो रही है जिनके नाम कि हजारों एकड़ जमीन है। माननीय राज्यपाल ने बड़े गौरव के साथ इस बात को कहा है कि काशी में घाटों का उद्धार हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह ठीक है। लेकिन काशी में अगर देखा जाय तो पाषाणों का तो उद्धार हो रहा है लेकिन इस जीवित जागृत प्राणी का, जो कि हरिजन नाम से या अछूत नाम से या अस्पृश्य नाम से पुकारा जाता है, उसकी दशा का कोई सुधार नहीं हो रहा है। उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। इस सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारे कांग्रेसी एम० एल० ए०, माननीय बेचनराम जी के नेतृत्व में काशी के हरिजनों ने इस बात की गत वर्ष कोशिश की थी कि विश्वनाथ के मन्दिर में भगवान के दर्शन करें। लेकिन पता नहीं कि उनका दुर्भाग्य था या इस प्रान्त का दुर्भाग्य, या इस हिन्दू धर्म का दुर्भाग्यथा कि उनको उस मन्दिर में जाने नहीं दिया गया। इतना ही नहीं उन विश्वनाथ जी को भी चहारदीवारी में बन्द कर दिया गया, और जो फाटक उनके दर्शनों के लिए खुला हुआ था, वह बन्द कर दिया गया। जो बद्रीनाथ का मन्दिर है जिसका कि मैनेजमेंट हमारी सरकार करती है, उसको भी यही दशा है। प्रागीलाल जी एम० पी० बद्रीनाथ के दर्शन के लिए गये, लेकिन जब वहां के पुजारी पंडों को मालूम हुआ कि ये हरिजन हैं, तो उनको भी उस मन्दिर में जाने से रोक दिया गया। आज समाज के शुभचिन्तक, और जो यह कहते हैं कि हमारी कांग्रेसी सरकार बहुत बड़े-बड़े कार्य कर रही है, वह इस बात को देखें कि ऐसे लोग जो कि विधान सभा के सदस्य हैं, और जो लोक सभा के सदस्य हैं, और जो इस प्रकार की सतसंगत में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, उन लोगों को जब भगवान के मन्दिर में दर्शन करने का अधिकार नहीं है तो वह हरिजन और यह गरीब अछूत जो कि देहातों में रहते हैं, जो फटे चिथड़े पहनते हैं, जो साफ भी नहीं रहते हैं और जो भगवान को जानते भी नहीं कि वह बद्रीनाथ में हैं या विश्वनाथ के मन्दिर में हैं, उनको भगवान के दर्शन कहां प्राप्त हो सकते हैं?

यह एक बहुत बड़ा चैलेंज हिन्दू धर्म के लिए है, और विशेषतः कांग्रेस सरकार के लिये है जो कि वर्णहीन और वर्गहीन समाज और वेलफेयर स्टेट का स्वप्न देखती है। मैं समझता हूं कि जब तक मनुष्य को इस प्रकार के मानवोचित अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, तब तक यह इस प्रकार कागजी कार्यवाही करने से काम नहीं चलेगा। यह कागज की नैया एक न एक दिन डगमगायेगी, डूबेगी और वास्तविकता का परिचय देगी। हरिजन समस्या की ओर भी हमारे महामहिम राज्यपाल ने कोई संकेत नहीं किया है। अगर पिछले तीन साल के संबोधनों को देखा जाय तो हरिजन और पिछड़े वर्ग के ऊपर एक अलग से पैराग्राफ होता था, लेकिन मुझे दुःख हुआ कि पता नहीं उन्होंने क्यों हरिजन वर्ग और पिछड़े वर्ग का नाम लेना भी पाप समझा या अनुचित समझा? हरिजन समस्या देखी जाय तो महात्मा गांधी जी या कांग्रेस के प्रोग्राम के अनुसार एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको हमारे पं० जवाहरलाल नेहरू भी मानते हैं कि जब तक हमारे समाज का एक चौथाई भाग पिछड़ा हुआ है और धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक वास्तव में हमारे राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता है।

सिंचाई विभाग द्वारा कहा तो यह जाता है कि हमने सिंचाई के साधन किसानों के लिए उपलब्ध कर दिये ह, लेकिन वास्तव में देखा जाय तो जितने सिंचाई के साधन हैं, जहां अच्छी खेती होती है, दूसरे साधन हैं, उस जगह पर जहां आवश्यकता नहीं है, सिंचाई के साधन जुटाये गये। लेकिन जहां पानी की सख्त आवश्यकता है और पानी मुश्किल से मिलता है वहां पर कोई प्रोग्राम, यह बंधियों का प्रोग्राम नहीं किया गया है! अगर देखा जाय तो पिछले सालों में कई बन्धियों या बांधों की खबर आई हैं कि फलां बांध फट गया है और फलां बह गया है। यह हमारी सरकार के बन्धी विभाग की कार्यदक्षता का परिचय है कि किस तरह से पब्लिक मनी का दुरुपयोग और अपव्यय किया जाता है।

खाद्यान्न के गिरते हुए भाव की ओर भी महामान्य राज्यपाल ने कोई संकेत नहीं किया है। किसानों द्वारा उत्पन्न की हुई चीजें दिन पर दिन सस्ती होती जा रही हैं, लेकिन किसानों की जो चीजें मिलों या दूसरी जगहों से प्राप्त होती हैं उनके भावों में बजाय गिरने के और बढ़ती आ रही है। इस प्रकार से किसान बेचारा दोनों तरफ से मारा जा रहा है। खाद्यान्न की कीमत कम हो गयी है लेकिन सिंचाई रेट जो महंगाई के जमाने का लगा है, उसके सम्बन्ध में भी हमारे महामहिम राज्यपाल ने कोई संकेत नहीं किया कि उसको कम किया जायगा। इससे किसानों में बहुत असन्तोष की भावना पैदा हो रही है।

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो धन्यवाद का प्रस्ताव इस सदन में पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। जिस विकास व उत्थान का दिग्दर्शन हमें महामान्य राज्यपाल के भाषण में दिखाई देता है, उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को धन्यवाद देता हूं। मेरे धन्यवाद के माने यह नहीं हैं कि हमारा पूर्ण विकास और पूर्ण उत्थान हो गया है। हमारा विकास और उत्थान अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर है और वह आगे बढ़ता चला जा रहा है, और हमको अभी देश के बहुत से बड़े-बड़े क्षेत्रों में विकास करना बाकी है। मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस तरह का हमारे इस उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े विद्वानों ने बड़ा गहरा अध्ययन किया हैं, और उन्होंने अपनी प्रकांड विद्वता से और दूर दर्शिता से काम लेते हुए भविष्य की एक रूप रेखा हमारी सरकार के सामने पेश की है, मैं समझता हूं कि उन बातों को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है, और महामान्य राज्यपाल के भाषण में उसकी एक रूप-रेखा और झलक अवश्य आनी चाहिये थी। सब से बड़ी भारी समस्या जो हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर है वह उन लोगों की है जिनके पास जीवन-यापन का कोई साधन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

नहीं है, जो लैंड-लेस हैं, जिनको जिप्सी कहा जाता है, जिनके पास मकान नहीं है; और जो अपनी रोजी के लिये केवल गैर की भिक्षा पर मुनहसिर हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी कौमों के और पिछड़े वर्ग के पिछड़े हुए लोगों के रिहैबिलिटेशन का जो प्रश्न है वह हमारी सरकार के सामने उसी रूप में आना चाहिये जिस प्रकार कि हमारे देश के रिफ्यूजीज़ के प्रश्न को हल कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि आज हमारे भारतवर्ष के अन्दर गलियों में, देहातों में या सड़कों पर एक भी आदमी भीख मांगता हुआ दिखाई पड़ता है, रोटी के लिये तरसता है और गैर के सामने रोटी के लिये अपने हाथ फैलाता है तो यह हमारे लिये बड़ी लज्जा की बात है। मैं समझता हूं कि सब से पहले हमारे यहां यह लेजिस्लेशन पास हो जाना चाहिये कि जो भीख मांगेगा वह जुर्म का भागी होगा और उसको सजा दी जायगी, और इस प्रकार से सदा के लिये भीख मांगने को खत्म कर दें। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार का एक बहुत कड़ा उत्तरदायित्व होता क्योंकि वह व्यक्ति जो भीख मांगता है उसे हम किसी भी प्रकार से बरदाश्त करने के लिये तैयार नहीं हैं। आज हमें आजाद नागरिकता के हक से सब को भारतवर्ष का नागरिक बनाना है।

मुझे खेद है कि हमारे देश के अन्दर अनएम्प्लायमेंट ने बड़ा उग्र रूप धारण कर रखा है। आज हजारों आदमी चक्कर काट रहे हैं। उनके पास खाने के लिये रोटी नहीं है, पहनने के लिये कपड़ा नहीं है। यह इतनी बड़ी भारी समस्या है कि इसके ऊपर अवश्य एक इशारा गवर्नर महोदय के भाषण में होना चाहिये था। हम ऐसे विषय को नजरअन्दाज नहीं कर सकते हैं जो कि हमारे राष्ट्र के अन्दर चन्द दिनों में हलचल पैदा कर सकते हैं, जो हमारे विकास कार्य को आगे ढकेलने के बजाय पीछे कर सकते हैं। ऐसे विषयों को हमें प्रायरिटी देनी चाहिये।

इसके बाद मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारी डेमोक्रेसी के अन्दर कम्पलसरी फ्री एजूकेशन और फ्री मेडिकल एड, देश के हर एक नागरिक को मुहैय्या होनी चाहिये। उसका नाम डेमोक्रेसी है। अगर यह दोनों चीजें किसी को नहीं मिलती हैं तो मैं इसको फिर डेमोक्रेसी करने के लिये कदापि तैयार नहीं हो सकता हूं। मैं इसको सफल डेमोक्रेसी नहीं समझता हूं।

हमारे मुख्य मंत्री माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने इसके ऊपर अध्ययन किया है और मैं उनका बड़ा कृतज्ञ हूं। मैंने यहां पर कई बार कहा है कि उन्होंने देहातों में, पहाड़ों पर, चट्टानों पर यानी सब जगह प्रायमरी शिक्षा का प्रसार किया है। इसके लिये यह धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने उस रूपरेखा को अपने दिमाग के अन्दर रखा है जो हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने में सफल हो सकती है। यह बड़े दुःख की बात है कि आज भी उसको कंसोलिडेट करने के लिये, और एजूकेशन को फ्री तथा कम्पलसरी बनाने के लिये कोई भी योजना उपस्थित नहीं की गई है और न कोई इशारा ही किया गया है।

हमारी मानव शक्ति जो जेल के अन्दर पड़ी-पड़ी सड़ रही थी, आज उस जनशक्ति का उत्थान करने के लिये और उसको कार्य रूप में परिणित करने के लिये हमारे श्रम मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने कदम उठाया है। हमारी जेलों में जो श्रम शक्ति पड़ी सड़ रही थी उसको उन्होंने निर्माण-कार्य में लगाया है, उसके लिये मैं समझता हूं कि वह बधाई के पात्र हैं। मुझे खेद है कि इसके संबंध में गवर्नर महोदय के भाषण में कोई संकत नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि जो लोग दर-दर मारे-मारे फिर रहे हैं वह भी हमारे राष्ट्र के नागरिक हैं, उनको बसाने के लिये भी उचित कदम उठाया जाना चाहिये। उनके रिहैबिलिटेशन का मसला जल्द तय करना चाहिये।

इसके पश्चात् मैं सरकार का ध्यान सीमाप्रांत के ऊपर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारी सीमा जो कम्युनिस्ट प्रदेशों से मिली हुई है आज उसका रिफरेंस गवर्नर महोदय के भाषण में आया है। आज दुनिया के ऊपर जो लड़ाई का डर है क्या ऐसी स्थिति में हमारे देश और इस प्रदेश का यह फर्ज नहीं होता है कि हम सीमा प्रांत के उन दुखी लोगों का, जो कि जिन्दगी के लिये परेशान हैं, जो रोटी के लिये तरसते हैं उन्हीं चट्टानों में, उन्हीं पहाड़ों में, उत्थान और विकास करें जो कि इस देश को सदा के लिये निर्भय बना सकते हैं? जो कि उन पहाड़ों के रहने वाले हैं और उन पहाड़ों को सुरक्षित बना सकत ह? मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से एक योजना उन पहाड़ों के रहने वालों के लिये उपस्थित होनी चाहिये ताकि हमारा देश विदेशों के हमले से सुरक्षित हो सके। एक योजना उनको उन पहाड़ों से लेकर तराई भाबर और मैदानों में लाने की सुनने में आती है। ऐसी योजना को मैं बुद्धि से खारिज समझता हूं क्योंकि अगर उन पहाड़ों को बिना इंसानों के छोड़ दिया जाय तो दुश्मनों के लिये हम एक सुन्दर व्यवस्था पैदा करते ह। म समझता हूं कि भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक का यह फर्ज है कि वह अपनी सरकार का ध्यान इस ओर दिलाये ताकि हमारे देश की सुरक्षा दृढ़ हो और वहां के निवासी उन पहाड़ों को अपना घर समझ सकें, उनकी सुरक्षा क लिये अपनी जान लड़ा सकें, और जब कभी भी इस प्रकार का खतरा हो तो वे अपने देश के लिये बड़ी से बड़ी आहुति करने के लिये तैयार रहें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने के प्रस्ताव में यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"किन्तु सदन को खेद है कि महामहोदय राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में निम्न विषयों की चर्चा नहीं की—

(१) बेरोजगारी, भुखमरी आदि मिटाने के लिये धन-धर्तों के बटवारे की कोई चर्चा नहीं की।

(२) बाढ़ एवं कटाव रोकने तथा बाढ़ पीड़ितों को ऊपर की भूमि पर बसाने के लिये तात्कालिक कदम उठाने क लिय सरकार को कोई सुझाव नहीं दिया।

(३) माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा "कोचिंग क्लास" लेकर हाई स्कूल की परीक्षा में बैठने पर रोक लगाने से प्रदेश के हजारों छात्रों का समय खराब होने के विषय में सरकार को सुझाव नहीं दिया।

(४) बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में आवागमन का मार्ग शीघ्र प्रशस्त किया जाय इस संबंध में सरकार को ठीक सुझाव नहीं दिया।

(५) कपड़ा, लोहा, सीमेंट आदि वस्तुओं की कीमत अन्न के मुकाबिले में कम न होने के कारण करोड़ों किसानों की दयनीय दशा को शीघ्र समाप्त करन का सुझाव सरकार को नहीं दिया।

(६) मऊ गोली कांड तथा प्रदेश में पुलिस द्वारा किये जाने वाले गलत कामों को रोकने का ठोस एवं तात्कालित कदम उठाने का कोई सुझाव नहीं दिया।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह परिपाटी है सरकार की और राज्यपाल महोदय की कि जो सरकार चाहती है उसी की बोली म राज्यपाल महोदय बोल देते ह। चाहिये तो यह कि राज्यपाल किसी दलके नहीं हैं, इसलिये निष्पक्ष हो कर सरकार के कुछ गलत कामों की टीका टिप्पणी करत और उसको राय देते कि किस तरह से प्रदेश में काम होना चाहिये। जिन कामों की प्रशंसा राज्यपाल महोदय द्वारा की गयी है उनके अतिरिक्त आप देखेंगे कि सरकार ने इस प्रदेश

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

में बहुत से ऐसे गलत काम किये हैं जिससे प्रदेश की जनता को काफी तकलीफ उठानी पड़ी है और पड़ रही है। सरकार की ओर से, और खासकर डाक्टर सम्पूर्णानन्द के मुख्य मंत्रित्व के काल में यह आशा थी, और उन्होंने मुख्य मंत्री के पद का कार्य भार संभालते हुये कहा था कि हम वेतन में और प्रशासन में कुछ रद्दोबदल करेंगे और प्रशासन के कार्य में पहले से कुछ अन्तर करेंगे। लेकिन देखा जाता है कि राज्यपाल महोदय के भाषण में वेतन के संबंध में कोई चर्चा नहीं है! जबकि कांग्रेस घोषणा-पत्र में यह र ा है कि न्याय और प्रशासन को हम अलग-अलग करेंगे, लेकिन इतने साल बीतने के बाद भी न्याय और प्रशासन का ढांचा एक ही है और इससे मेरा ख्याल है कि शासन करने वाले लोग न्याय के काम में बहुत कम सफलता प्राप्त कर रहे हैं; जिससे गरीब लोगों को सस्ती कीमत में न्याय मिलना बिल्कुल असंभव हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में डाक्टर सम्पूर्णानन्द के सभापतित्व में ही पुलिस के अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें खास चर्चा की गयी थी कि एम० एल० ए० लोग सरकारी कामों में हस्तक्षेप करते हैं। यह बिलकुल सही है कि सरकार की ओर बैठने वाले जो सदस्य ह उनके इशारे पर पुलिस के लोग और शासन करने वाले लोग चलते हैं। जहां पर विरोधी दल के लोगों पर अन्याय और अत्याचार होता है वहां पर कांग्रेस के लोग उस कर्मचारी या अधिकारी का समर्थन करते हैं और नि-पक्ष हो कर ऐसे अधिकारियों या कर्मचारियों के संबंध में बात नहीं करते जो दूसरी पार्टियों के लोगों को दबाना या सताना चाहते हैं।

सरकार की ओर से जिलों में पंचायत कर के संबंध में आर्डर गया है कि जो पंचायत का टैक्स नहीं देगा वह पंचायत के चुनाव में भाग नहीं ले सकेगा। मैं समझता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये। इस आर्डर से हमारे प्रदेश में करोड़ों ऐसे ग्रामीण होंगे जो पंचायत के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां बाढ़ आयी या सूखा पड़ा, जहां पर मालगुजारी में कमी हुई, टेस्ट वर्क्स जारी किये गये वहां पर पंचायत का पूरा टैक्स वसूल किया जाय, और जो टैक्स न दे सकें वह पंचायत के चुनाव में हिस्सा न ले सकें, मैं समझता हूं कि यह प्रजातंत्र प्रणाली के बिल्कुल विपरीत है और सरकार को इस पाबन्दी को बहुत जल्द हटा देना चाहिये।

इसके अलावा गन्ने की कीमत नहीं बढ़ी और चीनी की कीमत बढ़ती चली जा रही है! मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि गन्ने की कीमत बढ़ाने के लिये प्रदेश में बहुत तहलका मचा हुआ है। उसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये और कीमत १।।।) प्रति मन कर देना चाहिये।

इसके अतिरिक्त अभी १९५४ ई० में जब पंचायत राज संशोधन विधेयक आया था तो उसमें इस तरह का एक संशोधन लाया गया था कि पंचायत के चुनावों में अध्यापकों को भी हिस्सा लेने का अधिकार होना चाहिये। लेकिन इस पर उधर के बैठने वालों को बड़ी सख्त आपत्ति हुई और कहा गया कि अध्यापकों को रा ीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिये। लेकिन हमारे पास नोटिसें आयी हैं। आजमगढ़ जिला बोर्ड के बहुत से मास्टरों का उन नोटिसों में नाम छपा हुआ है और कांग्रेस के पक्ष का प्रचार कर रहे हैं। और स्कूल बन्द करके सभाओं में जाते हैं, जिला बोर्ड के चेयरमैन इन सभाओं में हिस्सा लेते हैं। इस तरह की परिपाटी कांग्रेस के सदस्यों की ओर से अपनायी जाती है। ऐसी हालत में अगर दूसरी तरफ से मास्टर जाते हैं तो उनकी मुअत्तली और बरखास्तगी नहीं करनी चाहिये।

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय आप देखेंगे कि टेस्ट वर्क्स में मजदूरी बहुत कम दी जाती है। आजमगढ़ में छः आने मजदूरी है और उसी के पड़ोसी जिले देवरिया में सात आने है। इसी तरह से जब गल्ले का भाव पूरे प्रदेश में एक सा है तो टेस्ट वर्क्स पर मजदूरी भी एक ही होनी चाहिये।

इसके अलावा स्पेशल परताल के लिये अक्टूबर में आर्डर दिया गया था और हमें आशा थी कि परताल से गरीब जनता को न्याय मिलेगा और परताल भी ठीक तरह से होगा। पर आदेश के विपरीत कार्य हो रहा है!

पारसाल आजमगढ़ में पड़ताल और शिकमी काश्तकारों के सवाल को लेकर बहुत शोर मचा था और आशा थी कि कुछ गरीब किसानों की मदद की जायगी। लेकिन हमारे साथी राजनारायण सिंह जी ने बताया कि बनारस जिले में ५६ फसली तक के शिकमी किसानों का इन्दराज होते हुये उनको मजबूर करके दरख्वास्तें दिलायी जा रही हैं कि वह इस्तीफा दे दें। आजमगढ़ में बहुत से परगना हाकिम हैं जिन्होंने ५६ फसली से पहले के शिकमी काश्तकारों, जो कि ५६ फसली के पहले से काबिज हैं उनको मजबूर कर रहे हैं कि इस्तीफा दे दें नहीं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

इसके अलावा हमें आशा थी कि डा० सम्पूर्णानन्द के मुख्य मंत्रित्व काल के आरम्भ में जो हमारे चौकीदार हैं, जो ४ रु० १३ आने पाते हैं, उनका वेतन बढ़ाने की घोषणा राज्यपाल महोदय करेंगे। चपरासी जो इसी सदन के हैं, और जो सब लोगों के पीछे घूमा करते हैं, उनकी तनख्वाह, और अध्यापकों की तनख्वाह के विषय में उनको घोषणा करनी चाहिये थी कि उनमें वृद्धि की जायगी लेकिन इस तरह का कोई सुझाव माननीय राज्यपाल ने इस सरकार के लिये नहीं दिया है। मैं समझता हूं कि यह कल्याणकारी राज्य का नक्शा नहीं है। कहा जाता है कि हम बहुत आगे बढ़ गये हैं यह उचित नहीं मालूम होता है। खाद्य के लिये कहा गया कि हम स्वावलम्बी हो गये हैं। मैं भी इसको मानता हूं कि बाजारों में गल्ला भरा पड़ा है, और मैं इस बात को भी मानता हूं कि बाजारों में कपड़ा भरा पड़ा है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय जहां पर बाजारों में कपड़ा और गल्ला भरा पड़ा है ठीक उसी बाजार में और उसी गांव में जो गरीब लोग रहने वाले हैं वह बिना कपड़े के हैं और बिना अन्न के हैं। उनके पास खाने के लिये अन्न नहीं है और पहनने के लिये कपड़ा नहीं है! मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब गल्ले की कमी नहीं है तो फिर यहां पर भुखमरी क्यों है? जब यहां पर कपड़ा भरा पड़ा है तो लोगों के पास पहनने के लिये कपड़ा क्यों नहीं है? इसका कारण यही है कि लोगों के पास पैसा नहीं है जिससे वह बाजार में जाकर कपड़ा और गल्ला खरीद सकें। गल्ले की कीमत जो इतनी कम होती चली जा रही है यह भी मुख्य कारण है। द्वितीय कारण यह है कि खेतिहर मजदूर और दूसरे लोगों के पास रोजगार की कमी होती जा रही है। यही इसका कारण है कि बाजारों में गल्ला और कपड़ा रहते हुये लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। इन शब्दों के साथ में अपने संशोधन को पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर उचित कार्यवाही करेगी।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने श्रीमान् राज्यपाल महोदय के व्याख्यान को कल बड़े ध्यान से सुना और आज विरोधी दल के नेता का व्याख्यान भी सुना, और उसको समझने की कोशिश की। लेकिन बहुत ध्यान देने के बाद और काफी सोचने के बाद भी उसमें उन्होंने क्या फरमाया, उसमें मुझे कोई नई बात नजर नहीं आयी? माननीय राज्यपाल महोदय का भाषण कई बार इस सदन में हो चुका है और उनका भाषण भी कई बार इस सदन में हुआ है।

श्री वंशीदास धनगर (जिला मैनपुरी)---श्रीमन्, सुबह के टाइम में यह नियम हो चुका है अध्यक्ष महोदय के सामने कि वक्ता लोग यहां पर उसी तरतीब से बोलेंगे जिस तरतीब से इसमें नाम दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष---जी हां, मैं जानता हूं। श्री बालेंदुशाह को मौका दिया गया था और अन्य लोगों को बहुत कम मौका दिया गया है। पहले संशोधन वालों को ही मौका दिया जा रहा है।

श्री सीताराम शुक्ल--तो राज्यपाल महोदय के भाषण जितनी बार भी यहां पर हुये हैं उनमें उन्होंने नई-नई बातें कही हैं। लेकिन हमारे विरोधी दल के नेता ने एक ही बात को बार बार कहा है और मैंने इस सदन में उनकी बातों का जवाब दिया है। वह इस बात को भूल गये होंगे लेकिन मुझे याद है। अगर मैं उसको फिर दोहराता हूं और उनकी बातों का जवाब देता हूं तो जो लोग प्रोसीडिंग पढ़ेंगे वे क्या कहेंगे कि विरोधी वृन्द ने गलती की तो फिर इन्होंने गलती क्यों की? इसलिये मैं उनकी बातों का जवाब देना आवश्यक नहीं समझता हूं क्योंकि इसका जवाब कई बार दिया जा चुका है। इस अवसर पर मैं हाउस का ध्यान, गवर्नमेंट का ध्यान एक आवश्यक विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। और उसके लिये यही मौका है। यह सही है कि सरकार के कोशिश करने के बावजूद अभी हमारे देश में गरीबी है, परेशानियां हैं, अभी अशिक्षा है, और दूसरी कमियां है, इसमें कोई दो रायें नहीं है, इसको मैं मंजूर करता हूं। और यह भी सही है कि अभी हमारे देश में उतना आराम नहीं है जितना कि लोगों को होना चाहिये, इसके कहने में मैं हिचकिचाता नहीं हूं। सरकार भी इस बात को कबूल करती है कि गरीबी है। किन्तु उस गरीबी को दूर करने में सरकार को कुछ सफलता भी मिली है किन्तु विरोध करने वालों ने बुराइयां तो अनेक बतलाई लेकिन यह नहीं बतलाया कि उसको बहुत कुछ कामयाबी मिली है, तथा परेशानियों को दूर कैसे किया जा सकता है? अगर उसको बताने की वे कोशिश करें तो बहुत कुछ लाभ भी हो सकता है और उससे बड़ी मदद मिल सकती है। लेकिन वे ऐसी कोई बात नहीं बताते। उनके सब कुछ कहने का केवल एक ही लुब्बो लुवाब मालूम होता है कि समाजवाद को मान लिया जाय। चाहे कोई बात हो, चाहे गन्ने का सवाल हो, चाहे राज्यपाल महोदय के संभाषण की बात हो, उनकी स्पीच का केवल एक ही लुब्बोलुवाब होता है कि समाजवाद मान लीजिये। लेकिन समाजवाद रंगून में है, वहां की सरकार सामाजवादी सरकार है, क्या वहां गरीबी नहीं है? खाने, कपड़े और मकान का सब को आराम है, सब लोग मजे में हैं? तो जवाब मिलेगा नहीं साहब; वहां भी वे सारी दिक्कतें हैं जो यहां हैं। ट्रावनकोर में भी समाजवादी सरकार बनायी गयी, कुछ मौका उनको भी दिया, कांग्रेस पार्टी ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन क्या इससे ट्रावनकोर कोचीन के लोग सुखी हो गये? और क्या वहां का इंतजाम और सूबों से अच्छा हो गया? अच्छा क्या हो गया वहां की शिकायत खुद उन्हीं के पार्टी के लोगों को हो गयी, और शोसलिस्ट पार्टी के लीडर श्री राममनोहर लोहिया जी ने इस्तीफा दे दिया, तथा वहां की सरकार की निन्दा करने लगे। इस प्रकार से वहां पर डेडलॉक और जिच पैदा हो गई। अभी हाल में वहां की मिनिस्ट्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया और उसने स्तीफा भी दे दिया। तात्पर्य कि अपनी हालत तो यह है किन्तु दूसरों को उपदेश देते हैं। खुदरा फजीहत दीगरा नसीहत। जहां काम करने का मौका मिला वहां तो असफल हुये लेकिन दूसरों को नसीहत देते हैं।

हमारे यहां इस हाउस में एक कम्युनिस्ट दोस्त भी हैं। वह कहते हैं कि कम्युनिज्म आ जाय तो अच्छा होगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि रूस के अन्दर क्या सब लोग सुखी हैं, क्या वहां लोगों की रहन-सहन अच्छी है? क्या वहां पर खाने पीने और कपड़े की कोई तकलीफ नहीं है? अमेरिका, फ्रांस और इंगलैन्ड से मुकाबला करें तो क्या वहां की हालत अच्छी है? मुझे तो अच्छी मालूम नहीं होती। रूस में काम करने वालों को इस्तीफा देना पड़ता है, झगड़ा होता है, खून होते हैं। तो मैं कहता हूं कि शिकायत तो करते हैं लेकिन शिकायतों को दूर करने का रास्ता नहीं बतलाते, यह तो हम खुद भी पहले कह देते हैं कि कांग्रेस की कोशिशों के बावजूद अभी उसमें खराबियां हैं, इसमें दो रायें नहीं है। यह शिकायत तो किसी को है नहीं कि हमारी सरकार बुराइयों को दूर करने की कोशिश नहीं करती, अथवा हमारी सरकार में योग्य आदमी नहीं है, वे मेहनत नहीं करते। परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि वे मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन यह जो गरीबी है वह आज की नहीं है, वह अंग्रेजों के जमाने की है। परेशानी यह नयी नहीं है, पुरानी है, कोशिश करने के बावजूद वह अभी दूर नहीं हो सकती है। मैं यह नहीं कहता कि इस शासन में खराबियाँ नहीं हैं। हैं, जरूर हैं। लेकिन वे खराबियां नहीं है

जो जनाव फर्माते हैं। बल्कि खराबियां है प्रजातंत्र और पार्टी राज को ! यह सही है कि प्रजातन्त्र में बहुत सी खूबियां होती हैं, किन्तु कुछ खराबियां भी होती हैं। पार्टी राज में जहां बहुत से गुण होते हैं, तो कुछ दुर्गुण भी होते हैं। तो पार्टी राज में भी खराबी होती है, इसको मैं कबूल करता हूं और मंजूर भी करता हूं। मुझे इस बात पर फक्र और नाज है कि हमारी उत्तम संस्था कांग्रेस, स्वयं कहती है कि हममें कमजोरियां है, हममें खराबियां हैं, और उसको दूर करने के लिये सब कमेटी बैठाती है। अभी मद्रास में जो कांग्रेस हुई थी उसने एक सब कमेटी बैठायी है। मैंने जयपुर कांग्रेस में ही कहा था कि अगर कांग्रेस को मजबूत बनाना है तो उसमें उसके बाहर के काबिल और योग्य आदमियों को लीजिये। जो जिस काम के योग्य हो उसको वह काम दिया जाय। अगर बाहर के योग्य आदमी हो तो उसको भी अच्छा स्थान दिया जाय, लेकिन अपनी पार्टी के खराब आदमी को भी उत्तम स्थान दिया जाय यह उचित नहीं है। यदि पांडित्य और चरित्र की पूजा नहीं होगी तो आपका काम अच्छी तरह नहीं चल सकेगा। वह बहुत आवश्यक है कि योग्य आदमियों को उचित स्थान दिया जाय तथा स्वदेश को सुधारने में उनसे सहायता ली जाय। मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि इन दिक्कतों को दूर करने में कांग्रेस सफलता प्राप्त कर रही है। एक बात मैं अन्त में और कह देना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के साथी आपका साथ छोड़ कर इधर क्यों आ रहे हैं? श्री मलखान सिंह जी जो इधर से नाराज होकर उधर चले गये थे वे इधर क्यों हो रहे हैं? इतने दिनों तक आपके साथ काम करके वे इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि कांग्रेस कुछ खराब है, उसमें कुछ कमजोरियां हैं, लेकिन वह उसको दूर करने की कोशिश कर रही है। किन्तु शोसलिस्ट पार्टी में बहुत खराबियां हैं अतः उसे छोड़ने में ही कल्याण है।

*श्री ज्वालाप्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव पेश करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"परन्तु नम्रतापूर्वक खेद है कि महामान्य राज्यपाल जी ने अपने सम्बोधन में सद्भावना की कमी, जो कि न केवल जनसाधारण में ही, वरन् सरकारी अधिकारी और कर्मचारी में भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, उनके ठीक-ठीक कारण और निदान का कोई उपाय नहीं बताया है।"

इस आदरणीय सदन के महान् पर्व के अवसर पर मैं अस्वस्थ होते हुए भी भाग लेने के लिये आया हूं। इस कारण से कि इस राज्य के महाराजाधिराज की जगह पर जो राज्यपाल नियुक्त हैं, वे साल में एक दिन इस अपनी सभा को सम्बोधित करते हैं। तो इस महान् पर्व के अवसर पर हर एक को भाग लेने की कोशिश और प्रयत्न करना चाहिये। मैं प्रशंसा की बात तो बहुत कुछ सुन चुका, और उसमें बहुत कुछ असलियत भी है, परन्तु इस आधार पर कोई बात करनी हो तो इस सभा में ठीक-ठीक कह देनी चाहिये। इस कारण नहीं कि किसी की बुराई को दिखलाया जाय बल्कि उस आधार पर हमारा यह कर्तव्य है कि हम ठीक-ठीक बात कह दें। तो हमको देखना यह है कि इस साढ़े ७ वर्ष के अन्दर हमारे जन साधारण या सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों में सद्भावना की मात्रा में कितनी कमी हुई है और कितनी कमी दिन प्रतिदिन होती जा रही है? इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि हमने जो यह घोषित कर दिया है कि हमारी नीति सेकुलर है, उस बड़े स्तर को साधारण जनता समझती नहीं है। हमारे नेतागणों में कुछ ऐसे हैं जो सच्चे दिल से देश की भलाई के लिये प्रयत्न कर रहे हैं, परन्तु जनसाधारण या सरकारी अधिकारी और कर्मचारी उतनी बात तक नहीं पहुंच सके हैं। उसकी मिसाल ऐसी कही जा सकती है, कुछ हमारे नेता-गण जो सच्चे रहे हैं, उनकी मिसाल निराकार परमेश्वर की उपासना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा]

से देनी चाहिये, और जनसाधारण या सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की मिसाल साकार उपासना वालों से देना उचित होगा। तो सरकार उपासना वालों के लिये तो कोई सहारा चाहिये। वह सहरा टूट जाने पर अब यह हालत हो गयी है, श्रीमन्, मैं आपके द्वारा अपने माननीय सदस्यगण का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब वे स्कूल में पढ़ते थे, अगर सातवें दर्जे में पढ़ते थे और सातवें दर्जे के छात्र आपस में कुछ बातचीत करते रहते थे, और आठवें दर्जे का कोई लड़का सामने से गुजर जाय, तो वे सब बाअदब हो जाते थे। पहले गुरू की लोग बहुत ही ताजीम करते थे। लेकिन आज क्या है कि अगर गुरू सामने से गुजर जाय तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है! इसी तरह से ब्रिटिश राज्य में जो न्याय की प्रणाली थी, और जिस तरह से न्याय होता था वह आज नहीं होता है। पंचायत राज की निगरानी में ३२–३२ पेशियां होती हैं। किसी पर पंचायत में दस रुपया जुर्माना हुआ, उसने निगरानी दाखिल की तो उसमें ३२–३२ पेशियां डेढ़-डेढ़ साल और दो-दो साल में होती हैं। जाब्ता फौजदारी की १०७ की कार्यवाही होती है, वह एक साल के लिये हो सकती है। उसके भी मुकदमे डेढ़-डेढ़ साल तक चलते रहते हैं और दो दो साल तक लग जाते हैं। देखना यह है कि यह सब क्यों हो रहा है? यह सब सद्भावना की कमी के कारण हो रहा है जो आज लोगों में नहीं है, और हमने इस तरह के नियम और अधिनियम बना दिये हैं जिनके कारण ऐसा होता है। मैंने भागवत में पढ़ा है कि ६ प्रकार के पाप होते हैं, और उनमें से एक यह भी है कि किसी भी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाय। लेकिन हम इस तरह के नियम और अधिनियम बनाते हैं कि अगर कोई जबरदस्ती कब्जा कर ले तो वह उस जमीन का अधिवासी हो जायगा। और अब तो वह सीरदार ही हो गया अक्तूबर सन् ५४ के बाद से। जब हम इस तरह के नियम और अधिनियम बनावेंगे तो क्या होगा? यदि हम ऐसा करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि——

"यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरे जनाः।
स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्त्तते॥"

तो जिस तरह से सर्वश्रेष्ठ लोग, मंत्री लोग, उपमंत्री लोग और नेता लोग करेंगे उसी तरह से जनता उस पर चलने लगेगी। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रिगण तो राज्य के ट्रस्टी हैं, और जो महाराजाधिराज हैं उनको तो अधिक अधिकार नहीं है, वह तो केवल सभा में एक दिन सम्बोधन के लिये आते हैं। लेकिन मंत्रिगण और उपमंत्रिगण इस राज्य के ट्रस्टी हैं, और जो राज्य की प्रजा है, वह बेनिफिशियरी है। हमें देखना है कि उसको राज्य की आय का कौन सा प्रतिशत मिलता है? ट्रस्टी जो हैं वह कितना हिस्सा स्वयं लेते हैं और कितना राज्य की आय का भाग बेनिफिशियरी जनता को मिलता है? इसका हिसाब कभी नहीं लगाया गया। मैं भी अपना भाग लेने के लिये इस बहुमूल्य समय में दौड़ा आता हूं। यह देखना है कि कितना भाग हम लेते हैं, और जो बेनिफिशियरीज इस ट्रस्ट प्रापर्टी के हैं उनको कितना हिस्सा मिलता है? अगर हम इस बात को ध्यान में रख कर काम करें तो सद्भावना की कमी नहीं हो सकती। हमारी संस्कृति तो ९७ करोड़ वर्ष पुरानी है लेकिन अगर नेतागण दूसरों की सभ्यता और संस्कृति पर ही चलना चाहें तो उनके यहां भी "जस्टिस, इक्विटी एंड होल्ड गुड फोर एवर" उसी पर हम चलें लेकिन उस पर भी नहीं चलते। इसी तरह से एक फारसी का शेर है कि "कहती है जिसको खल्केखुदा गायबाना क्या।" आप अपने यहां रामराज्य लाने की बात कहते हैं लेकिन आप को राम के उदाहरण को भी तो लेना चाहिये! रामराज्य में राम की क्या मर्यादा है? एक धोबी अगर इस तरह की बात करता था, और अपनी स्त्री से कहता था कि मैं रामचन्द्र नहीं हूं कि जिसने सीता जी दूसरे के यहां रहीं और उनको फिर से अपने पास रख लिया। जब रामचन्द्र

जी को यह बात मालूम हुई तो इस बात को जानते हुये भी कि सीता जी निर्दोष हैं, उन्होंने यह सोचकर कि हमारी प्रजा में अगर एक आदमी भी हमें अन्यायी समझता है तो सीता जी को नहीं रखना चाहिये, और यह समझकर सीताजी को फिर बन में भेज दिया। अब इस समय एक अवसर आया है जिसमें देखना यह है कि सरकार नियमों और न्याय के अनुकूल कार्य करती है या नहीं ? मैंने बद्रीनारायण मन्दिर कमेटी के सदस्य के लिये अपना नाम दिया है। उसके लिये नियम में लिखा हुआ है कि जो हिन्दू प्रचलित पूजा का माननेवाला हो उसी को होना चाहिये। (एक सदस्य--आपके लिये सिफारिश कर दी गई है।) मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने कांग्रेसी होते हुये भी मेरी सिफारिश कर दी है। मैं हाथ तो उसके लिये जोड़ूंगा नहीं, लेकिन अगर नियमों और न्याय के अन्दर मेरे निर्वाचित होने में अड़चन नहीं है तो बहुत सुन्दर है। अच्छा है, अब लाल रोशनी आ गई है इसलिये मैं बैठ जाता हूं, जिसमें आपको कोई असुविधा न हो।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--उपाध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में उन तमाम कार्यों का जिक्र किया है जो कि इस प्रदेश में हुये हैं और होने वाले हैं। इस सम्बन्ध में श्री केशवगुप्त जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है मैं भी उसमें सम्मिलित होना चाहता हूं। हमारे इस प्रदेश में एक ही तरफ नहीं, बल्कि बहुरंगी, मैं तो कहूंगा चतुर्मुखी, सब विभागों में उन्नति हुई है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जिसमें यह आगे न बढ़ा हो, और जिस प्रगति से हमारा प्रदेश आगे बढ़ा है वह भारतवर्ष के और प्रदेशों के मुकाबले में सबसे अधिक रहा है। हमारे प्रदेश में इस राज्य में जो-जो कार्य इसके सुपुर्द हैं उन कार्यों को बहुत कुछ आगे बढ़ाया है। सब से पहले कृषि लीजिये। कृषि के सम्बन्ध में सड़कों को बनाना, आबपाशी को बढ़ाना, बाढ़ों को रोकना, नहरों का बनाना, नलकूपों का बनाना, यह सब जिस कदर उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिस प्रगति से हुआ है, वह प्रगति किसी और प्रदेश में नहीं हुई है, जिसके कारण हमारे देश की जो अन्न समस्या है वह बहुत कुछ हल हो गई है। हमारे प्रदेश में अन्न की कमी थी, हमारे प्रदेश के अन्दर इतना अन्न नहीं उत्पन्न होता था कि हमारा गुजारा हो जाय, वह पूरा हो गया। और उससे भी अधिक उत्पन्न होने लगा और हम दूसरे देशों को भेजने लगे। हमारे प्रदेश में जो बिजली की कमी थी वह भी बहुत कुछ पूरी हो गई और होने जा रही है। इस वर्ष खटीमा का पावर हाउस तैयार हो गया है जो बिजली देने लगेगा। उसी तरह से पथरी का हाइडेल का जो काम है वह तैयार हो गया है और वह भी बिजली देने लगेगा। वह रोशनी और खेती के ही काम में नहीं बल्कि उद्योग के काम में भी आवेगा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हर एक क्षेत्र में तरक्की हुई है। जब हम शिक्षा को देखते हैं तो उसका विस्तार बहुत अधिक हो गया है। हम देखते हैं कि जब से इस राज्य में हमारी इस सरकार ने काम सम्भाला है, सन् ४६ से और आज के बीच में हमारी शिक्षा चौगुनी से अधिक बढ़ गई है। जहां पहले हमारे यहां लड़कों की तादाद मैट्रिक और इंटरमीडियेट में ४८ हजार थी वहां इस साल २ लाख ५३ हजार हो गयी है। जहां अस्पतालों को देखते हैं वह भी बढ़े हैं। जिस क्षेत्र को देखें वहां उन्नति हुई है। हां, विरोधी दल के मित्रों ने कुछ कमियां बताई हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी बहुत बड़ी कमी है। हम यह नहीं मानते कि जो कुछ हमें करना था वह सब कुछ हम कर चुके हैं। हमारा देश बहुत समय से गिर चुका था, हमारा घर टुकड़े टुकड़े पड़ा था, बिखरा पड़ा था। उसको ठीक करने में दो चार वर्ष नहीं, मैं तो कहता हूं कि पचासों वर्ष लगेंगे तब कहीं हम अपने ध्येय पर पहुंच सकेंगे। जो कमियां उन्होंने बतलाई हैं वे ऐसी हैं जिनकी ओर शासन का ध्यान पहले से ही है, और उसको दूर करने में वह लगा हुआ है। कुछ मित्रों ने इशारा किया कि टैक्सेज कम

[श्री रतनलाल जैन]

नहीं किये गये। टैक्स तो कम नहीं हो सकते। जब राज्य सरकार ने बहुत से काम उठाये हैं, और बहुत से कामों को शुरू किया है, जिनके लिये रुपया चाहिये, जिनके लिये कर्जा लिया जा रहा है, जिनके लिये हर एक तरीका अख्तियार किया जा रहा है, तब टैक्सेज कैसे कम किये जा सकते हैं? लिहाजा जो जनता है उसे वे टैक्सेज देने होंगे, परिश्रम भी करना होगा, तकलीफ भी उठानी होगी, तभी देश आगे बढ़ सकेगा। लिहाजा जिस परिस्थिति में हम हैं उस परिस्थिति में टैक्सेज को कम करने का प्रश्न नहीं उठता।

एक बात मुझे अवश्य दिखाई देती है कि हमारे प्रान्त में ही नहीं वरन् सारे भारतवर्ष में कुछ बेकारी बढ़ती जाती है! जहां तक मुझे अनुभव है, जो शहर के रहने वाले लोग हैं, उस क्षेत्र में मध्यम वर्ग की दशा बहुत खराब है। जहां तक मेरा अनुमान है मध्यम वर्ग में ९० प्रतिशत ऐसे होंगे जिनकी आमदनी उनके खर्चे के मुकाबले में या तो कम है, या वे पहले की पूंजी में से खर्च कर रहे हैं, या वे बड़ी तंगी से रह रहे हैं। यह बेरोजगारी का मसला हमारे प्रदेश की सरकार के सामने है। महामान्य राज्यपाल ने अपने एड्रेस में इस ओर भी संकेत किया है। इसके लिये कॉटेज इंडस्ट्रीज को कायम करना होगा। जिससे यह समस्या हल हो सकती है और इसी के लिये इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कार्पोरेशन की नींव डाली गई है। मगर मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर विशेष कर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह बेरोजगारी की समस्या हमारे प्रदेश में बहुत अधिक है जिसके कारण हमारे प्रदेश की जनता बहुत अधिक दुःखी है। इसलिये सबसे बड़ा कार्य जो हमें इस वर्ष करना है, वह है बेरोजगारी को दूर करना या लोगों को उचित रोजगार देना।

और जो बहुत सी बातें कही गई हैं उनमें भी कुछ कुछ सत्य है। यह भी ठीक है कि जनता और सरकारी अधिकारियों के बीच में सद्भावना की कमी है। लेकिन ये सब बातें आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होंगी। मैं जहां तक जानता हूं वह यही है कि इस ओर भी हमारी सरकार का ध्यान है और उसकी कोशिश है कि जो भी कमी हो वह चाहे सरकारी अधिकारियों में हो या जनता में हो, वह दूर की जायं। इसके लिये हमें भरसक प्रयत्न करना होगा, लेकिन समय लगेगा और आहिस्ता-आहिस्ता ये कमियां दूर होंगी।

एक हमारे मित्र श्री जोरावर वर्मा जी ने हरिजनों के सम्बन्ध में कहा। यह सरकार हरिजनों के सम्बन्ध में बहुत कोशिश कर रही है, और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि हमारे हरिजन भाइयों ने काफी उन्नति की है। आज हरिजन भाइयों ने बहुत स्थानों पर तरक्की की है और बहुत से लोगों से वे गांवों में आगे बढ़ गये हैं। सरकार का भी इस ओर काफी ध्यान है। सरकार ने भी यह निश्चय कर लिया है कि १८ प्रतिशत उन्हें रिजर्वेशन दिया जायगा।

(इस समय ४ बजकर ८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

हर जगह पर उन्हें लेने का प्रयत्न किया जाता है। सिवाय ऐसी जगहों के जहां पर ठीक उम्मीदवार नहीं मिलते हैं। चूंकि राज्य चलाने के लिये एफिशियेंसी की भी आवश्यकता होती है, और अगर किसी उम्मीदवार में कार्य क्षमता नहीं है तो उसे कैसे लिया जा सकता है जब कि उस स्थान के लिये कार्य क्षमता का होना अनिवार्य है और उसके बगैर वहां काम नहीं चल सकता है। ऐसे स्थानों में आप देखेंगे कि या तो हरिजन भाइयों के प्रार्थना-पत्र ही नहीं होते हैं, या अगर होते भी हैं और वे नहीं लिये जाते हैं तो यह समझ लिया जाय कि उनमें दूसरों के मुकाबले में एफिशियेंसी बहुत कम है। जहां तक राज्य सरकार का सम्बन्ध है या हमारे माननीय सदस्यों का सम्बन्ध है, वह यह चाहते हैं कि हमारे जो हरिजन भाई पिछड़े हुए हैं, वह आगे बढ़ें ताकि

हमारा देश अपने आदर्श को पहुंच सके। हमारा देश चाहता है कि हमारे यहां एक ऐसा समाज हो जाय कि जो वर्गहीन हो। इसलिये मैं उनको और उनके द्वारा अन्य भाइयों को यह और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक हरिजनों का सम्बन्ध है, राज्य के अधिकारी और जनता, और यहां के माननीय सदस्य, सभी यह चाहते हैं कि उनकी उन्नति हो, और यह चाहते हैं कि उनको पूरा मौका मिले और उस समय तक मौका मिले जब तक कि राज्य के किसी काम में रुकावट न पड़े। मैं इन शब्दों के साथ, जो राज्यपाल को धन्यवाद का प्रस्ताव श्री केशव गुप्त जी का है उसमें अपने को सम्मिलित करता हूं।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के संबोधन पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव उपस्थित है उसमें मैं निम्न संशोधन उपस्थित करता हूं--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"किन्तु खेद है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश नहीं डाला--

(१) कुमायूं डिवीजन और सरकारी आस्थानों, (estates) तराई व खाम भावर के लिये भूमि व्यवस्था कानून इसी वर्ष बनाये जाने के लिये संकल्प।

(२) बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जमनोत्री में जाने वाले यात्रियों की असुविधा को दूर करने का संकल्प।"

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में जैसा कि माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा है, चतुर्मुखी उन्नति हुई है। और इसमें कोई सन्देह नहीं कि बहुत कुछ काम भी हुआ है और होना भी चाहिये था, क्योंकि यह हमारा अपना राज्य है और इसमें हमारी कल्याणकारी राज्य की कल्पना भी है। मैं समझता हूं कि इन सब में सब से मुख्य समस्या हमारे भोजन और वस्त्र की है और जिसमें भूमि का विषय मुख्य है। उत्तर प्रदेश के जिलों में, जैसा कि माननीय हरगोविन्द पन्त जी ने कहा था, अपना एक संशोधन रखते हुए, कुल एरिया एक लाख ११ हजार और कुछ ज्यादा स्क्वायर माइल्स का है, और इसमें ४ पहाड़ी जिले हैं जिनका एरिया करीब १/५ या १९ हजार पांच सौ वर्ग मील है। यहां हम देखते हैं कि ४/५ भाग की भूमि व्यवस्था तो हुई है और वहां सुधार की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन १/५ हिस्से के बारे में भूमि व्यवस्था की कोई बात नहीं है! और जैसा कि कहा गया वहां बिजली की भी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो अपने जिले गढ़वाल और पास के जिले टेहरी के बारे में कहता हूं कि वहां न तो कोई पावर की व्यवस्था हुई है और न बात। पांच साला योजना में कुछ पावर हाउसेज तो बने हैं और निकट भविष्य में बनेंगे भी, लेकिन गढ़वाल का जहां तक संबंध है वहां पावर की कोई बात ही नहीं है! द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रामगंगा पर जो नैनीताल जिले में है, पावर स्टेशन बनाने की योजना है। मैं यह नहीं कहता कि दूसरे जिले में ऐसी व्यवस्था क्यों की जाय जब कि हमारे जिले में नहीं है, लेकिन मैं यह कहता हूं कि उससे हमारा गढ़वाल बहुत दूर पड़ जायगा और वहां कोई व्यवस्था पावर की नहीं हो पायेगी। चूंकि समय कम है इसलिये मैं दो चार बातें कह कर ही समाप्त करूंगा।

दूसरी बात जिसे सुन कर मुझे प्रसन्नता हुई वह थी बनारस में घाटों के बारे में। माननीय राज्यपाल महोदय ने भी अपने भाषण में उसका जिक्र किया कि उनकी मरम्मत की जा रही है। बनारस भारत का ही नहीं, संसार का, संस्कृत के लिये जब से बड़ा केन्द्र है और गंगा के तट पर होने के कारण भी इसका धार्मिक महत्व बहुत बढ़ा हुआ है। मैं भी वहां जा कर और उसके घाटों की हालत देखकर दुखी होता हूं। उनका सुधार होना चाहिये। लेकिन इसके साथ ही साथ जब हमें एक ओर बनारस का ध्यान आता है तो दूसरी ओर गंगोत्री और जमनोत्री का भी ध्यान आता है कि जहां से गंगा और जमुना बहती हैं, और बनारस की शोभा

[श्री गंगाधर मैठाणी]

को बढ़ाती हैं। लेकिन हम जो उस देश में रहते हैं, वहां के निवासी हैं, और मैं समझता हूं कि जितने भी यहां सदस्य हैं, सब से दूर का रहने वाला मैं ही हूं। लेकिन मैं देखता हूं कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जम्नोत्री आदि पर आदमियों का जाना मुश्किल है। इधर १० वर्षों से एक मील मोटर की सड़क नहीं बनी! इन वर्षों में कुछ कार्य होना आरम्भ हुआ है। मैं धार्मिक दृष्टिकोण को छोड़ता हूं, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से जब देखता हूं कि वहां से रेल हेड १५० मील पड़ता है। वहां पर आलू की खेती होती है और रेल हेड पर आने पर एक मन आलू का भाड़ा करीब ८ रुपया मन पड़ता है। जब कलकत्ते से माल लाते हैं तो कोटद्वारा का जो स्टेशन है वहां एक रुपया या दो रुपया प्रति मन पड़ता है। मैं कहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में, सारे इंडिया में, कोई ऐसा सुन्दर स्थान नहीं है जितना सुन्दर स्थान बनिया कुंड है, जो केदारनाथ के करीब पड़ता है। और हिमालय पर जो व्यक्ति सब से पहले हवाई जहाज में उड़ा था, जिनका नाम चावला साहब था, उन्होंने लिखा है कि कोई ऐसा सुन्दर स्थान दुनियां में नहीं है जितना केदारनाथ है। केदारनाथ के पांच मन्दिर हैं जो कि बहुत ही जीर्ण अवस्था में हैं। इसलिये अगर धार्मिक भावना न हो तो कम से कम सांस्कृतिक महत्व से ही उनका ख्याल करना चाहिये। जहां आज कोई जाने का साहस नहीं करता है वहां पर इतने विशाल मन्दिर बने हैं! मुझे दुःख है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने उन स्थानों का, जो हमारे कल्चर के स्थान हैं, उनकी जो बुरी अवस्था है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। मुझे आशा है कि हमारे डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी, जो कि हिन्दू संस्कृति के प्रेमी हैं और कल्चर के तथा प्राचीन आर्केलोजी के विशेष विद्वान् हैं, उनको इन स्थानों की जानकारी के लिये एक विशेष समिति बनानी है, और मैंने भी इस प्रकार का एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था कि वहां का उद्धार करना बहुत आवश्यक है। वहां के लोगों की आमदनी का साधन केवल टूअरिस्ट से था। लेकिन आज के जमाने में जब वहां आना जाना मुश्किल से होता है तो वहां के लोग घी, दूध, चाय वगैर बेच कर के ही जीते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत गिरती जाती है।

मुझे जान कर बड़ा दुख हुआ जब एक बिजली के अधिकारी से मिला तो उन्होंने कहा कि गढ़वाल में स्थान हमको नहीं मिला जहां पावर हाउस बना सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि गढ़वाल में हजारों नदी नाले ऐसे हैं जहां डैम्स वगैरह बनाये जायं तो बिजली उत्पादन की जा सकती है और वहां विशाल नगर बनाये जा सकते हैं, और साथ ही साथ रमणीक भी। स्कन्द पुराण में भी कहा गया है कि--

'हिमालयेतु केदारम्'

क्योंकि हिमालय के अन्दर केदारनाथ का महत्व है। जो मुसाफ़िर जाते हैं उनको नदी का बहता हुआ पानी पीना पड़ता है जिसकी वजह से उनको डायरिया हो जाता है। वहां उन लोगों को सब्जी नहीं मिलती है। बहुत से साथी मिले हैं उन्होंने बताया है कि जब वहां यात्रा के लिये गये थे तो जो कठिनाइयां सामने आयीं उनका जिक्र माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी से करेंगे।

हमारे यहां एक बद्रीनाथ कमेटी है। हमारे ज्वालाप्रसाद जी ने कहा कि उस कमेटी का मेम्बर होना चाहता हूं। हमें इस बात की प्रसन्नता है सदस्य बद्रीनाथ का सदस्य होना चाहते हैं! किन्तु हम इस बात का आप से अनुरोध करेंगे कि जो सदस्य होना चाहते हैं बनाये जायं। माननीय राज्यपाल ने वहां के इन स्थानों का कुछ भी जिक्र नहीं किया जो कि उत्तर प्रदेश के ही मुख्य अंग हैं। अगर हम वहां पर कुछ उत्पन्न करते हैं तो बाहर नहीं भेज सकते हैं। वहां के निवासियों की आर्थिक स्थिति क्या है इसके बारे में एक कमीशन बैठाया जाय, और मैं समझता हूं कि उसके द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति पर विचार किया जा सकता है। मैं अधिक समय बोला इसलिये मैं धन्यवाद देता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे अपनी बात सुनाने का मौका दिया।

*श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय गवर्नर महोदय का सम्बोधन सुना और माननीय सदस्यों ने जो उस पर अपने विचार प्रकट किये उनको भी गौर से सुना। जो अभी तक भाषण हुये हैं, उनसे प्रतीत होता है कि कुछ सदस्यों को इस बात की शिकायत है कि बहुत सी बातें जिसको कि वह आवश्यक समझते हैं, उनका जिक्र उस सम्बोधन में नहीं है और कुछ माननीय सदस्यों को यह शिकायत है कि जो चित्र खींचा गया इस सम्बोधन में, वह वास्तविकता से परे है। वह असलियत नहीं है बल्कि महज एक अच्छा रूप दिखलाने के लिये उसका उल्लेख किया गया है। मैं यह समझता हूं कि किसी सम्बोधन में सभी बातों का जिक्र आना यह तो सम्भव है। जो भाषण हुये हैं उनमें बहुत सी तो छोटी-छोटी बातों का जिक्र किया गया है। तो ऐसी सूरत में उन सदस्यगण का यह सोचना कि छोटी-छोटी बातों का इस सम्बोधन में जिक्र आ जाय, मेरी समझ में यह आशा करनी उनको नहीं चाहिए थी। बहुत सी बातें तो ऐसी हैं जिनका कि उदाहरण वगैरह दिया गया है, लेकिन अगर गौर से सम्बोधन जो हुआ है, उसको पढ़ा जाय तो सभी बातें उसमें एक तरह से आ भी जाती हैं। यहां पर जो कोई भी एड्रेस होगा, उसमें इस बात की आशा रखना कि आम तौर पर एक बात कह दी जाय, मोटी-मोटी बात भी कही जाय, लेकिन उसके अन्तर्गत जितनी छोटी-छोटी बातें हैं, वह सब पूरे ब्योरे के साथ कहीं जायं, यह तो एक नामुमकिन सी चीज हो जाती है और इस सदन का समय बेकार को व्यर्थ जाता है। यह बात कही गई कि कोई कल्याण नहीं हुआ, कोई प्रगति नहीं हुई, और असल में जो प्रगति बतलायी गयी है वह असलियत नहीं है! मैं यह समझता हूं कि अभी तक जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता माननीय आचार्य कृपलानी जी यह कहा करते थे कि इस देश के सामने सब से बड़ा प्रश्न रोटी का है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर खाद्य समस्या वाकई में हल हो गयी है, अगर वाकई में इस वक्त गल्ला काफी पैदा होता है, गल्ले का भाव बहुत ही कम हो गया है, यानी हर एक शख्स, चाहे गरीब हो या अमीर उसको आसानी से हासिल कर सकता है, अपना जीवन पाल सकता है, रोटी खा सकता है, तो क्या यह सब से बड़ी भारी चीज नहीं हुई हमारी इस सरकार के लिये कि जिसने इस प्रश्न को हल कर के दिखला दिया कि जो भुखमरी उस वक्त में थी वह बिल्कुल मिट गई? अगर वह चीज हासिल हुई है तो मैं समझता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय को हम लोगों को वाकई में बधाई देनी चाहिये कि उनकी सरकार ने सबसे बड़े प्रश्न को हल कर के दिखला दिया।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---आप अगर क्यों लगा रहे हैं?

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा---मैं इसलिये कह रहा हूं कि यह असलियत है और इसको वास्तविकता समझनी चाहिये, इसमें कोई शकोसुबहा की बात नहीं है। दूसरी बात यह कही गयी थी कि हरिजन समाज के लिये जो कुछ किया गया उसमें अभी बहुत सी कमियां हैं। और जो कहा जाता है कि उनकी उन्नति, भलाई और उनके कल्याण के लिये बातें की गयी हैं, वह सब फर्जी हैं, मैं समझता हूं कि ऐसा कहना एक बड़ी भारी भूल होगी। जितना रुपया हरिजनों की उन्नति के लिये सर्फ किया जाता है वह हर एक शख्स की जानकारी में है। हर एक जानता है कि उसके बच्चों की पढ़ाई के लिये यह सरकार क्या-क्या कर रही है? उसका विवरण जब-जब यह मसला आता है तब-तब उपस्थित होता है। उनकी निःशुल्क पढ़ाई के लिये प्रबन्ध किया गया है, उनके लिये स्कालरशिप की वृद्धि की जाती है। तो जहां तक उनकी पढ़ाई लिखाई का सम्बन्ध है उसके लिये तो व्यवस्था अच्छी तरह से की गयी है। हमारे हरिजन भाई ज्यादातर ऐसे थे जिनके पास जमीन नहीं थी। वह मजदूरी पर अपनी गुजर बसर करते थे। उसके लिये भी यह एक कानून सा बन गया कि जिन लोगों के पास भूमि नहीं है उन्हीं को अब भूमि पट्टे वगैरह पर दी जायगी। ऐसी सूरत में उनके पास भूमि आ जाय, इसके लिये भी कुछ न कुछ प्रबन्ध हुआ और जहां तक कि मजदूरों का प्रश्न था

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कुंवरकृष्ण वर्मा]

मजदूरी बढ़ाने के लिये भी बहुत सी बातें इस सरकार ने कीं। तो ऐसे जो गरीब थे उनकी पढ़ाई के लिये इन्तजाम हुआ! उनको भोजन आसानी से मिल सके, कम दाम पर मिल सके, उसके लिये इन्तजाम हुआ। उनको आगे गल्ला वगैरह मिल सके, उनकी हालत सुधर सके, उसके लिये प्रयत्न किया जाता है। भूमिहीनों को भूमि मिल सके और काश्त करके अपना पेट पाल सकें, इसका भी प्रबन्ध किया गया। तो उसके ऊपर इस बात की शिकायत करना कि उनके लिये कुछ भी नहीं किया जा रहा है, मेरी समझ में यह चीज गलत है और हमको जो कुछ भी किया जा रहा है उसके लिये धन्यवाद देना चाहिये।

एक शिकायत यह भी की गयी कि उनको अभी कुछ मन्दिरों में जा कर के पूजा करने की सुविधा नहीं है! मैं समझता हूं कि बहुत सी समाज कल्याण से संबंधित बातें ऐसी थीं जिनके बारे में कहीं-कहीं पर थोड़ी बहुत शिकायत थी। उसके लिये सभी लोग जानते हैं कि उनको दूर करने के लिये एक नया विभाग खोला गया और....

श्री अध्यक्ष---शोर बहुत हो रहा है और सुनने में भी बहुत सी बातें नहीं आ रही हैं।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा---समाज कल्याण की प्रगति बढ़ाने के लिये एक नया विभाग खोला गया और एक नये मंत्री उसके लिये नियुक्त हुये। तो यह कहना कि हमारी सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है यह तो वस्तुस्थिति से बहुत परे है। इसका तो बड़ा भारी महत्व समझा गया और इतना महत्व समझ करके यह नया विभाग खोला गया और एक नये मंत्री की नियुक्ति हुई। तो हमें तो यह आशा करनी चाहिये कि इसकी काफी प्रगति होगी और सरकार इसके महत्व को काफी समझती है। असल में जब यह नयी सरकार हुई और उसने इस पर काफी ध्यान दिया तो मैं समझता हूं कि वह बधाई के पात्र हैं। कुछ भाइयों ने यह भी कहा कि इस प्रदेश में बहुत से ऐसे भाई हैं जो कि भीख मांगा करते हैं, उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। तो जैसा मैंने अर्ज किया, वह चीज भी इसी समाज कल्याण के अन्तर्गत आती है और उसके लिये नये मंत्री का भाषण भी एक मर्तबा हुआ था, जिसमें उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि इसके लिये भी प्रबन्ध किया जायगा। मैं समझता हूं कि जितनी बातें वाकई में कल्याण की हो सकती थीं उसके लिये काफी सरकार ध्यान दे रही है। और जो हमारी पंचवर्षीय योजना आ रही है उसमें उद्योग पर काफी जोर दिया जा रहा है। यह कहना कि बेकारी के लिये इस सम्बोधन में कोई बात नहीं है, ठीक नहीं। इसमें इशारा किया गया है कि बेकारी को दूर करने के लिये क्या करना है। इसमें साफ कहा गया है कि हम बेकारी को दूर करने के लिये छोटे तथा बड़े उद्योग धंधों पर जोर देने जा रहे हैं, खोलने जा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि इन्डस्ट्रीज से ही हमारी बेकारी दूर हो सकती है। अगर हमारे यहां की इंडस्ट्रीज में काफी प्रगति हुई तो यह प्रश्न अवश्य ही हल हो जायगा। अब चूंकि समय कम है इसलिये मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

*श्री गजेन्द्रसिंह (जिला इटावा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:---

"किन्तु खेद है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में निम्नलिखित विषयों का जिक्र नहीं किया---

(१) प्रदेश में लगे हुये कोआपरेटिव नलकूपों की दुर्दशा व सुधारने की योजना।

(२) प्रदेश में चल रहे पुलिस के जघन्य अत्याचारों को रोकने का संकल्प।

(३) प्रदेश में फैली हुई बेकारी, ग़रीबी व बेरोजगारी की समस्या।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(४) प्रदेश में कृषि कार्यों द्वारा उत्पादित खाद्यानों की क़ीमत एवं बड़े उद्योग धंधों द्वारा अथवा कारखानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की क़ीमतों में प्राप्त वर्तमान असमानता को दूर करने का संकल्प।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक नलकूपों के बाबत ज़िक्र किया गया है, और बराबर यह कहा जाता है कि सरकार ने सिंचाई के साधन एक बड़े पैमाने पर मुहैया कर दिये हैं और नल कूप बड़े पैमाने पर बनाये जा रहे हैं, मुझे सरकारी नलकूपों के देखने का तो अवसर नहीं मिला है, लेकिन जो नलकूप कोआपरेटिव द्वारा बनाये गये हैं और जो हमारे जिला इटावा में बनाये गये हैं उनको ज़रूर देखा है। वह कितनी ही तादाद में हों लेकिन सबके सब बेकार हैं। उनमें से किसी से भी गरीब किसान का हित नहीं हो रहा है! इतना तेज़ पानी पड़ता है कि फ़ी एकड़ की सिंचाई में साढ़े सत्रह रुपये लग जाते हैं। अगर चार मर्तबा सिंचाई की ज़रूरत पड़े तो किसान को अपने घर से देना पड़ेगा। इसलिये किसान इन नलकूपों से पानी नहीं ले रहे हैं। कोआपरेटिव सोसाइटीज़ घाटे पर चल रही हैं। उनको तकाबी सरकार को देना पड़ती है। उसमें किसानों के बैल, हल तथा खेती के औज़ार कुर्क हो रहे हैं। इस तरह के अत्याचार किसानों पर हो रहे हैं।

मैंने कई मर्तबा कहा है और आज भी कहता हूं कि हमसे पूर्व वक्ता महोदय ने कहा है कि खाद्य समस्या हल हो गई है और देश में अब गरीबी और बेकारी नहीं है! वह मेरे साथ चलें और तब मैं उनको दिखलाऊं कि नलकूपों की कैसी दुर्दशा है! मैं भी समझता था, जब कि हमारे पूर्वी जिलों के साथी कहते थे कि पूर्वी जिलों में गरीबी है, बेकारी है, परेशानी है, और भुखमरी है तो मुझे विश्वास नहीं होता था। और इसकी तो कल्पना तक नहीं होती थी, क्योंकि मैं पश्चिम का रहने वाला हूं, कि आज के वक्त में भी लोग भूखे मरते होंगे! लेकिन अभी श्रमदान सप्ताह के सिलसिले में मुझे अपना कैम्प लगाना पड़ा। वहां पर एक नाले की खुदाई में मैंने देखा कि जब गांव के लोग मिल गये तो तो उन्होंने एक दो दिन तो काम किया। इसके बाद एक तिहाई आदमी काम पर नहीं आये। मैं वहां गया और उनसे पूंछा कि काम पर क्यों नहीं चल रहे हो, तो उन्होंने अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन किया और कहा कि हमारे पास ज़रा भी अन्न नहीं है। इसलिये हम काम पर नहीं चल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन लोगों के लिये मैंने सवा सेर बाजरे के आटे की व्यवस्था करायी और वह लोग काम पर गये। जब काम समाप्त हो गया तो वह बेचैन और परेशान हो गये, और बड़े दुख के साथ कहने लगे कि आप लोगों ने हमारे लिये आटे की व्यवस्था की। कहने का मतलब यह है कि मैं आप के द्वारा बतलाना चाहता हूं कि हमारे देश में आज भी गरीबी है, बेकारी है! सरकार के प्वाइंट आफ व्यू से भले ही खाद्यान्न की समस्या हल हो गई हो, सस्ता हो गया हो, लेकिन वह आज भी लोगों को नसीब नहीं होता है। तो इस तरह से ट्यूबवेल्स की हालत बहुत ज्यादा खराब है, कोआपरेटिव सोसाइटियां कर्ज़े में चल रही हैं, और जो नलकूप लगाये गये हैं उनके खर्चा पहले १५ हज़ार बतलाया गया था लेकिन २२ हज़ार रुपया खर्च किया गया। या तो उनको २०–२२ हज़ार रुपये का एस्टीमेट पहले दिया जाता, लेकिन उनको ग़लत एस्टीमेंट दे कर ज्यादा रुपया लगाया गया। सिंचाई हो नहीं रही है और वे बड़ी परेशानी में पड़े हुये हैं। इस ओर राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कोई बात नहीं कही।

जहां तक पुलिस के अत्याचार का ताल्लुक है मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब से हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री ने यह विभाग अपने हाथ में लिया है तब से न मालूम हमारे उत्तर प्रदेश का ही यह दुर्भाग्य है या और कोई बात है कि हालत दिनों दिन बदतर होती जा रही है! इससे पहले माननीय लाल बहादुर जी के समय में पुलिस की हालत अच्छी थी, और उससे अच्छी स्वर्गीय क़िदवई साहब के समय में थी। लेकिन आज पुलिस का शासन बराबर बदतर होता जा रहा है। इतने जघन्य अत्याचार पुलिस द्वारा किये जा रहे हैं जिनकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है! इससे पहले माननीय नेता विरोधी दल ने

[श्री गजेन्द्रसिंह]

बतलाया कि इटावा जिले में अर्जुनसिंह जी अनशन कर रहे हैं। कोई भी रीजनेबिल आदमी जाकर देखे कि वहां की परिस्थिति क्या है? वहां जसवन्तनगर के थानेदार ने अर्जुन सिंह जी को गर्म सलाखों से ३६ जगह घाव लगाये जिसकी डाक्टरी रिपोर्ट सिविल सर्जन ने की है। और वह आदमी और रिपोर्ट आज भी मौजूद है। जब इन्क्वायरी का प्रश्न उठता है तो थानेदार उस दिन अपनी उपस्थिति फर्रुखाबाद में दिखलाते हैं। जब यह मामला एस० पी० के सामने रखा गया और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया तो थानेदार के आदमी वहां जाते हैं और उसको जबरदस्ती अस्पताल से ले आते हैं। जब अर्जुनसिंह जी ने एस० पी० का ध्यान इस ओर दिलाया तो उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं की। फिर जब उन्होंने अनशन किया तो इन्क्वायरी के लिये एक एस० आई० उन्होंने नियुक्त किया, लेकिन फिर भी थानेदार को पूरी सहायता दी गयी। इस तरह से सही-सही इन्क्वायरी हो नहीं सकती जब तक उस थानेदार का ट्रांसफर नहीं किया जायगा। और जब उन्होंने अनशन किया तो एस० पी० ने उनको ट्रेसपास में चालान किया और उनको जेल में बन्द कर दिया गया, और अनशन की हालत में उस जेल से उनका ट्रान्सफर दूसरी जगह किया गया। इस तरह के सैकड़ों अत्याचार पुलिस के होते हैं। डकैतियां होती हैं लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं इन्दराज की जाती है, और अगर दर्ज भी की जाती है तो डकैती की चोरी करके लिखा जाता है! इस तरह से जुर्म को दबाया जाता है! मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की पुलिस के अत्याचार की एक और कहानी कहना चाहता हूं। अभी हाल की बात है कि जनसंघ के लोगों ने थाना बालों में एक जलूस निकाला, और जो कसाई वहां रहते थे उनसे जनसंघ के लड़कों ने जबरदस्ती इस पर दस्तखत करवाये कि वे वहां से बुचड़खाने को हटाने के लिये तैयार हैं। इसके बाद उनकी मस्जिद गिराने के लिये जब मॉब चला तो कुछ लोगों के बीच में पड़ने से वे रुक गये। इसके बाद जब थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिये कसाई लोग गये तो रिपोर्ट नहीं लिखी गयी और उनको डराया धमकाया गया, और उनसे कहा गया कि अगर ज्यादा जिद करोगे तो पाकिस्तान भेज दिये जाओगे। तो इस तरह के अत्याचार आज पुलिस के हो रहे हैं। मेरे पास वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष का पत्र मौजूद है जो उन्होंने अर्जुनसिंह जी के बारे में लिखा है। वह पत्र उन्होंने यहां भी भेजा है। पत्र बहुत बड़ा है इसलिये पढ़ना मुश्किल है, लेकिन उसमें उन्होंने बराबर कहा है कि यह अनशन न्यायसंगत है और वाकई में अत्याचार हो रहा है। इस तरह से मैं चैलेन्ज करता हूं कि तमाम वाक़यात की इन्क्वायरी की जाय, और इस एस० पी० के रहते हुये वहां पर जस्टिस हो नहीं सकती है जिसने खुद अनशन करने वाले व्यक्ति को ट्रेसपास के जुर्म में गिरफ्तार किया। पुलिस के इस तरह से अत्याचार हो रहे हैं।

इसके अतिरिक्त माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में बेकारी, गरीबी और दूसरी चीजों की समस्या के हल की ओर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है।

जहां तक कृषि पैदावार की चीजों का ताल्लुक है मैं भी मुनासिब समझता हूं कि जो खेती की पैदावार है उसके भाव गिरने चाहिये। अगर उसकी पैदावार नहीं गिरती है तो मध्यम वर्ग, और जो लोग कृषि नहीं करते हैं उनके सामने एक समस्या होगी। इसलिये कृषि की पैदावार के भाव तो गिरने चाहिये, लेकिन उसके साथ ही साथ उसके अनुपात में जो कारखानों की पैदावार की चीजें हैं, जो पूंजीपति या उद्योगपति अपनी मिलों में पैदा करते हैं, उनके भावों में भी उसी अनुपात से कमी होनी चाहिये। लेकिन इस ओर माननीय राज्यपाल ने अपना ध्यान नहीं दिया। खाद्यान्न और मिल की पैदावार के भावों में जो असमानता है इससे किसानों में बड़ी भारी बेचैनी फैली हुयी है। उनके सामने एक परेशानी की समस्या है। उनकी सिंचाई की दर ड्योढ़ी, दूनी और तिगुनी कर दी गयी है, और जो उनकी पैदावार है उसकी कीमत बहुत कम हो गयी है। ऐसी हालत में उनके सामने बड़ी भारी समस्या है! उसको हल करना होगा। मैं मानता हूं कि कुछ दृष्टिकोण से सरकार कुछ आगे बढ़ी है। लेकिन अगर सरकार

ने बिलकुल कुछ भी न किया होता तो जनता के सामने क्या जवाब देती ? लेकिन मैं तो कहूंगा कि चन्द नलकूपों को बना देने से, कुछ नहरें बना देने से, कुछ डाकखाने और स्कूल खोल देने से ही काम नहीं चल सकता। यह तो अंग्रेजों ने भी किया था ! वह भी कहते थे कि हमने रेल गाड़ी बनायी है ! लेकिन जहां तक खाद्य की समस्या का ताल्लुक है, जहां तक बेकारी की समस्या का सम्बन्ध है, जहां तक रोटी कपड़े की समस्या का ताल्लुक है, अंग्रेजी जमाने में भी लोगों को तकलीफ थी और आज भी है। इस समस्या को हल करना है। इसकी ओर राज्य को ध्यान देना ही होगा, और जो राज्य इन समस्याओं को हल न कर सके उसको एक मिनट के लिये भी शासन में रहने का कानूनी अधिकार नहीं है।

कुछ समाजवाद की भी चर्चा की गयी है। जहां तक समाजवाद की आलोचना का सम्बन्ध है कि समाजवादी शासन और व्यवस्था की बात कहते हैं, आज हमीं इस बात को नहीं कहते, नेहरू जी ने भी कहना शुरू कर दिया है। माननीय शुक्ल जी ने समाजवादी व्यवस्था की बड़ी आलोचना की। मुझे मालूम होता है कि आजकल वह नेहरू जी के वक्तव्य नहीं पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रावन्कोर कोचीन में जो घटना हुयी उसकी आलोचना सोशलिस्ट पार्टी के लोग स्वयं करते हैं। हमारे लीडर्स में इतना डेअर है कि अपनी पार्टी के गलत कामों की भी आलोचना करते हैं और हिम्मत के साथ कहते हैं। हम आज भी हिम्मत से कह सकते हैं कि ऐसे पचीसों गोलीकांड इस प्रदेश की सरकार ने और केन्द्रीय सरकार ने किये, लेकिन कभी भी कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता या सदस्य की हिम्मत नहीं हो सकी कि जो जाकर उन कार्यों की भर्त्सना करे। यह हिम्मत प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ही में थी, और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता डा० लोहिया में ही थी जिन्होंने अपनी ही सरकार की निन्दा की। जो अपनी सरकार के खिलाफ नहीं लड़ सकता वह दूसरी सरकारों के खिलाफ क्या लड़ सकता है ? इस तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज देश में बेकारी, बेरोजगारी है। सिर्फ शिक्षित वर्ग में ही बेरोजगारी नहीं है बल्कि शिक्षित वर्ग के अलावा जो किसान हैं, जो धरती चीरते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं, और कारखानों में जो मजदूर काम करते हैं, उनके अन्दर भी बेकारी और बेचैनी है। आज, माननीय अध्यक्ष महोदय, अलीगढ़ की बात मैं कहता हूं। वहां पर ताले का उद्योग धंधा करने वाले लोग हैं। उनसे २५ प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। वे जो कुछ भी पैदा करते हैं सब ब्याज में चला जाता है। इटावा जिले में जुलाहे रहते हैं, कपड़ा बुनते हैं। उन लोगों ने अपनी कोआपरेटिव सोसाइटिय भी बना ली है। परन्तु उनको कर्जा नहीं मिलता, जिसके कारण उनको सेठों से २०, २५ प्रतिशत ब्याज पर कर्जा लेना पड़ता है। फिरोजाबाद में शीशे और चूड़ियां का काम करने वाले लोग हैं। जो वहां के मजदूर हैं उन पर इतना कर्जा है लेकिन उसकी ओर माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में कोई संकेत नहीं किया। बनारस के जुलाहे हैं जो जरी का काम करते हैं या, मुरादाबाद में जो पीतल का काम करते हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया ! उनको बहुत तंगदस्ती है। इस तरह से जो भी देश में छोटे-छोटे उद्योग धंधे हैं उनकी हालत बहुत खराब है। एक तरफ तो बड़े-बड़े उद्योगधंधों को प्रोत्साहन दिया जाता है, और इसके साथ ही उन उद्योगधंधों के रहते हुये छोटे-छोटे उद्योगधंधों को बढ़ाने की बात कही जाती है ! अध्यक्ष महोदय, यह दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं कि बड़े-बड़े उद्योगधंधों को बढ़ाया जाय और छोटे-छोटे उद्योगधंधों को भी बढ़ाया जाय। अगर आप छोटे उद्योगधंधों को बढ़ाना चाहते हैं तो उनको भारी रियायत देनी होगी।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने माननीय राज्यपाल महोदय के सम्बोधन पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं इस सदन में यह व्यक्त कर देना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में यहां पर एक समाज के मुख्य अंग का जिकर नहीं किया। इसके अन्दर हरिजनों को इगनोर कर दिया गया है ! एक बहुत बड़ी जमात जो आज भी झोपड़ियों में रहती है, और जो आज भी अपने पेट भर खाने को नहीं पाती है, और जिनके

[श्री शिवनारायण]

सिर पर आज भी जमींदारों के जुल्म के डंडे पड़ते हैं, उन हरिजनों को इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया है ! हमने देखा है कि उनकी मुसीबतों की दरख्वास्तों के पुलिन्दे सामने आये हैं। आज उनके ऊपर वही पुलिस का जुल्म बाकी है और तमाम बड़े लोग उनको तंग करते हैं उनके पास एक बिस्वा भी खेती करने के लिये जमीन नहीं है। आज इस देश में उनकी आबादी १० करोड़ है, लेकिन न उनके पास जमीन है और न नौकरी है ! चपरासी का स्थान भी उनको नहीं मिलता है। इस सरकार ने उनके लिये रिजर्वेशन भी किया है लेकिन वह कार्यान्वित नहीं हो रहा है, मुझे इसका दुख है। मैं श्रीमन्, आपके द्वारा अपने मुख्य मंत्री जी की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि एक नवीन सरकार आयी है तो हम भी कुछ उसमें परिवर्तन देखना चाहते हैं। उसके आफिसर्स और उनके कर्मचारियों में कुछ परिवर्तन देखना चाहते हैं। हमारे महामान्य राज्यपाल बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक बात बहुत सुन्दर कही है। उन्होंने गो-बध के सम्बन्ध में कहा है कि गो-बध बन्द किया जायगा। गो-बध के सिलसिले में गांव में हिन्दू और मुसलमानों ने मिलकर एक ही नारा लगाया है कि गो-बध को बन्द किया जाय। गो-बध को पाकिस्तान में बन्द किया गया है तो फिर हम क्यों न अपने यहां बन्द कर दें ? सरकार ने जब ऐलान किया तब से ही उनका सत्याग्रह बन्द हो गया है। हमारे हाथ में पावर है और अब हम उसको बन्द करने जा रहे हैं। इसके लिये हमारे श्रीमान् के० एम० मुन्शी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने यह एक सुन्दर कदम उठाया है .....

श्री अध्यक्ष--आप व्यक्तिगत बधाई उनको नहीं दे सकते हैं। आप माननीय राज्यपाल के नाते ही उनको बधाई दे सकते हैं।

श्री शिवनारायण--यह हिन्दुस्तान की संस्कृति का एक जीता जागता नमूना है। कांग्रेस सरकार ने इसको किया है। कल जब बाजपेयी जी बोल रहे थे तो मेरा रोम-रोम कह रहा था कि यदि लाउड स्पीकर हो तो मैं भी कुछ उनको सुनाऊं और उनकी बातों का जवाब दूं। लेकिन हमारे हाथ में पावर है तो हम अब गो हत्या बन्द करने जा रहे हैं, और देश के लिये रियल वर्क करने जा रहे हैं। उनका कहना तो केवल प्रोपेगन्डा मात्र है। उसके लिये यह सरकार और माननीय राज्यपाल बधाई के पात्र हैं।

दूसरी बात यह है कि हमारी सरकार ने पंचवर्षीय योजना में ४० प्रतिशत रुपये की बचत की है। माननीय राज्यपाल ने निहायत ईमानदारी के साथ और नेकनीयती के साथ यह सब बता दिया, कुछ भी नहीं छिपाया। विरोधी लोग कहते हैं कि सरकार बड़ा-बड़ा बजट बनाती है, टेक्सेशन लगाती है। विद्युत मंत्री जी यहां मौजूद हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जब कभी गल्ले का दर कम होगा तो सिंचाई के भाव कम कर दिये जायेंगे। मैं आज उनसे कहना चाहता हूं कि आज लोगों की बड़ी पुकार है, उसके लिये लोगों ने नारा भी लगाया था, ३-३ हजार लोग जेल भी गये थे, अब भाव सस्ता हो रहा है, अतः आपके द्वारा मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि सिंचाई को दर को सरकार कम कर दे। किसानों में इसके लिये त्राहिमान मची हुयी है। यह सरकार भी किसानों की सरकार है और हम क्योंकि उन्हीं के वोटों पर यहां आये हैं इसलिये हमारा धर्म है कि उनकी आवाज को हम आपके कानों तक पहुंचायें।

इसके बाद सरकार के समक्ष में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जिला एक बहुत पवित्र स्थान रखता है, बुद्ध जी का जन्म वहीं हुआ था। उसके लिये मैं माननीय राज्यपाल का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जवाहरलाल नेहरू चीन गये थे और पीस मिशन को लेकर गये थे। उन्होंने ३० करोड़ चीनियों को पीस मिशन दिया था, चीन के रहने वाले बुद्ध भगवान को मानते हैं। हमारे जिले में उस स्थान पर वे आते हैं और उन चीनी और जापानियों को १२-१२ मील पैदल जाना पड़ता है। सड़क नहीं है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि उसमें हमारे देश की और हमारी सरकार की नाक कटती है ! कृपा करके वे उस सड़क को बनवा दें। पारसाल भी मैंने इस चीज को कहा था। सरकार को अब इस सड़क को बनवा देना चाहिये।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार को हमारे जिले के जनस्वास्थ्य की ओर भी ध्यान देना चाहिये। २३ जनवरी को हरैया में एक चुनाव हुआ था जिसमें ६०० नौजवान में केवल एक चुना गया। किसी को धेधे की बीमारी थी तो किसी को हाईड्रोसील थी। मैं सरकार से कहता हूं कि उनकी तन्दुरुस्ती की ओर सरकार ध्यान दे! स्वतंत्र सरकार का यह परम कर्तव्य है कि वह प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य का ध्यान दे। बस्ती एक तराई का इलाका है, वहां पर मलेरिया, पीलपांव व हाइड्रोसील की बहुत बीमारियां हैं। इसलिये हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार हमारे यहां से जो मालगुजारी में वसूल करती है उसका ५० प्रतिशत हमें दे जिससे हम अपने जिले में सड़कें, शिक्षा और दवादारू का इंतजाम कर सकें। मैं ईस्ट वेस्ट का कोई झगड़ा खड़ा करना नहीं चाहता, सरकार से आनेस्टली कहता हूं कि हमारे यहां ५-५ शुगर फैक्टरीज चल रही हैं! मैं यह नहीं कहता कि हमारा जिला गेहूं पैदा करता है, हम चावल पैदा करते हैं, गन्ना पैदा करते हैं, और सरकार को बहुत सी मालगुजारी देते हैं। इसलिये सरकार को हमें मालगुजारी का आधा देना चाहिये।

एक और माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे अध्यापकों की आशा उन पर लगी हुयी। क्योंकि उनका एक अध्यापक आज चीफ मिनिस्टर हो गया है, उन्हें आशा है कि उनका वेतन बढ़ेगा। आज जो लड़कों में इनडिसिप्लिन फैला हुआ है वह किस वजह से है? आज अध्यापकों की कोई भी इज्जत नहीं करता है। अगर लड़के गुरु द्रोणाचार्य की तरह से अपने गुरुओं की इज्जत करें तो राम और कृष्ण के समान नागरिक निकल सकते हैं। लेकिन अगर उनको हम चपरासियों से भी कम समझेंगे तो हमारी औलाद भी चपरासियों के समान होगी। इसलिये आज के टीचर की निगाह एजूकेशन मिनिस्टर और डाक्टर सम्पूर्णानन्द पर लगी हुयी है। गांवों में उनकी झोपड़ियों पर छाहें नहीं हैं, उनके रहने का कहीं ठिकाना नहीं है। माननीय सम्पूर्णानन्द जो आज चीफ मिनिस्टर हैं, वे इसका ख्याल रखें। जो गावों में बसने वाले अध्यापक हैं उनकी नजर उन्हीं की तरफ लगी हुयी है और वे आशा लगाये हैं कि २५ रुपये उनको मंहगायी पुनः मिलेगी। हमारी नेशनल कांग्रेस जो मद्रास में हुयी थी उसमें भी एलान किया है कि हमारे अन्दर कमी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं कबूल किया है कि कांग्रेस के अन्दर कमजोरियां हैं, इसमें आपके कहने की क्या बात है? हम अपनी कमजोरियों को जानते हैं, और उसको दूर करने की बराबर कोशिश करते रहते हैं। जनता भी कहती है कि कांग्रेस में कमजोरी है लेकिन वह कहती है कि आखिर हम किसको यहां का शासन सौंपें? हम मजबूर हैं कि कांग्रेस के हाथ में ही शासन की बागडोर रहने दें। अभी दो वर्ष का समय है, सन् ५७ का चुनाव आने ही वाला है, आप अभी से उसके लिये तैयारी करें, आप ईमानदार बनना शुरू करें और जनता के सामने अपने को योग्य साबित करें। फिर देखिये क्या होता है। मैं तो खुद कहता हूं कि हमारी सरकार कमजोर है क्योंकि उसका अपोजीशन कमजोर है। सरकार को चाहिये कि अपने लिये स्ट्रांग अपोजीशन बनावे, तभी सरकार भी मजबूत हो सकती है। मैं अपने हरिजन भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि मंदिरों के लिये जो बात कही जाती है तो मंदिरों और मस्जिदों में जाने से कुछ नहीं होने वाला है। आज कल मंदिरों में क्या-क्या होता इसके बारे में यदि जानना हो तो नास्तिक पिक्चर देख लें। हमारे यहां एक बाबा रामधन जी हैं जो अमहट के किनारे रहते हैं। वे एक झोपड़ी के अन्दर २५ वर्ष से रहते हैं, वे हमारी ही बिरादरी के हैं, लेकिन उनके यहां बड़े-बड़े अफसर, हाईकोर्ट के जज, कलेक्टर, डिप्टी आदि उनके दर्शन के लिये आया करते हैं। मैं भी उनको दो वर्ष से जानता हूं। उन्होंने कबीरदास को रिप्लेस किया है, "हरि को भजै सो हरि का होई"। हममें तुममें खड्ग खम्भ में, सबमें व्यापे राम। वह सबके अन्दर है, वह पत्थरों में और लोहे में नहीं है। श्री गजेन्द्र सिंह जी ने जो हरिजनों के लिये कहा है कि राज्यपाल ने उनके लिये कुछ नहीं कहा है, मैं तो समझता हूं कि श्री राज्यपाल ने अच्छा ही किया है कि उनको एक ठेस पहुंचायी है और उनको जगाया है कि हरिजनों उठो, जागो! क्योंकि इतने वर्षों से स्कालरशिप देते रहे, फ्री एजूकेशन देते रहे, लेकिन तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके! इसलिये अब उठो और अपने पैरों पर खड़े हो। हमारी सरकार एक आना पैसा भी पढ़ने

[श्री शिवनारायण]

के ऊपर खर्च नहीं करती है, लेकिन अगर मैं मांग-मांग कर इकट्ठा करूं तो यह सारा प्राबलम हल हो जाय। इसी तरह से, माननीय राज्यपाल ने, गोबर्द्धन के लिये सरकार ने जो कुछ किया है उसका भी जिक्र किया है। इसके लिये भी सरकार को बधाई है। अन्त में मैं कहता हूं कि हमारे यहां गौतम बुद्ध के मार्ग को बना दिया जाय और हमारी सरकार का कल्याण हो।

श्री बंशीदास धनगर—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री गुप्त जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में निम्नलिखित बातों पर कोई प्रकाश नहीं डाला :—

(१) उत्तर प्रदेश की सरकार ने देहाती व शहरी क्षेत्रों में किसान व पशुधन की उन्नति के लिये चरागाहों की व्यवस्था का क्या प्रबंध किया ?

२—उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस प्रदेश के नागरिकों की ठोस उन्नति के लिये शिक्षा को कहां तक यहां के विकास और प्राकृतिक साधनों के उपयुक्त बनाया ?

३—यातायात में सहूलियत के लिये सरकार को नहरों, रजवों की कम से कम एक पटरी (किनारे) को पक्की सड़क बना देने और पब्लिक रास्ता करार देने का कोई सुझाव नहीं दिया।

४—बेरोजगारी को रोकने के लिये, बड़े कल कारखानों को एकदम रोक देने, और केवल गृह उद्योग धंधों को ही मान्यता देने व सरकारी मदद देने का कोई सुझाव नहीं दिया।

(५) उत्तर प्रदेश में पब्लिक के ९६ फीसदी काम व न्याय मिलने के साधन बगैर सरकारी नौकरों को और विशेषकर पुलिस को रिश्वत दिये हुये नहीं हो सकते ! इसकी रोक थाम की कोई उचित व्यवस्था व ठोस कदम व सुझाव सरकार को नहीं दिये।

(६) उत्तर प्रदेश की सरकार के सभी महकमों की कार्य प्रणाली व असर में गांधी वादी नीति में समाजवादी व्यवस्था के अमल (प्रयोग) से क्या आमूल परिवर्तन होंगे।"

उस पर भी उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं दी .....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप अपना भाषण कल जारी रखें, अब दो तीन मिनट बाकी हैं, मुझे दो एक घोषणा करनी हैं।

याचिका समिति और अधिष्ठाता मंडल के सदस्यों का नाम निर्देशन

श्री अध्यक्ष—याचिका समिति का समय समाप्त हो गया है। नये सूत्र के लिये मैं श्री हरगोविंद पंत (उपाध्यक्ष) सभापति, श्री विष्णुशरण दुब्लिश, श्री इरतजा हुसेन, श्री नारायण दत्त तिवारी और श्री गंगाप्रसाद सिंह को नामांकित करता हूं। और अधिष्ठाता मंडल के लिये निम्न सदस्य नामांकित किये जाते हैं :—

सर्वश्री—

१—बेचनराम गुप्त

२—भगवतीप्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)

३—श्रीमती प्रकाशवती सूद

४—राधाकृष्ण अग्रवाल
५—सुल्तान आलम खां
६—सुरेशप्रकाश सिंह
७—हरिश्चन्द्र बाजपेयी
८—मलखान सिंह
९—रामनारायण त्रिपाठी
१०—महीलाल

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
११ फरवरी, १९५५।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ १२१ पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों और सभा सचिवों के (वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबंधो का) विधेयक, १९५५

सभा सचिवों को दिये जाने वाले वेतन और भत्तों तथा विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों और उप-मंत्रियों से सम्बद्ध कुछ विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

सभा सचिवों (Parliamentary Secretaries) को दिये जाने वाले वेतन और भत्तों की, तथा विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों तथा मंत्रियों और उप-मंत्रियों से सम्बद्ध आगे चल कर प्रतीत होने वाले कुछ विषयों की व्यवस्था करना आवश्यक है,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों और सभा-सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

परिभाषायें

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में "विधान मंडल के अधिकारी" का तात्पर्य अध्यक्ष (Speaker) सभापति (Chairman) उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) और उप-सभापति (Deputy Chairman) से है।

सभा सचिवों के वेतन तथा भत्ते।

३—(१) प्रत्येक सभासचिव (Parliamentary Secretary) को ६०० रु० मासिक वेतन दिया जायगा।

(२) प्रत्येक सभा सचिव अपने कार्यकाल की पूरी अवधि में, ऐसे परिमाण में, जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में की जायगी, सज्जित (furnished) लखनऊ में बिना किराया दिये एक निवास स्थान के उपयोग का अधिकारी होगा और ऐसे समय तक, जिसमें पूर्वोक्त निवास स्थान की व्यवस्था न की जाय एक सौ रुपये मासिक प्रतिकर भत्ता (Compensatory allowance) पाने का अधिकारी होगा।

यात्रिक भत्ता।

४—(१) प्रत्येक सभा सचिव को एक सौ रुपये मासिक परिवहन भत्ता (Conveyance allowance) दिया जायगा।

(२) इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा नियत किये जाने वाले प्रतिबन्धों और निरोधों (Conditions and restrictions) के अधीन प्रत्येक सभासचिव, सार्वजनिक कार्य के सम्बन्ध में की गयी यात्राओं के लिये निम्नलिखित के पाने का अधिकारी होगा :—

(क) विमान, रेल या सड़क से की गयी प्रत्येक यात्रा के लिये उन दरों पर यात्रिक भत्ता (travelling allowance) जो राज्य सरकार की सेवा में कार्य करने वाले प्रथम श्रेणी के गजेटेड आफिसर्स को प्राप्य हो, और

(ख) दैनिक भत्ता (daily allowance) जो मैदानों में दस रुपये तथा पहाड़ों पर पन्द्रह रुपये की दर से होगा ।

५—राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये गये किसी नियम को बाधित न करते हुए मंत्री, अध्यक्ष, सभापति, उप-सभापति, उपाध्यक्ष, उप-मंत्री तथा सभा-सचिव और उनके परिवार के सदस्यों को सार्वजनिक व्यय पर चिकित्सा तथा राज्य सरकार द्वारा पोषित अस्पतालों में निःशुल्क आवास (accomodation) पाने का अधिकार होगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य संपादन से सम्बद्ध सेवा करने वाले प्रथम श्रेणी के गजटेड आफिसर्स को प्राप्य हो ।

मंत्रियों, विधान मंडल के अधिकारियों, उप-मंत्रियों तथा सभा सचिवों का चिकित्सकीय उपचार (medical treatment) ।

६—यू० पी० लेजिस्लेटिव चैम्बर्स (मेम्बर्स एमाल्युमेन्ट्स) ऐक्ट, १९३८ की धारा ५ द्वारा राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (U. P. State Legislature) के सदस्यों को देय यात्रिक तथा दैनिक भत्तों के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार दिया गया था । तदनुसार राज्य सरकार ने विधायिका विभाग (Legislature department) की विज्ञप्ति संख्या ३५२४/१७ दिनांक ९ फरवरी, १९५० ई० द्वारा यू० पी० लेजिस्लेटिव चैम्बर्स (मेम्बर्स एमाल्युमेंट्स) रूल्स, १९४६ को संशोधित किया था किन्तु भारत के संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् राज्य सरकार के उक्त अधिकार के बने रहने के सम्बन्ध में सन्देह प्रकट किया गया, अतएव सन्देहों के निवारण के लिये एतद्द्वारा प्रख्यापित किया जाता है कि पूर्वोक्त विज्ञप्ति में किये गये संशोधन विधि की दृष्टि से ठीक और वैध हैं तथा सदा ठीक और वैध समझे जायेंगे मानों वे संविधान के अनुच्छेद १९५ के अधीन बनी विधि से अधिनियमित किये गये थे ।

यू० पी० लेजिस्लेटिव चैम्बर्स (मेम्बर्स एमाल्युमेंट्स) रूल्स, १९४६ में किये गये संशोधनों का वैधीकरण ।

७—उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ की धारा २ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा २—क के रूप में रख दिया जायः—

उ० प्र० अधिनियम १२,१९५२ में नयी धारा २—क का रखा जाना ।

"अन्तराल की यात्राओं के लिये यात्रिक भत्ता

२—क—जब उत्तर प्रदेश विधान मंडल का कोई सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य में कहीं भी जाने के कारण विधान मंडल के सदन के सत्रकाल में अथवा किसी समिति के अधिवेशन-काल में दस दिन से कम के लिये अनुपस्थित हो तो उसे ऐसे स्थान की यात्रा पर जाने के लिये एवं वहां से वापस आने के लिये प्रत्येक यात्रा के सम्बन्ध में द्वितीय श्रेणी का किराया मिलेगा, वह सदस्य चाहे जिस रीति से जाय अथवा चाहे जिस श्रेणी में यात्रा करे ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यात्रा के उन भागों के लिये, जो ऐसे स्थानों के बीच की गयी हो, जो रेलवे द्वारा संयोजित नहीं हैं, उसे माइलेज भत्ता उस दर से मिलेगा जो प्रथम श्रेणी के गजटेड आफिसर्स को प्राप्य है ।

और प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसा यात्रिक भत्ता उस कुल दैनिक भत्ते से अधिक न होगा जो उक्त सदस्य को धारा २ (२) के अधीन अनुपस्थिति के दिनों के लिये मिलता यदि वह अनुपस्थित न होता ।"

८—उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उपमंत्रियों के (वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, १९५२ की धारा ३ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः—

उ० प्र० अधिनियम १०,१९५२ की धारा ३ का संशोधन ।

"(२) प्रत्येक उपमंत्री अपने कार्यकाल की पूरी अवधि में, ऐसे परिमाण में, जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में की जायगी, सज्जित (furnished) लखनऊ में बिना किराया दिये एक निवास स्थान

के उपयोग का अधिकारी होगा और ऐसे समय तक जिसमें पूर्वोक्त निवास स्थान की व्यवस्था न की जाय एक सौ रुपये मासिक प्रतिकर भत्ता (compensatory allowance) पाने का अधिकारी होगा ।

कतिपय भुगतानों का विनियमन ।

९—इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किसी मंत्री, अध्यक्ष, सभापति, उपमंत्री, उपाध्यक्ष, उप-सभापति और सभासचिव या उनके परिवार के किसी सदस्य के, राज्य सरकार द्वारा पोषित किसी अस्पताल में आवास के सम्बन्ध में या चिकित्सा के निमित्त किये गये या भुगतान किये गये सभी परिव्यय और उक्त प्रारम्भ से पूर्व धारा ६ में अभिदिष्ट विज्ञप्ति के अनुसार यात्रिक भत्ते तथा दैनिक भत्ते के रूप में किसी सदस्य को दिये गये सभी भुगतान यथावत् किये गये (properly incurred), भुगतान किये गये और दिये गये समझे जायेंगे ।

नियुक्ति इत्यादि से सम्बन्ध विज्ञप्ति निश्चायक प्रमाण होगी ।

१०—वह दिनांक जिस पर कोई व्यक्ति मंत्री, उप-मंत्री या सभा-सचिव होगा या न रहेगा, सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायगा और कोई ऐसी विज्ञप्ति इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिये इस बात का निश्चायक प्रमाण होगी कि उक्त व्यक्ति उस दिनांक पर मंत्री, उपमंत्री या सभा-सचिव हो गया या न रहा ।

नियम बनाने का अधिकार ।

११—इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है ।

उद्देश्य और कारण

सरकार के सभा-सचिवों को अभी तक वेतन और भत्ते प्रशासकीय आज्ञाओं के अधीन मिलते रहे हैं । सरकार को परामर्श प्राप्त हुआ है कि मंत्रियों और उपमंत्रियों की भांति इनका वेतन भी विधान मंडल के अधिनियम द्वारा अवधारित होना चाहिये । अतएव इस विधेयक द्वारा इसकी व्यवस्था की गयी है ।

(२) इसके अतिरिक्त मंत्रियों, उप मंत्रियों तथा विधान मंडल के अधिकारियों को उपलब्ध चिकित्सकीय सुविधाओं के सम्बन्ध में होने वाली कुछ कठिनाइयों तथा उपमंत्रियों के निवास स्थान सम्बन्धी कठिनाई को भी दूर किया गया है । संविधान के अनुच्छेद १६४ (५), तथा १८६ में क्रमशः व्यवस्था की गयी है कि मंत्रियों तथा राज्य विधान मंडल के अधिकारियों के वेतन और भत्ते वही होंगे जिन्हें राज्य विधान मंडल विधि द्वारा अवधारित करे । तदनुसार यह आवश्यक समझा गया है कि मंत्रियों, उपमंत्रियों तथा राज्य विधान मंडल के अधिकारियों के लिये चिकित्सकीय सुविधाओं की व्यवस्था विधान मंडल द्वारा पारित तत्सम्बन्धी विधि में कर दी जाय । अतएव विधेयक में इसकी व्यवस्था कर दी गयी है ।

(३) विधायिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३५२४ ।१७, दिनांक ९ फरवरी, १९५० द्वारा विधान मंडल के सदस्यों को मिलने वाले यात्रिक भत्ते के भुगतान की नियमावली में संशोधनों की वैधता पर यह शंका प्रकट की गयी है कि ऐसा केवल विधान मंडल के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है । अतएव विधेयक के खंड ६ को विहित करके इसे भी निश्चित कर देना आवश्यक समझा गया । यह विधेयक उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है ।

सैयद अली जहीर
न्याय मंत्री ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २९९ एल० ए०—१९५५—८०० ।